



स्थानीय निकायों
पर
वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन



भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के
तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण पर आधारित

31 अप्रैल 2013 तक लेखरों की संख्या,



ए/; इनकी संख्या

विषय सूची		
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
प्राक्कथन		V
विहंगावलोकन		VII से IX
भाग - 1 : शहरी स्थानीय निकाय		
अध्याय - एक		
शहरी स्थानीय निकायों की लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
प्रशासनिक व्यवस्थाएँ	1.2	1
वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा योजना का क्रियान्वयन	1.3	2
लेखांकन की व्यवस्थाएँ	1.4	2
लेखापरीक्षा की व्यवस्थाएँ	1.5	3
राजस्व के स्रोत	1.6	4
बजट आवंटन एवं व्यय	1.7	4
निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया कण्डिकाओं की स्थिति	1.8	5
बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया जाना	1.9	5
कर राजस्व/गैर कर राजस्व को प्राप्त नहीं किया जाना	1.10	6
व्यक्तिगत एवं एजेन्सियों को दिए गये अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	1.11	6
13 वें वित्त आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को जारी तथा उपयोग किया गया अनुदान	1.12	7
निष्कर्ष	1.13	8
अध्याय - दो		
लेनदेनों की लेखापरीक्षा		
नगर पालिक निगमों द्वारा संपत्ति कर की वसूली कम/नहीं किया जाना	2.1	9
संग्रहित राजस्व को तत्काल जमा करने में असफल रहना	2.2	11
विद्युत शुल्क पर परिहार्य व्यय	2.3	12
अस्थायी विद्युत कनेक्शन के कारण विद्युत प्रभार का अतिरिक्त भुगतान	2.4	13

भाग - 2 : पंचायती राज संस्थाएँ		
अध्याय - तीन		
पंचायती राज संस्थाओं के वित्त एवं लेखाओं पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	3.1	15
प्रशासनिक व्यवस्थाएँ	3.2	16
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ	3.3	16
वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा योजना का क्रियान्वयन	3.4	17
लेखांकन व्यवस्थाएँ	3.5	17
लेखापरीक्षा व्यवस्थाएँ	3.6	19
राजस्व के स्रोत	3.7	19
पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियाँ एवं व्यय	3.8	19
बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं करना	3.9	20
निरीक्षण प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं की स्थिति	3.10	21
अस्थाई अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जाना	3.11	21
13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को जारी एवं उपयोग किया गया अनुदान	3.12	21
निष्कर्ष	3.13	23
अध्याय - चार		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम	4.1	24 से 43
अध्याय - पाँच		
लेनदेनों की लेखापरीक्षा		
मनरेगा योजना निधि अवरुद्ध रहने के कारण ब्याज की हानि	5.1	44

	परिशिष्ट - नगरीय शहरी स्थानीय निकाय	पृष्ठ क्र.
परिशिष्ट- 1.1	वर्ष 2012-13 के लेखा परीक्षा की गई शहरी स्थानीय निकायों की सूची	47
परिशिष्ट- 1.2	बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं किया जाना	49
परिशिष्ट- 1.3क	असंग्रहित कर राजस्व का विवरण पत्रक (शहरी स्थानीय निकाय)	50
परिशिष्ट-1.3ख	असंग्रहित किराया एवं प्रीमियम का विवरण पत्रक	51
परिशिष्ट- 1.4	असंग्रहित गैर कर राजस्व का विवरण	52
परिशिष्ट- 1.5	नगरीय स्थानीय निकायों के असमायोजित अस्थाई अग्रिमों का विवरण	53
परिशिष्ट- 2.1	संपत्ति कर की मांग एवं संग्रहण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	54
परिशिष्ट- 2.2	संपत्ति कर की लंबित वसूली को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	55
परिशिष्ट- 2.3	लो-पावर फैक्टर के लिए प्रभारित विद्युत शुल्क को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	56
परिशिष्ट- 2.4	अस्थाई संयोजनों पर अतिरिक्त विद्युत प्रभार के भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	58

	परिशिष्ट - पंचायती राज संस्थाएँ	पृष्ठ क्र.
परिशिष्ट- 3.1	वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षित जिला पंचायतों की सूची	60
परिशिष्ट- 3.2	पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बैंक समाधान विवरण पत्रक नहीं बनाए जाने का विवरण	64
परिशिष्ट- 3.3	पंचायती राज संस्थाओं के असमायोजित अस्थाई अग्रिमों का विवरण	66
परिशिष्ट- 4.1	चयनित जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों की सूची	67
परिशिष्ट- 4.2	जिलावार कार्यों की खण्डीय योजना एवं क्रियान्वयन	68
परिशिष्ट- 4.3	वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन में विलंब की स्थिति	69
परिशिष्ट- 4.4	अनुपयोगी राशि का वर्षवार एवं जिलावार विवरण	71
परिशिष्ट- 4.5	पूर्ण कार्यों की कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर वापस ली गयी राशि का विवरण	74
परिशिष्ट- 4.6	अप्रारंभ कार्यों का विवरण	76
परिशिष्ट- 4.7	ऐसे कार्यों का विवरण जिनके लिए राशि आहरित कर ग्राम पंचायतों के लेखाओं से बाहर रखा गया	78
परिशिष्ट- 4.8	अपूर्ण कार्यों का जिलावार एवं वर्षवार विवरण	79
परिशिष्ट- 4.9	पूर्ण कार्यों की सूची जिनका पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया	83
परिशिष्ट- 4.10	अपना घर योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्यों का विवरण	85
परिशिष्ट- 5.1	एमपीएसईजीसी द्वारा प्राप्त एवं वापस किए गए डिमांड ड्राफ्ट	86

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में वर्ष 2012-13 के अवधि में पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों पर की गई टिप्पणियों को शामिल किया गया है। यह प्रतिवेदन दो भागों में है। भाग- 1 में नगरीय स्थानीय निकाय तथा भाग- 2 में पंचायती राज संस्थाओं पर टिप्पणियां की गई हैं।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण वर्ष 2012-13 की लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये लेखाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित हैं तथा ऐसे प्रकरण जो विगत वर्षों में प्रकाश में आए परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके, ऐसे प्रकरण भी जो वर्ष 2012-13 के बाद के हैं, आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानक जो कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित हैं कि पुष्टि के लिए लेखापरीक्षा की गयी है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के दो भाग हैं। भाग-1 नगरीय स्थानीय निकाय और भाग- 2 पंचायती राज संस्थाएँ। भाग-1 में दो अध्याय हैं, अध्याय-एक : शहरी स्थानीय निकायों के वित्त एवं लेखांकन पर विहंगावलोकन, अध्याय-दो : लेनदेनों की लेखापरीक्षा का विवरण है। भाग- 2 में तीन अध्याय हैं, अध्याय-तीन : पंचायती राज संस्थाओं के वित्त एवं लेखांकन पर विहंगावलोकन, अध्याय-चार : निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अध्याय-पाँच : लेनदेनों की लेखापरीक्षा का विवरण है।

भाग - 1

अध्याय - एक नगरीय स्थानीय निकायों की लेखांकन प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा मैनुअल के अनुसार निर्धारित प्रारूपों में नगरीय स्थानीय निकायों के लेखे संधारित नहीं किए गए। नगरीय स्थानीय निकायों की प्राप्ति एवं व्यय की जानकारी संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में संधारित नहीं की गयी। बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार न किये जाने से नगरीय स्थानीय निकायों के रोकड़ पुस्तक एवं बैंक शेषों में अंतर रहा जिससे निधि के कपटपूर्ण दुरुपयोग की संभावना है। राजस्व कर एवं गैर राजस्व कर की विशिष्ट राशि वसूली हेतु लंबित थी। व्यक्तिगत एवं एजेन्सियों को प्रदाय अस्थाई अग्रिम लंबी अवधि से असमायोजित/अवसूलीकृत रहे। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरीय स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों के वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित किये बिना, भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे गये।

(कंडिका 1.1 से 1.12)

अध्याय - दो लेनदेनों की लेखापरीक्षा

संपत्तियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य के आंकलन तथा संपत्ति कर के स्व निर्धारण की जांच हेतु दो नगर पालिक निगमों द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया गया। पांच नगर पालिक निगमों द्वारा संपत्ति कर उदगृहित करने में कमी रही, 31 मार्च 2013 की स्थिति में संपत्ति कर राशि ₹561.18 करोड़ वसूली हेतु लंबित रही।

(कंडिका 2.1)

नगर पंचायत पेटलाबाद द्वारा संग्रहित राजस्व राशि ₹91,480 को विलंब से प्रेषण एवं प्राप्ति राशि ₹26,380 को बैंक में जमा नहीं करना।

(कंडिका 2.2)

नगर पालिक निगम देवास द्वारा जल परिशुद्धि संयंत्र के उच्च दाब विद्युत कनेक्शन पर, 90 प्रतिशत या उससे अधिक माहवार पावर फैक्टर बनाए रखना सुनिश्चित नहीं करने से शास्ति के रूप में राशि ₹23.42 लाख का भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका 2.3)

नगर पालिक निगम, देवास द्वारा जल शुद्धिकरण संयंत्र के लिए स्थाई विद्युत कनेक्शन के स्थान पर अस्थायी विद्युत कनेक्शन की सुविधा लगातार रखने के कारण अतिरिक्त विद्युत शुल्क राशि ₹ 47.26 लाख भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.4)

भाग - 2 पंचायत राज संस्थाएँ

अध्याय - तीन पंचायत राज संस्थाओं के वित्त एवं लेखांकन पर विहंगावलोकन

पंचायती राज संस्थाओं ने बजट एवं वार्षिक लेखे निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं किए। पंचायती राज संस्थाओं की स्वयं के स्रोतों से राजस्व की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण पंचायत राज संचालनालय में अनुपलब्ध था। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा, प्रधान महालेखाकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु सार्थक प्रयास नहीं किए गए। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा रोकड़ बही शेष और बैंक शेषों में पाए गये अंतर का समाशोधन नहीं किया गया, जिससे निधि के दुरुपयोग की संभावना है। व्यक्तिगत एवं एजेन्सियों को दिए गए अस्थायी अग्रिम लंबे समय से असमायोजित/अवसूलीकृत हैं। 13वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र, भारत सरकार को अनुदान राशि पंचायती राज संस्थाओं को जारी करने के आधार पर भेजा गया, जबकि इसे वास्तविक उपयोग/व्यय के आधार पर भेजा जाना था।

(कंडिका 3.1 से 3.12)

अध्याय - चार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा

स्वॉट विश्लेषण के आधार पर पहचान किये गये अधिकतम पिछड़े क्षेत्रों को वार्षिक कार्ययोजना में वांछित प्राथमिकता नहीं दिये जाने से विकास हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय असंतुलन में महत्वपूर्ण अन्तरालों को दूर करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। कार्ययोजना के विलंब से अनुमोदन होने से कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वार्षिक कार्ययोजना में शामिल कार्यों के निष्पादन में विशिष्ट कमी पाई गई। जिला प्राधिकारियों के, निधियों का समयावधि के अंदर उपयोग करने में असफल रहने से बहुत

अधिक मात्रा में राशि अनुपयोगी रही। पूर्ण कार्यों के विरुद्ध अधिशेष राशि एवं अपूर्ण कार्यों पर अप्रयुक्त रही राशि लंबे समय के उपरांत भी ग्राम पंचायतों के सचिवों तथा लाइन विभाग द्वारा वापिस नहीं की गई। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण संबंधी प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित नहीं किये गये। कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं होने के कारण ब्लॉक रिसोर्स सेंटर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे।

(कंडिका 4.1)

अध्याय - पाँच लेनदेनों की लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के असंगत निर्णय के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निधि ₹ 45.83 करोड़ चार माह तक लगातार अवरूद्ध रही परिणामस्वरूप ब्याज राशि ₹ 61.11 लाख की हानि हुई।

(कंडिका 5.1)

भाग - 1
UXjh; स्थानीय निकाय

अध्याय - 1
UXjh; स्थानीय निकायों के वित्त एवं लेखांकन पर विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(डब्ल्यू) में परिकल्पित है कि राज्य सरकार विधि द्वारा नगरीय निकायों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकती है जो उन्हें स्वशासी सरकारी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक हों और ऐसी विधियों में है जो नगरीय निकायों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।

संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के 74वां संशोधन के पश्चात नगरीय निकायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य और जिम्मेदारियों को निहित करते हुये स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में संपूर्ण और जीवंत संस्था बनाया गया था। तदनुसार, राज्य शासन ने इन संस्थाओं को नगरीय निकायों की त्रिस्तरीय प्रणाली, बड़े शहरी क्षेत्र के लिये नगर पालिक निगमों, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिये नगर पालिकाओं तथा संक्रमणकालीन क्षेत्रों¹ के लिये नगर परिषद में पुनर्गठित किया है।

वर्तमान में राज्य में 14 नगर पालिक निगम, 100 नगर पालिका एवं 263 नगर परिषद हैं।

मध्य प्रदेश राज्य की प्राथमिक जानकारी नीचे दी गई है -

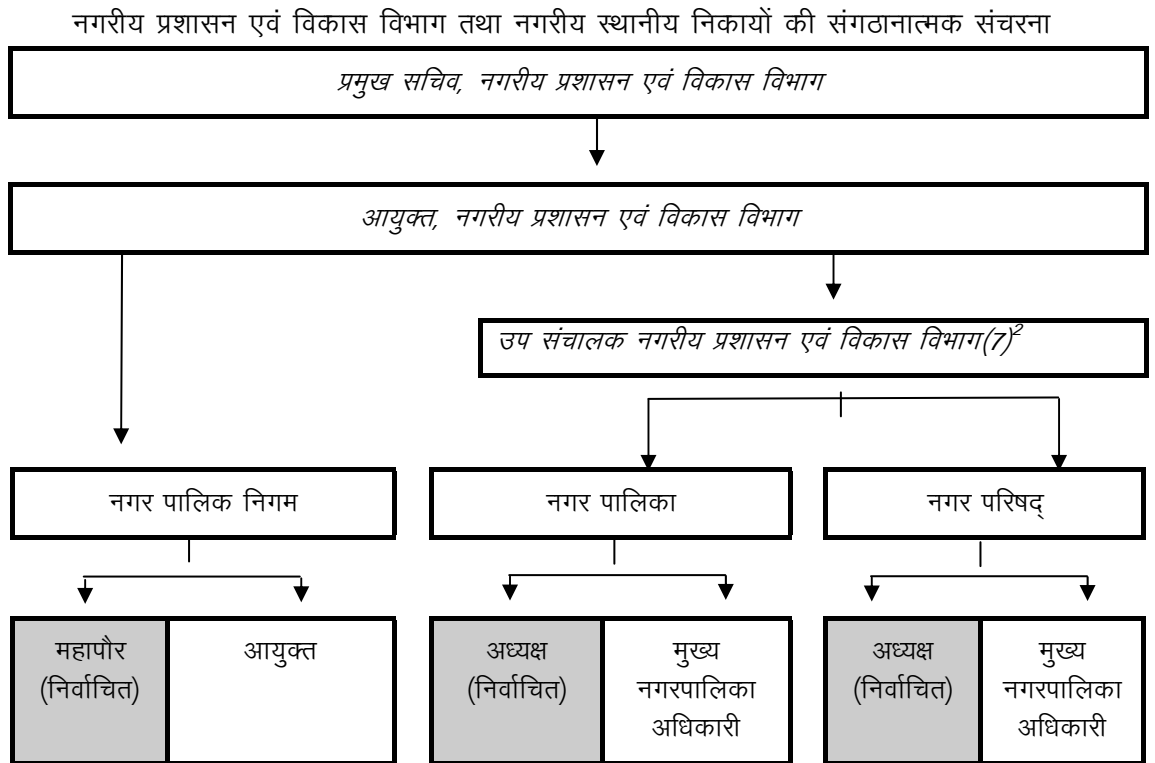
विवरण	इकाई	संपूर्ण देश के आँकड़े	राज्य आँकड़े
जनसंख्या	करोड़	121.02	7.26
देश की जनसंख्या में भाग	प्रतिशत	-	6
शहरी जनसंख्या	करोड़	38	2
शहरी जनसंख्या का भाग	प्रतिशत	31	28
साक्षरता दर	प्रतिशत	74	71
लिंगानुपात* (स्त्री प्रति हजार पुरुष)	अनुपात	940/1000	930/1000

स्रोत: 2011 की जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार

1.2 प्रशासनिक व्यवस्थाएँ

मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों को अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सौंपे गये कार्यों के निर्वहन के लिए, राज्य के प्राधिकारियों को पर्यवेक्षण की शर्तों पर समस्त शक्तियाँ प्राप्त हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शहरी नगरीय निकाय की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है :-

¹ इससे अभिप्राय है कि राज्यपाल द्वारा निर्धारित किये जा सकने वाले जनसंख्या घनत्व, राजस्व उत्पत्ति, कृषि गतिविधियों, आर्थिक महत्व आदि



1.3 वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा योजना का क्रियान्वयन

वर्ष 2012-13 के दौरान 70 नगरीय स्थानीय निकायों (10 नगर पालिक निगम, 20 नगर पालिका परिषद एवं 40 नगर परिषद) में से 57 नगरीय स्थानीय निकायों (9 नगर पालिक निगम, 16 नगर पालिका परिषद, 32 नगर परिषद) के लेखा एवं अभिलेखों की नमूना जांच की गयी। विवरण परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त ठोस अवशिष्ट प्रबंधन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा अगस्त 2012 से अप्रैल 2013 के मध्य 33 नगरीय स्थानीय निकायों में की गयी।

1.4 लेखांकन की व्यवस्थाएँ

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा मैनुअल, जुलाई 2007 प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा 1 अप्रैल 2008 से एक्रूअल आधार पर लेखाओं को संधारित किया जाना था।

आयुक्त नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जुलाई 2013 में दी गयी जानकारी के आधार पर 377 में से 40 नगरीय स्थानीय निकायों में मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा मैनुअल पूर्ण रूप से लागू किया जा चुका है, 15 नगरीय स्थानीय निकायों में लागू किया जाना प्रगति में है तथा शेष 322 नगरीय स्थानीय निकायों में लेखा नियम 1971 के प्रारूप प्रचलन में है (जुलाई 2013)।

अप्रैल 2012 से अगस्त 2013 के मध्य 18 नगरीय स्थानीय निकायों (दो नगर निगम³, नौ नगर पालिका परिषद⁴, सात नगर परिषद⁵) के लेखाओं की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि नगर पालिक निगम, सागर को छोड़कर, मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा मैनुअल के अनुसार लेखे तैयार नहीं किए गये थे।

1.5 लेखापरीक्षा की व्यवस्थाएँ

1.5.1 ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों की संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा (नवंबर 2001) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अधीन लायी गयी। तदनुसार, वर्ष 2012-13 के दौरान नौ नगर पालिक निगम, 16 नगर पालिका परिषद एवं 32 नगर परिषदों की लेखा परीक्षा की गयी तथा निरीक्षण प्रतिवेदन संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु भेजी गयी।

तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट के साथ राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जानी चाहिए। तदनुसार राज्य शासन ने मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन (जनवरी 2012) किया, जो कि वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

1.5.2 भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता दिया जाना

लेखा एवं लेखापरीक्षा नियमावली 2007 की धारा 152, में नगरीय स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान है:

- स्थानीय निधि संपरीक्षक, नगरीय स्थानीय निकायों की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा तथा इसे राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को भेजेगा।
- स्थानीय निधि संपरीक्षक द्वारा नगरीय स्थानीय निकाय की लेखापरीक्षा के विधि एवं प्रक्रिया, प्रदेश के अधिनियम एवं संविधि के अंतर्गत करेगा जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जाये।
- प्रणाली में सुधार एवं सलाह के लिए, निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को प्रेषित की जायेंगी।

³ बुरहानपुर एवं सागर

⁴ अम्बाह, बालाघाट, धनपुरी, हरदा, हाटपिपलिया, मलाजखण्ड, पिपरिया, राऊ एवं शिवपुरी

⁵ अकोदिया, भैंसदेही, निवाड़ी, ओरछा, पंधाना, पिपलौदा एवं शाहगंज

- स्थानीय निधि संपरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की निरीक्षण प्रतिवेदनों की कण्डिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

हमने देखा कि वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा तैयार कर लेखापरीक्षा को प्रेषित किया गया।

संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के मध्य एक बैठक मई 2014 में आयोजित की गई जिसमें लेखा एवं लेखा परीक्षा नियमावली 2007 की धारा 152 के उपरोक्त प्रावधानों को पालन किए जाने की सहमती हुई।

1.6 राजस्व के स्रोत

मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 105 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 87 के प्रावधानों के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों में आय के दो मुख्य स्रोत, सरकारी अनुदान तथा स्वयं का राजस्व है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं

- 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत सौंपा गया अनुदान;
- तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विभाजकीय कर राजस्व का चार प्रतिशत;
- राज्य शासन या अन्य स्रोतों से राज्य शासन की पूर्व अनुमति से ऋण।

1.7 बजट आवंटन एवं व्यय

राज्य सरकार द्वारा बजट के माध्यम से वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक नगरीय स्थानीय निकायों को निधियों (राज्य के कर राजस्व में अंश, योजना निधि तथा अनुदान आदि) का आवंटन निम्नानुसार था:

तालिका क्रमांक-1 शहरी स्थानीय निकाय के अनुदान की प्राप्ति एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

बजट आवंटन				व्यय			अव्ययित शेष (4-7)
वर्ष	राजस्व	पूँजीगत	कुल	राजस्व	पूँजीगत	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
2008-09	2263.38	355.24	2618.62	2112.90	205.42	2318.32	300.30
2009-10	2878.76	391.83	3270.59	2726.60	208.55	2935.14	335.45
2010-11	3577.21	323.15	3900.36	2983.60	202.64	3186.24	714.12
2011-12	4148.30	208.00	4356.30	3743.23	152.54	3895.77	460.53
2012-13	5271.89	215.09	5486.98	4879.63	138.50	5018.13	468.85
कुल	18139.54	1493.31	19632.85	16445.96	907.65	17353.60	2279.25

स्रोत- विस्तृत विनियोग अनुदान (अनुदान संख्या 22,53,68 और 75)

यद्यपि हमने देखा कि आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोतों की प्राप्ति एवं व्ययों का विवरण संधारित नहीं किया गया। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 116 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 98 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों के सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को शामिल करते हुये बजट अनुमान तैयार कर राज्य शासन को भेजा जाना आवश्यक था।

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बताया कि (जुलाई 2013) उक्त को संग्रहीत किया जाकर लेखापरीक्षा को भेजा जाएगा। जानकारी अप्राप्त है (मई 2014)।

1.8 निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया कण्डिकाओं की स्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान, 57 नगरीय स्थानीय निकायों के लेखा एवं अभिलेखों की नमूना जांच की जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन, तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता व्यवस्था के अंतर्गत, तकनीकी मार्गदर्शन हेतु संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को भेजा गया। स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लंबित लेखापरीक्षा कण्डिकाओं के आगामी कार्यवाही की जानी थी। यद्यपि, हमने देखा कि मार्च 2013 के अंत में 654 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 5732 कण्डिकाएँ (वर्ष 2012-13 के दौरान जारी 61 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 603 कण्डिकाओं सहित) निराकरण हेतु लंबित थीं।

1.9 बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम, 1971 के नियम 97-98 के अनुसार रोकड़ बही के अंत शेष एवं बैंक लेखों के मध्य अंतर का मिलान, समाधान विवरण पत्रक तैयार कर प्रत्येक माह किया जाना चाहिये।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान (जून से सितम्बर 2013) यह पाया गया कि दिनांक 31 मार्च 2013 को सात नगरीय स्थानीय निकायों (दो नगर पालिकाएँ एवं पाँच नगर परिषद) के बैंक शेष, रोकड़ बही शेष के तुलना में ₹0.64 करोड़ कम था और 13 नगरीय स्थानीय निकायों (एक नगर पालिक निगम, 6 नगर पालिका परिषद एवं 6 नगर परिषद) में बैंक शेष रोकड़ बही के शेष की तुलना में ₹4.38 करोड़ अधिक था। विवरण परिशिष्ट 1.2 में दर्शाया गया है। यद्यपि, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अंतर का मिलान नहीं किया गया।

रोकड़ पंजी का बैंक शेष से मिलान कर समाधान विवरण पत्रक तैयार नहीं किये जाने से राशि के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1.10 कर राजस्व/गैर कर राजस्व वसूली नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 87 के अनुसार, नगरीय स्थानीय निकाय स्वयं के स्रोतों जैसे कर, किराया तथा लाइसेंस जारी किये जाने इत्यादि से राजस्व अर्जित करते हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 29 नगरीय स्थानीय निकायों (छः नगर पालिक निगम⁶, 15 नगर पालिका परिषद⁷ एवं आठ नगर परिषद⁸) में राशि ₹121.55 करोड़ कर राजस्व (संपत्ति कर) 31 मार्च 2013 तक अप्राप्त था। विवरण **परिशिष्ट 1.3(क)** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त भवनों एवं दुकानों का किराया एवं प्रीमियम राशि ₹ 4.54 करोड़, दिनांक 31 मार्च 2013 को वसूली हेतु लंबित थी। विवरण **परिशिष्ट 1.3 (ख)** में दर्शाया गया है। इन नगरीय स्थानीय निकायों के अतिरिक्त तीन नगर पालिक निगम, बुरहानपुर, इन्दौर और सतना का संपत्ति कर राशि ₹552.73 करोड़, 31 मार्च 2013 को वसूली हेतु बकाया था। इन नगर पालिक निगमों के संपत्ति कर मांग, संग्रहण और बकाया वसूली संबंधी चर्चा इस प्रतिवेदन के कंडिका क्रमांक 2.1 में दर्शायी गयी है।

इसी प्रकार पाँच नगर पालिक निगम⁹, 13 नगर पालिका¹⁰ एवं 5 नगर परिषदों¹¹ में (गैर कर राजस्व की राशि ₹136.95 करोड़, 31 मार्च 2013 को अप्राप्त थी। विवरण **परिशिष्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बकायों की वसूली हेतु, उपरोक्त अधिनियम की धारा 173 से 183 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही नहीं की गयी।

यह इंगित किये जाने पर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उत्तर में बताया (अप्रैल 2012 एवं सितम्बर 2013) गया कि वसूली की जायेगी। अद्यतन स्थिति की जानकारी दिसम्बर 2013 में मांगी गयी, जो अप्राप्त है।

1.11 व्यक्तिगत एवं एजेन्सियों को दिये गये अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 112(2) दर्शाता है कि जब तक व्यय एक माह के अंदर किया जाना संभावित न हो तब तक किसी भी प्रकार के अग्रिम का आहरण नहीं किया जाना चाहिये।

17 नगरीय स्थानीय निकायों (आठ नगर पालिक निगम¹², चार नगर पालिका परिषद¹³ और पाँच नगर परिषद¹⁴) के अभिलेखों की नमूना जांच (2012-13) में पाया गया कि

⁶ भोपाल, खण्डवा, जबलपुर, रतलाम, सागर एवं सतना

⁷ अम्बाह, बालाघाट, धनपुरी, डोंगरपरासिया, हरदा, हाटपिलिया, खांड, लोहरदा, मलाजखण्ड, मंडलेश्वर, पचौर, पिपरिया, राजगढ़, सुजालपुर एवं वारासिवनी

⁸ अकोदिया, बड़कुही, मक्सी, मानपुर, निवाड़ी, पंधाना, पिपलौदा एवं राजगढ़(धार)

⁹ भोपाल, जबलपुर, खण्डवा, रतलाम एवं सतना

¹⁰ अम्बाह, बालाघाट, धनपुरी, डोंगर, परासिया, हरदा, हाटपिलिया, लौहरदा, मलाजखण्ड, मण्डलेश्वर, पिछौर, पिपरिया, सुजालपुर एवं वारासिवनी

¹¹ अकोदिया, मक्सी, मानपुर, पंधाना एवं पिपलौदा

¹² भोपाल, बुरहानपुर, सागर, सतना, रतलाम, उज्जैन, खण्डवा एवं जबलपुर

व्यक्तिगत एवं एजेन्सियों को अक्टूबर 1987 से फरवरी 2013 तक प्रदाय की गई अस्थायी अग्रिम राशि ₹7.59 करोड़, 31 मार्च 2013 को असमायोजित रही। विवरण परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है।

संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा बताया गया (सितम्बर 2012 से सितम्बर 2013) कि अग्रिमों की वसूली की जायेगी। अद्यतन स्थिति मांगी गयी (दिसम्बर 2013), उत्तर अप्राप्त रहा।

1.12 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को जारी तथा उपयोग किया गया अनुदान

नगरीय स्थानीय निकायों को राज्यों की संचित निधि के आवर्द्धन से संसाधनों की पूर्ति हेतु 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसायें की गईं। इस संबंध में 13वें वित्त आयोग के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को सामान्य क्षेत्र अनुदान वर्ष 2010-15 की अवधि के लिए तथा उन राज्यों के लिए जो इसको जारी करने की शर्तों को पूरा करते हैं, निष्पादन अनुदान वर्ष 2011-12 से उपलब्ध रहेगा।

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2012-13 में राज्य शासन को प्राप्त जारी केन्द्रीय अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका-2: राज्य सरकार द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/नगरीय स्थानीय निकायों को प्राप्ति एवं जारी अनुदान

(₹ करोड़ में)	
अनुदान का विवरण	राशि
सामान्य मूल अनुदान	198.08
विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	3.94
विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	3.94
योग	205.96

(स्रोत- वित्त विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार)

➤ निष्पादन अनुदान जारी किये जाने हेतु एक शर्त यह थी कि नेशनल एकाउन्टिंग मैनुअल में दिये गये लेखांकन प्रपत्र एवं कोडीकरण पद्धति का सभी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पालन किया जायेगा। हमने 17 नगरीय स्थानीय निकायों¹⁵ के नमूना जांच में पाया कि नेशनल एकाउन्टिंग मैनुअल के अनुसार लेखे तैयार नहीं किए जा रहे हैं।

➤ 13वें वित्त आयोग की दिशा निर्देशों की कंडिका 6.4.10 के अनुसार सभी नगर पालिक निगम एवं नगर पालिकाओं द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति (31 मार्च) पर चार सेवा विभागों जैसे जल प्रदाय, सिवरेज, गंदा जल प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सेवा मानक (घोषित न्यूनतम सेवा स्तर) अगले वित्त वर्ष की समाप्ति (31 मार्च) तक पालन

13 हाटपिलिया, धनपुरी, बालाघाट एवं मलाजखण्ड

14 अकोदिया, राजगढ़, निवाड़ी, पंधाना एवं ओरछा

15 अम्बाह, अकोदिया, बालाघाट, भैंसदेही, बुरहानपुर, धनपुरी, हरदा, हाटपिलिया, मलाजखण्ड, निवाड़ी, ओरछा, पंधाना, पिपरिया, पिपलौदा, राउ, शाहगंज एवं शिवपुरी

हेतु अधिसूचित करेगा। राज्य शासन के राजपत्र में भी अधिसूचित किया गया है कि उक्त शर्तों का पालन प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च से पूर्व किया जाये।

11 नगरीय स्थानीय निकायों की नमूना जांच में हमने पाया कि छः स्थानीय नगरीय निकायों¹⁶ में अधिसूचना/घोषणा जारी नहीं की गयी। इसे इंगित किए जाने (सितम्बर 2013) पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने कहा कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से सलाह के उपरांत कार्यवाही की जायेगी।

विषयवस्तु शासन के ध्यान में लाई गई (नवंबर 2013); प्रतिउत्तर अप्राप्त रहा (मई 2014)।

हमने यह भी देखा कि वित्त विभाग ने 13वें वित्त आयोग की प्राप्त राशि ₹205.96 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राशि नगरीय स्थानीय निकायों को जारी करने के आधार पर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा वास्तविक उपयोग की राशि को सुनिश्चित किये बिना प्रेषित किए गए। आगे हमने पाया कि नमूना जांच किये गये 11 नगरीय स्थानीय निकायों¹⁷ को वर्ष 2012-13 में जारी की गई राशि ₹ 6.24 करोड़ में से राशि ₹ 1.81 करोड़ 31 मार्च 2013 को अव्ययित पड़ी हुई थी। इस प्रकार वर्ष के दौरान भारत सरकार को संपूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाना सही नहीं था।

वस्तु स्थिति सचिव, वित्त विभाग को अक्टूबर एवं दिसम्बर 2013 में सूचित की गयी; प्रतिउत्तर अप्राप्त रहा (मई 2014)।

1.13 निष्कर्ष

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा मैनुअल के अनुसार निर्धारित प्रारूपों में नगरीय स्थानीय निकायों के लेखे संधारित नहीं किए गए। नगरीय स्थानीय निकायों की प्राप्ति एवं व्यय की जानकारी संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में संधारित नहीं की गयी। बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार न किये जाने से नगरीय स्थानीय निकायों के रोकड़ पुस्तक एवं बैंक शेषों में अंतर रहा, जिससे निधि के कपटपूर्ण दुरुपयोग की संभावना है। राजस्व कर एवं गैर राजस्व कर की विशिष्ट राशि वसूली हेतु लंबित थी। व्यक्तिगत एवं एजेन्सियों को प्रदाय अस्थाई अग्रिम लंबी अवधि से असमायोजित/अवसूलीकृत रहे। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरीय स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों के वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित किये बिना, भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे गये।

¹⁶ अमरकंटक, अम्बाह, जैतहरी, नौरोजाबाद, पाली एवं उमरिया

¹⁷ अम्बाह, अमरकंटक, अनूपपुर, बड़कुही, वारासिवनी, बैरसिया, जैतहरी, नौरोजाबाद, पाली, पासान एवं उमरिया

अध्याय - दो लेनदेनों की लेखापरीक्षा

2.1 नगर पालिक निगमों द्वारा सम्पत्तिकर की वसूली कम/नहीं किया जाना

संपत्तियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य के आंकलन तथा संपत्ति कर के स्व निर्धारण की जांच हेतु दो नगर पालिक निगमों द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया गया। पांच नगर पालिक निगमों द्वारा संपत्ति कर उद्गृहीत करने में कमी रही, 31 मार्च 2013 की स्थिति में संपत्ति कर राशि ₹561.18 करोड़ की वसूली लंबित रही

सम्पत्तिकर नगर पालिक निगमों में आय के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। निगम सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग में सम्पत्तिकर, वार्षिक भाड़ा मूल्य के छः प्रतिशत से दस प्रतिशत के मध्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिरोपित करने हेतु सक्षम है। नगर पालिका क्षेत्र का प्रत्येक भवन या भूमि स्वामी अपनी सम्पत्ति का वार्षिक भाड़ा मूल्य और उस पर देय सम्पत्तिकर की राशि की स्वयं गणना कर निर्धारित समय सीमा के भीतर नगर निगम में जमा करेगा।

आयुक्त कर संधारण के आशयों के लिये वार्षिक भाड़ा मूल्य के आंकलन हेतु पांच वर्ष में कम से कम एक बार नगर के प्रत्येक भाग की सर्वेक्षण के लिये व्यवस्था करेगा। पांच नगर पालिक निगमों (कुल 14 में से) द्वारा सम्पत्तिकर की वसूली कम/नहीं किया जाना

➤ **सम्पत्तिकर के आंकलन हेतु सर्वेक्षण** - मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 143 (3) में वर्णित प्रावधानानुसार आयुक्त, सम्पत्तियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य के आंकलन हेतु पांच वर्ष में कम से कम एक बार नगरीय क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिये व्यवस्था करेगा। भवन तथा भूमि स्वामियों द्वारा किये गये सम्पत्तिकर के स्व निर्धारण की जांच हेतु भी सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है।

संपत्ति कर के आंकलन हेतु दो नगर पालिक निगमों में सर्वेक्षण नहीं किया गया

पांच नगर पालिक निगमों के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2013) के दौरान हमने पाया कि नगर निगम बुरहानपुर तथा सागर द्वारा विगत 10 वर्षों से संपत्ति कर निर्धारण हेतु सर्वेक्षण नहीं किया गया। नगर पालिक निगम भोपाल, इन्दौर तथा सतना द्वारा सर्वेक्षण किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर आयुक्त, नगर निगम सागर ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि निगम परिषद द्वारा वर्ष 2011-12 में सम्पत्तिकर पुनर्निर्धारण करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्ष 2013-14 में जी.आई.एस. सर्वेक्षण के अनुसार सम्पत्तिकर का निर्धारण किया जाना था। आयुक्त नगर निगम बुरहानपुर ने उत्तर में बताया (जून 2013) कि सम्पत्तिकर के आंकलन हेतु सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (भवनों/ भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण) नियमावली 1997 के नियम 10 के अनुसार भवन तथा भूमि स्वामियों द्वारा सम्पत्तिकर स्वनिर्धारण की शुद्धता का सत्यापन तथा नवीन सम्पत्तियों को सम्पत्तिकर के दायरे में लाने हेतु सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक था।

- **सम्पत्तिकर की मांग तथा वसूली:-** पांच नगर पालिक¹ निगमों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि वर्ष 2010 -13 की अवधि में उक्त नगर निगमों द्वारा कुल राशि ₹1017.79 करोड़ की संपत्ति कर की मांग के विरुद्ध राशि ₹456.61 करोड़ वसूली की गई तथा 31 मार्च 2013 की स्थिति में सम्पत्तिकर की राशि ₹561.18 करोड़ वसूली हेतु लम्बित रही।

नमूना जांच किए गये नगर पालिक निगम द्वारा मांग किए गये संपत्ति कर के विरुद्ध वसूली कम रही

हमने आगे पाया (अप्रैल से सितम्बर 2013 तक) कि नगर पालिक निगमों द्वारा सम्पत्तिकर की मांग के विरुद्ध वसूली में कमी रही। सम्पत्तिकर की वसूली की सबसे खराब स्थिति नगर निगम इन्दौर की रही, जो कि वर्ष 2010 -11 से 2012 -13 की अवधि में मांग के विरुद्ध 18.64 प्रतिशत से 20.05 प्रतिशत के मध्य रही। जबकि नगर पालिक निगम भोपाल में वसूली की स्थिति बेहतर रही, जो उक्त अवधि में कुल मांग के विरुद्ध 79.86 प्रतिशत से 84.33 प्रतिशत रही। उक्त स्थिति यह इंगित करती है कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 174 तथा 175 में निहित प्रावधानों के अनुसार सम्पत्तिकर की वसूली हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

इंगित किये जाने पर आयुक्त, नगर पालिक निगमों ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2013) कि लंबित करों की वसूली का प्रयास, शिविर आयोजित कर तथा मांग/वारंट नोटिस जारी कर किये जा रहे थे।

हमने आगे पाया कि वर्तमान वर्ष में लम्बित करों के अंतिम शेष से आगामी वर्ष के प्रारम्भिक शेष में अंतर था, विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर आयुक्त नगर निगम भोपाल तथा सागर ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2013) कि कुछ करदाताओं द्वारा सम्पत्तिकर का निर्धारण समय से नहीं किया गया जिससे उस राशि को आगामी वर्ष की मांग में सम्मिलित कर लिया जाता। आयुक्त, नगर पालिक निगम बुरहानपुर तथा इन्दौर ने उत्तर दिया कि नगरीय क्षेत्र में सम्पत्तिकर का पुनः निर्धारण होने से पूर्व शेष में अधिक मांग दिखती है। आयुक्त, नगर पालिक निगम सतना ने उत्तर में बताया कि अंतर के कारणों की जांच कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

प्रत्येक वर्ष ऑकड़ों में विशिष्ट अंतर यह इंगित करता है कि सम्पत्तिकर अधिरोपण एवं वसूली के लेखे इन नगर निगमों द्वारा उचित रूप से संधारित नहीं किये गये जिसके फलस्वरूप राजस्व वसूली में विलम्ब होना सम्भव हुआ है।

- **लम्बे समय से वसूली लम्बित रहना:-** मध्य प्रदेश पालिक निगम 1956 की धारा 173 में निहित प्रावधानानुसार जब कोई धन नगर की सीमाओं के भीतर अधिरोपित किसी कर के कारण देय हो तो आयुक्त, उसके भुगतान के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध मांगी गई धनराशि के लिए, देयक प्रस्तुत करवायेगा।

¹ नगर निगम भोपाल, बुरहानपुर, इंदौर, सागर एवं सतना

यदि वह व्यक्ति ऐसे सूचना पत्र के निर्वाह से तीस दिन के भीतर सूचना पत्र में मांग की गई धनराशि का भुगतान न करे या मांग के विरुद्ध धारा 184 के आदेशों के अनुसार अपील प्रस्तुत न करे, तो वसूली के समस्त व्ययों सहित ऐसी धन राशि में शक्ति पत्र के अधीन जो धारा 175 के अंतर्गत आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित होगा, ऐसे व्यक्ति की चल सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा विक्रय द्वारा एवं उसकी अचल सम्पत्ति के आसेध तथा विक्रय द्वारा वसूल की जा सकेगी।

संपत्ति कर की विशिष्ट राशि दो से 18 वर्षों से वसूली हेतु लंबित थी

चार नगर पालिक² निगमों में हमने पाया कि 31 मार्च 2013 की स्थिति में विगत दो से 18 वर्षों से 174 सम्पत्तिकर दाताओं की सम्पत्तिकर की राशि ₹ 6.58 करोड़ वसूली हेतु लम्बित थी। विवरण परिशिष्ट 2.2 में दिया गया है।

नगर निगम इन्दौर में हमने पाया कि 31 मार्च 2014 की स्थिति में राशि ₹ एक लाख से अधिक के सम्पत्तिकर कुल 4737 सम्पत्ति धारकों से राशि ₹ 196.64 करोड़ वसूली हेतु लम्बित थे। नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा अवधिवार लंबित वसूली का विवरण संघारित नहीं किया गया। अत्यधिक मात्रा में संपत्ति कर की वसूली लंबित रहना यह इंगित करता है कि सम्पत्तिकर दाताओं से वसूली हेतु प्रावधानों के अनुसार प्रभावी कदम नहीं उठाये गये।

आपत्ति लिये जाने पर नगर पालिक निगमों के आयुक्तों ने उत्तर में बताया कि लम्बित सम्पत्ति की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

सत्यता यह है कि प्रभावी कदम नहीं उठाये जाने के कारण अत्यधिक संपत्तिकर दो से 18 वर्षों की अवधि के लंबित हैं।

2.2 संग्रहित राजस्व को तत्काल जमा करने में असफल रहना

नगर पंचायत पेटलाबाद द्वारा संग्रहित राजस्व राशि ₹91,480 का विलंब से प्रेषण एवं प्राप्त राशि ₹ 26,380 को बैंक में जमा नहीं करना।

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम, 1971 का नियम 74 और 77 बताता है कि रोकड़िया या इस हेतु नामित अन्य पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह दैनिक संग्रहण पंजी का मिलान, रसीद पुस्तक की प्रतिपण से करेगा। संग्रहण उपरांत राशि का प्रेषण बैंक को एक दिन के अंदर करेगा। मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी यह समाधान करेंगे कि उपरोक्त नियम का पालन हो रहा है।

नगर पंचायत, पेटलाबाद की रसीद पुस्तक की प्रतिपण, दैनिक संग्रहण पंजी और रोकड़ बही की नमूना लेखापरीक्षा अवधि, अप्रैल 2010 से मार्च 2012 तक की जांच (जुलाई 2012) एवं पुनः जानकारी प्राप्त (अगस्त 2013) करने पर पाया कि नगर पंचायत, पेटलाबाद द्वारा राशि ₹91,480 जो दुकानों का किराया और जल शुल्क के रूप में 31 मार्च 2011 को संग्रहित की गई थी, लेकिन उक्त राशि³ अप्रैल 2011 एवं सितम्बर 2011 के मध्य 6 दिन से 165 दिन विलंब से जमा की गयी। इसके अतिरिक्त राशि

² भोपाल, बुरहानपुर, सागर एवं सतना

³ ₹ 91,480 दिनांक 31.3.2011 को प्राप्त की गई जो दिनांक 7.4.2011(₹60,000), दिनांक 18.4.2011(₹ 19,000) एवं दिनांक 16.9.2011(₹12,480) को जमा की गई।

₹26,380⁴ जो दुकानों का किराया एवं जल शुल्क के रूप में मार्च 2011 एवं मार्च 2012 में संग्रहित की गई थी को बैंक में जमा नहीं/कम किया गया।

प्राप्तियों को जमा नहीं करना, व्यक्तिगत उपयोग की संभावना पैदा करती है। अतः प्राप्तियों को शीघ्र प्रेषण का नियम, के पालन में सर्तकता होनी चाहिये। यहाँ दोषी पदाधिकारियों से उनके कृत निवारण हेतु उच्च दर से ब्याज वसूल करने की आवश्यकता है।

प्रकरण ध्यान में लाये जाने (अगस्त 2013 एवं मई 2014) पर शासन द्वारा प्रकरण जांच में होना अवगत कराया गया।

2.3 विद्युत शुल्क पर परिहार्य व्यय

नगर पालिक निगम देवास द्वारा जल परिशुद्धि संयंत्र के उच्च दाब विद्युत कनेक्शन पर, 90 प्रतिशत या उससे अधिक माहवार पावर फैक्टर बनाए रखना सुनिश्चित नहीं करने से शास्ति के रूप में राशि ₹23.42 लाख का भुगतान।

उच्च दाब के लिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामान्य नियम और शर्तों की कंडिका 1.13 के अनुसार, यदि उपभोक्ता के औसत मासिक पावर फैक्टर 90 प्रतिशत से नीचे रहे तो 90 प्रतिशत से कम औसत पावर फैक्टर होने पर मासिक बिल पर प्रत्येक एक प्रतिशत कम के लिए एक प्रतिशत, एवं 85 प्रतिशत से नीचे रहने पर प्रत्येक एक प्रतिशत कम होने पर दो प्रतिशत शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है।

नगर पालिक निगम, देवास की मई 2009 से जुलाई 2013 की नमूना जांच लेखापरीक्षा (मार्च 2013) एवं पुनः जानकारी प्राप्त (सितम्बर 2013) करने पर हमने पाया कि देवास शहर को पेयजल प्रदाय करने हेतु राजानाल तालाब पर स्थित जल परिशुद्धि संयंत्र के माहवार विद्युत कनेक्शन में औसत पावर फैक्टर की सीमा बनाए नहीं रखी गई थी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मई 2009 से जुलाई 2013 के विद्युत बिलों पर, पावर फैक्टर की निर्धारित सीमा बनाए नहीं रखने के कारण शास्ति राशि ₹17.89 लाख अधिरोपित की। नगर पालिक निगम, देवास द्वारा संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया। आयुक्त, नगर पालिक निगम, देवास ने अवगत कराया कि कैंपीसीटर ठीक से काम नहीं करने के कारण वोल्टेज अनियमित रहता है परिणामस्वरूप निम्न पावर फैक्टर उत्पन्न होता है।

आगे हमने (सितम्बर 2013) पाया कि दूसरा कनेक्शन, जो शिप्रा जल परिशुद्धि संयंत्र में भी औसत पावर फैक्टर की सीमा को फरवरी 2010 से जून 2013 तक बनाए नहीं रखा गया, परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत बिलों पर राशि ₹ 5.53 लाख की शास्ति अधिरोपित की गई। इस तरह निम्न पावर फैक्टर उत्पन्न हो जाने के कारण परिहार्य व्यय के रूप में राशि ₹ 23.42 लाख का भुगतान उपरोक्त दोनों कनेक्शन के लिए नगर पालिक निगम, देवास को करना पड़ा जिसका विवरण परिशिष्ट - 2.3 में दिया गया है।

⁴ राशि कम जमा करना ₹670(₹15670 जो दिनांक 31.3.2011 को प्राप्त की गई थी उक्त राशि के विरुद्ध 15,000 जमा कि गई) और राशि जमा न करना ₹10,285 , ₹6,680 और ₹8,745 जो दिनांक 2.3.2012, 7.3.2012 और 15.3.2012 को क्रमशः प्राप्त की गई थी।

आयुक्त ने (सितम्बर 2013) अवगत कराया कि पावर फैक्टर के सुधार के लिए केपीसीटर को जुलाई 2013 में बदला जा चुका है। यह सुधार लेखापरीक्षा द्वारा (मार्च 2013) आपत्ति ध्यान में लाने पर किया गया। जुलाई 2013 के बाद निम्न पावर फैक्टर के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई। इस तरह केपीसीटर लगाने का आवश्यक कदम विलंब से उठाने के कारण नगर पालिक निगम देवास को शास्ति के रूप में परिहार्य भुगतान राशि ₹ 23.42 लाख करना पड़ा।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (दिसम्बर 2013 एवं मई 2014) एवं अवगत कराया कि नगर पालिक निगम देवास पावर फैक्टर नहीं बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

2.4 अस्थाई विद्युत कनेक्शन के कारण विद्युत प्रभार का अतिरिक्त भुगतान

नगर पालिक निगम, देवास द्वारा जल शुद्धिकरण संयंत्र के लिए स्थाई विद्युत कनेक्शन के स्थान पर अस्थाई विद्युत कनेक्शन की सुविधा लगातार रखने के कारण अतिरिक्त विद्युत राशि ₹ 47.26 लाख का भुगतान किया गया।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा उच्च दाब के लिए जारी सामान्य नियम एवं शर्तों की कंडिका 1.17 के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता को अस्थाई अवधि के लिए विद्युत आपूर्ति का कनेक्शन आवश्यक हो तो अलग सेवा मानी जायेगी। अस्थाई कनेक्शन के लिए विद्युत प्रभार स्थाई कनेक्शन का 1.3 गुणा दर से पूरे माह अथवा उसके किसी भाग के लिए वसूल किया जायेगा। मांग, संविदा मांग से अधिक होने पर स्थाई प्रभार, सामान्य प्रभार का 1.5 गुणा वसूल किया जाएगा।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा नगर पालिक निगम देवास के अधीनस्थ राजानल तालाब पर स्थित जल शुद्धिकरण संयंत्र के लिए एक अस्थाई विद्युत कनेक्शन तीन माह के लिए स्वीकृत किया गया (नवंबर 2008)। नगर पालिक निगम देवास के अनुरोध पर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कनेक्शन को दो बार (नवम्बर 2009 और नवम्बर 2012) पुनः स्वीकृत किया जो सितम्बर 2013 तक संचालित रहा। जबकि नगर पालिक निगम देवास ने अस्थाई कनेक्शन को स्थाई कनेक्शन में परिवर्तित करने के लिए कई बार (अप्रैल, मई और जून 2009, अगस्त 2010, जनवरी 2011, मई और अगस्त 2012) आग्रह किया। उक्त आग्रह को मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अस्वीकार, इस तर्क के साथ किया गया कि शिप्रा जल शुद्धिकरण संयंत्र (स्थाई कनेक्शन) के बकाया बिलों का भुगतान नगर पालिक निगम देवास द्वारा नहीं किया गया था।

नगर पालिक निगम देवास के लेखाओं की नमूना जांच (मार्च 2013) और पुनः जानकारी प्राप्त (सितम्बर 2013) करने पर हमने देखा कि नगर पालिक निगम देवास द्वारा मई 2009 से अगस्त 2013 तक स्थाई विद्युत कनेक्शन के स्थान पर अस्थाई विद्युत कनेक्शन रखने से मासिक देयकों पर राशि ₹ 47.26 लाख⁵ (परिशिष्ट 2.4) का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

⁵ अस्थाई कनेक्शन के लिये कुल राशि ₹123.77 लाख, स्थायी कनेक्शन के सामान्य प्रभार राशि ₹76.51 लाख के विरुद्ध अधिरोपित किया गया

आपत्ति इंगित करने पर, आयुक्त, नगर पालिक निगम देवास द्वारा अवगत कराया गया कि दूसरे विद्युत कनेक्शन के विद्युत प्रभार शिप्रा जल की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण राजानल तालाब जल शुद्धिकरण संयंत्र का अस्थाई विद्युत कनेक्शन को स्थाई नहीं किया गया। साथ ही आयुक्त ने अवगत कराया (सितम्बर 2013) कि प्रकरण को शासन से निर्णय हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

उत्तर युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि जल प्रदाय जैसे स्थाई प्रकृति के कार्य के लिए लगातार अस्थाई विद्युत कनेक्शन रखने से राशि ₹ 47.26 लाख का अतिरिक्त व्यय किया गया जो नगर पालिक निगम देवास की लापरवाही को दर्शाता है।

इसे इंगित किए जाने (अगस्त 2013 एवं मई 2014) पर शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया कि अस्थाई कनेक्शन को 18 अक्टूबर 2013 से स्थाई कनेक्शन में परिवर्तित किया जा चुका है।

भाग - 2 पंचायती राज संस्थाएँ

अध्याय - तीन पंचायती राज संस्थाओं के वित्त एवं लेखाओं पर विहंगावलोकन

3.1 प्रस्तावना

सबसे निचले स्तर पर स्वायत्ता को बढ़ावा देने और ग्राम सभा से जुड़े विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं पहचान दिलाने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 (छ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुये राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक समझे और ऐसा नियम अधिकारों और शक्तियों के उचित स्तर पर पंचायतों को हस्तांतरण के लिये विनिर्दिष्ट की जाये। निम्नलिखित के संबंध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिये उपबंध किये जा सकेंगे:

- (क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजनाएँ तैयार करना; एवं
- (ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को, जो उन्हें सौंपी जाये, जिसके अंतर्गत वे स्कीमों में भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची¹ में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, को क्रियान्वित करना।

इसी प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 243(ज) के प्रावधानों के अनुसार राज्य का विधान मण्डल:

- (क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुये कर, शुल्क, पथकर और फीसों विनियोजित और संग्रहित करने के लिये किसी पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा;
- (ख) ऐसे प्रयोजनों के लिये और ऐसी शर्तें तथा सीमाओं के अधीन रहते हुये राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसों किसी पंचायत को सौंपा जा सकेगा;
- (ग) पंचायतों के लिये राज्य की संचित निधि से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिये उपबंध कर सकेगा; एवं
- (घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनो के जमा करने के लिये ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिये भी उपबंध कर सकेगा जो विधि में विनिर्दिष्ट किये गए हों।

परिणामतः मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं हेतु निम्नानुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ स्थापित की गईं।

- जिला स्तर पर जिला पंचायत

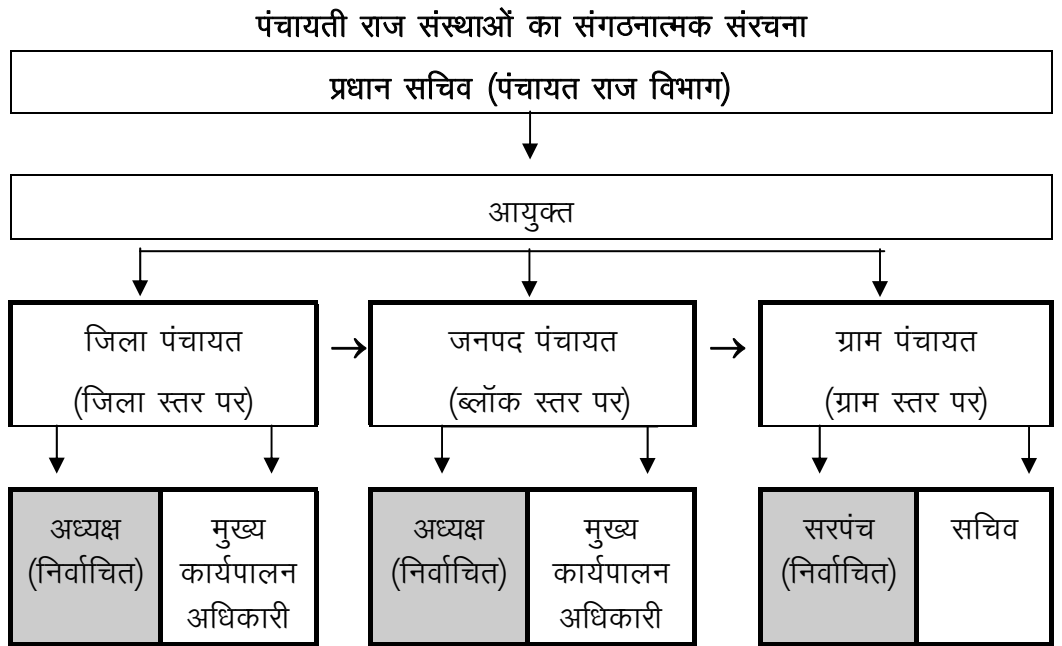
¹ संविधान के अनुच्छेद 243 जी एवं एच (73वाँ संविधान संशोधन) अधिनियम, 1992

- ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत
- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

वर्तमान में, राज्य में 50 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें, और 23006 ग्राम पंचायतें (जुलाई 2013) हैं।

3.2 प्रशासनिक व्यवस्थाएँ

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अध्याय 3 के अनुसार राज्य सरकार की निगरानी के अधीन नियमों तथा अधिनियमों में प्रदत्त कार्यों का निष्पादन करने हेतु सभी पंचायती राज संस्थायें स्वतंत्र कानूनी प्राधिकारी हैं। राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर कार्य संचालन हेतु संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है :-



3.3 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ

पंचायती राज संस्थाएँ	उत्तरदायित्व
जिला पंचायत	जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों को मार्गदर्शन, मूल्यांकन और उनकी गतिविधियों का पर्यवेक्षण
जनपद पंचायत	राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को स्थानांतरित किये गये विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रमों एवं प्रोजेक्टों को ग्राम पंचायतों तथा क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित कराना, निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण और प्रबंधन करना।
ग्राम पंचायत	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा कानून के तहत प्रदान किये गये प्रोजेक्ट कार्य और योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

जिला तथा जनपद पंचायत की स्थायी समितियाँ
अ) सामान्य प्रशासन समिति
ब) कृषि समिति
स) शिक्षा समिति
द) सूचना एवं कार्य समिति
ई) सहयोग और औद्योगिक समिति

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ
अ) सामान्य प्रशासन समिति
ब) विनिर्माण एवं विकास समिति
स) शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर पंचायत राज संचालनालय ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर उपरोक्त समितियाँ गठित की गयी हैं।

3.4 वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा योजना का क्रियान्वयन

राज्य की 23,371 पंचायती राज संस्थाओं (दो संचालनालय, 50 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत, 23006 ग्राम पंचायतों) में से 2078 पंचायती राज संस्थाओं (दो संचालनालय, 37 जिला पंचायत, 157 जनपद पंचायत, 1882 ग्राम पंचायतों) को वर्ष 2012-13 के लेखापरीक्षा कार्यक्रम में शामिल किया गया था। यद्यपि, वर्ष 2012-13 के दौरान 606 पंचायती राज संस्थाओं (दो संचालनालय, 33 जिला पंचायत, 117 जनपद पंचायत, 454 ग्राम पंचायतों) के अभिलेखों की जांच (परिशिष्ट 3.1) की गयी। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च 2012 से जून 2012 तक 329 पंचायती राज संस्थाओं में की गई।

3.5 लेखांकन व्यवस्था

3.5.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लेखाओं का संधारण
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं पंचायत राज मंत्रालय (भारत सरकार) के लेखांकन रूपरेखा एवं कोडीकरण पद्धति के लिए, मॉडल पंचायत लेखांकन पद्धति 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने के लिए तैयार किया गया। म0प्र0 शासन ने मॉडल लेखांकन पद्धति को अगस्त 2010 से स्वीकार किया।

आयुक्त, पंचायती राज संस्थाएँ ने बताया (जुलाई 2013) कि लेखाओं का संधारण 2011-12 में प्रारंभ किया था, किन्तु प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी तथा जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर इंटरनेट सुविधा अनुपलब्ध होने के कारण, लेखाओं के संधारण में गति नहीं लायी जा सकी।

35 पंचायती राज संस्थाओं (सात जिला पंचायत², 22 जनपद पंचायत³, छः ग्राम पंचायत⁴) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मॉडल पंचायत लेखांकन पद्धति के प्रारूपों में लेखाओं को संधारित नहीं किया गया।

² अलीराजपुर, बड़वानी, दतिया, डिण्डौरी, इंदौर, सागर एवं शाहजापुर

³ अमला, अनुपपुर, बजाग, वानखेड़ी, बिरसा, छै:गांवमाखन, दतिया, देवपालपुर, देवरी, डौनडोरी, गरौद, करेली, केसली, खरगौन, खोरई, सोहागपुर, लालबर्सा, मंदसौर, पोहरी, राजपुर, सेंगवा एवं सुसनेर

⁴ चिखली-जमुनिया, चिमाधाना, डोमा, गोलनी, जनकपुर, निवाड़ी

3.5.2 पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक बजट

मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, की धारा 73 के अनुसार सभी त्रिस्तरीय पंचायतों को बजट अनुमान नियम 1997 के अनुसार वार्षिक बजट तैयार करना चाहिये। बजट निर्धारित तिथि को संबंधित नियमों⁵ के अनुसार निश्चित समय में तैयार किये जाने चाहिये।

लेखापरीक्षा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वार्षिक बजट तैयार एवं स्वीकृति की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर पंचायत राज संचालनालय ने अवगत कराया कि आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है (मई 2014)।

22 पंचायती राज संस्थाओं (सात जिला पंचायत⁶, 14 जनपद पंचायत⁷ एवं एक ग्राम पंचायत⁸) के लेखों की नमूना जांच (फरवरी-सितम्बर 2013) में हमने पाया कि तीन जिला पंचायत⁹, तीन जनपद पंचायत¹⁰ द्वारा वार्षिक बजट तैयार नहीं किए गए तथा अन्य जिला पंचायत और जनपद पंचायत ने अपना वार्षिक बजट विलंब से तैयार किया, जिसका विवरण तालिका-1 में दिया गया है:

तालिका - 1 वार्षिक बजट तैयार किए जाने की स्थिति

पंचायत संस्था	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	बजट तैयार करने के लिए निर्धारित समय	पंचायती राज संस्थाओं की संख्या जिन्होंने बजट तैयार नहीं किया	पंचायती राज संस्थाओं की संख्या जिन्होंने बजट विलंब से तैयार किया (विलंबित दिन)
जिला पंचायत	7	20 जनवरी	3	4 (70 to 187 दिन)
जनपद पंचायत	14	30 जनवरी	3	11 (10 to 254 दिन)
ग्राम पंचायत	1	21 फरवरी	0	1 (53 दिन)

3.5.3 पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक लेखे

मध्य प्रदेश जनपद पंचायत(लेखा) नियम 1999 के नियम 59 से 65 के अनुसार, जनपद पंचायत के वार्षिक लेखे तैयार किये जाने चाहिए एवं जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष प्रत्येक वर्ष 10 मई को या उससे पहले स्वीकृति के लिए रखा जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश जिला पंचायत(लेखा) नियम 1999 के नियम 62 से 67 के अनुसार जिला पंचायत के वार्षिक लेखे तैयार किये जाने चाहिए एवं जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष 30 मई या उससे पहले स्वीकृति के लिए रखा जाना चाहिए।

⁵ म.प्र. ग्राम पंचायत नियम (बजट एवं अनुमान)नियम 1977 के नियम 3,4 एवं 5, म.प्र. जनपद पंचायत नियम (बजट एवं अनुमान)नियम 1977 के नियम 11 एवं 16, म.प्र. जिला पंचायत नियम (बजट एवं अनुमान)नियम 1977 के नियम 8 एवं 13

⁶ अलीराजपुर, बड़वानी, दतिया, डिण्डोरी, इंदौर, सागर एवं शाजापुर

⁷ बमोरी, बिरसा, बनखेड़ी, बुंदार, दतिया, डिण्डोरी, कन्नौद, केसली, खुरई, लालबर्सा, मंदसौर, राजपुर, रामा एवं सोहागपुर

⁸ चिमाधाना

⁹ अलीराजपुर, बड़वानी एवं सागर

¹⁰ कन्नौद, मंदसौर एवं राजपुर

पंचायती राज संस्थाओं के लेखे की तैयारी एवं अनुमोदन की स्थिति पूछे जाने पर पंचायत राज संचालनालय ने सूचित किया कि आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है (मई 2014)।

3.6 लेखापरीक्षा व्यवस्थाएँ

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के अंतर्गत लाया गया (नवंबर 2001)। तदनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु भेजे गये।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 10.121 में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा सभी स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर) में एक लेखापरीक्षा पद्धति अनिवार्य रूप से लाये। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को राज्य के प्रत्येक स्तर के सभी स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता की अनुमति दी जाये। वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं संचालक/आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन आवश्यक रूप से राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जायें। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 129 को जुलाई 2011 में संशोधित किया गया। इसके अनुसार, नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की पंचायतों का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, राज्यपाल को प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे कि उपरोक्त प्रतिवेदनों को विधानसभा के पटल पर रखा जा सके।

3.7 राजस्व के स्रोत

पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व के मुख्यतः दो स्रोत हैं- शासकीय अनुदान एवं स्वयं का कर राजस्व, जिसमें शामिल है:

- 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये अनुदान;
- तीसरे राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के विभाजनीय कर राजस्व की चार प्रतिशत राशि।

3.8 पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तिyaँ एवं व्यय

राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट से पिछले 5 वित्तीय वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निधियाँ (राज्य के कर राजस्व का अंश, योजनाओं को लागू करने के लिए अनुदान) निम्नानुसार थीं:

तालिका-2 पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान प्राप्ति एवं व्यय

(₹करोड़ में)

अनुदान				वास्तविक व्यय			बचत (4-7)	बचत का प्रतिशत
वर्ष	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	3985.44	2.04	3987.48	3125.25	0.03	3125.28	862.20	22
2009-10	4942.02	7.02	4949.04	4038.20	5.01	4043.21	905.83	18
2010-11	6585.74	231.40	6817.14	5678.75	198.65	5877.40	939.74	14
2011-12	7670.04	241.08	7911.12	6697.87	365.29	7063.16	847.96	11
2012-13	8948.74	345.78	9294.52	8385.85	345.30	8731.15	563.37	6
योग	32131.98	827.32	32959.30	27925.92	914.28	28840.20	4119.10	

स्त्रोत-विस्तृत विनियोग लेखे अनुदान क्र. 15,52,62 एवं 74

सभी पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के स्त्रोत से प्राप्ति और व्यय का विवरण आयुक्त पंचायती राज संचालनालय द्वारा संधारित नहीं किया गया।

यह इंगित किए जाने पर, आयुक्त, पंचायती राज ने कहा (सितम्बर 2013) कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों द्वारा विवरण संचालनालय को नहीं भेजे गए।

3.9 बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं करना

मध्य प्रदेश पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 25-26 के अनुसार प्रत्येक माह, बैंक खाता शेष एवं रोकड़ बही शेष में अंतर, यदि कोई हो तो उसका मिलान समाधान विवरण पत्रक तैयार कर प्रत्येक माह किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की नमूना जांच में (अप्रैल 2013 से सितम्बर 2013) हमने पाया कि 32 पंचायती राज संस्थाओं (पाँच जिला पंचायत¹¹, 16 जनपद पंचायत¹² एवं 11 ग्राम पंचायत¹³) की रोकड़ बही का शेष, बैंक खातों के शेष से ₹23.58 करोड़ कम था। यह भी पाया गया कि 13 पंचायती राज संस्थाओं (दो जिला पंचायत¹⁴, 10 जनपद पंचायत¹⁵ एवं एक ग्राम पंचायत¹⁶) की रोकड़ बही शेष, बैंक खाते के शेष, 31 मार्च 2013 को ₹3.09 करोड़ अधिक था। विवरण परिशिष्ट 3.2 में दर्शाया गया है। यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अंतर का समाधान नहीं किया गया।

रोकड़ बही शेष एवं बैंक शेष का समाधान नहीं किए जाने से निधियों के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

11 बड़वानी, दतिया, डिण्डोरी, सागर, एवं उमरिया

12 अमला, बाध, बमोरी, बंदा, भगवानपुरा, बिरसा, देवरी, झिरन्या, जुन्नारदेव, कन्नौद, खुरई, केसली, मोहखेड़ा, पोहरी, रामा एवं टोंक खुर्द

13 चादुआ, चिन्दा, चिनौदी, गौदना, केशा, मैना, मूर्तिहाई, पिपलौदा, पिरनलवास, पलटवारा एवं सलसवाई

14 दतिया एवं डिण्डोरी

15 अलीराजपुर, बामोरी, भगवानपुर, देवरी, केसली, झिरन्या, कन्नौद, रामनगर, रामा एवं टोंक खुर्द

16 सजौद

3.10 निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कण्डिकाओं की स्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान, 606 पंचायती राज संस्थाओं के लेखा/अभिलेखों की नमूना जांच की गयी और तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार तकनीकी मार्गदर्शन हेतु, निरीक्षण प्रतिवेदन, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा को भेजे गए। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को लेखापरीक्षा कण्डिकाओं का अनुसरण करना था। यद्यपि हमने देखा कि 31 मार्च 2013 को वर्ष 2012-13 के दौरान जारी 567 निरीक्षण प्रतिवेदन की 3610 कण्डिकाओं सहित 3692 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 21026 कण्डिकाएँ निराकरण हेतु लंबित थीं।

3.11 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश जिला पंचायत (लेखा) नियम 1999 के नियम 52 एवं मध्य प्रदेश जनपद पंचायत (लेखा) नियम 1999 के नियम 49 के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि जिस प्रयोजन हेतु अग्रिम प्राप्त किया गया है उसके पूरा होने के तत्पश्चात व्यय का विवरण तुरंत प्रस्तुत करे। प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उसके अगले माह के वेतन या देय राशि से अग्रिम की कुल राशि की वसूली की जायेगी।

29 पंचायती राज संस्थाओं (नौ जिला पंचायतें¹⁷, 20 जनपद पंचायतें¹⁸) के अभिलेखों की नमूना जांच (2012-13) में पाया गया कि अक्टूबर 1971 से फरवरी 2013 तक व्यक्तिगत एवं एजेन्सियों को दिए गए अस्थायी अग्रिम 31 मार्च 2013 को समायोजन हेतु लंबित थे। विवरण **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने बताया (अगस्त 2012 से अक्टूबर 2013) कि अग्रिमों की वसूली की जाएगी। अद्यतन जानकारी (दिसम्बर 2013) मांगी गयी, जो अप्राप्त रही।

3.12 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को जारी एवं उपयोग किया गया अनुदान

13वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को सामान्य एवं विशेष क्षेत्र हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि के लिये अनुदान की अनुशंसा की। उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त वर्ष 2011-12 से जिन राज्यों द्वारा निश्चित शर्तों को पूरा किया गया उन राज्यों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान भी उपलब्ध रहेगा।

13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में प्राप्त केन्द्रीय अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

¹⁷ बड़वानी, छिन्दवाड़ा, दमोह, डिण्डौरी, गुना, इंदौर, सागर, शाहजापुर एवं उमरिया

¹⁸ अमरपाटन, आमला, भीमपुर, भैंसादेही, बुधार्, बिरसा, छैगांवमाखन, दतिया, डिण्डौरी, हटा, हराई, झाबुआ, जुन्नारदेव, करेली, मेधनगर, मोमन-बडोदिया, पोहरी, रामा, सुसनेर एवं सिवनी

तालिका-3 राज्य शासन द्वारा अनुदान की प्राप्ति एवं जारी का विवरण

(₹ लाख में)

अनुदानों का विवरण	प्राप्त राशि
1	2
सामान्य मूल अनुदान	54545.79
विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	2256.00
सामान्य निष्पादन अनुदान	37382.52
विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	2256.00
योग	96440.31

स्रोत- वित्त विभाग तथा आयुक्त पंचायती राज

➤ 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान, प्राप्त होने के पाँच दिवस¹⁹ के अंदर राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने थे। राज्य शासन द्वारा विलंब दिवसों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

वित्त विभाग तथा आयुक्त पंचायत राज के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2013) में पाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2012-13 में अनुदान 2 से 49 दिवस के विलंब से जारी किया गया। परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को ₹1.70 करोड़ की ब्याज राशि देय थी जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में राशि ₹ 1.23 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की गयी। आयुक्त पंचायत राज द्वारा कहा गया (फरवरी 2014) कि विलंब की अवधि की गणना स्वीकृति आदेश के दिनांक से 10 दिवस की अवधि के उपरांत की जानी चाहिये।

आयुक्त का उत्तर दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 के अनुरूप नहीं था क्योंकि राज्य में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है तथा अनुदान को ई-ट्रांसफर के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित किया गया है।

➤ सामान्य निष्पादन अनुदान राज्य सरकार को जारी करने की शर्तों में एक शर्त पंचायती राज संस्थाओं द्वारा मॉडल लेखांकन प्रणाली अपनाया जाना भी था।

हमने पाया कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में मॉडल लेखांकन प्रणाली को नहीं अपनाया गया। यद्यपि राज्य शासन द्वारा सितम्बर 2013 में सामान्य निष्पादन अनुदान को जारी करने हेतु निर्धारित सभी शर्तों की पूर्ति के संबंध में भारत सरकार को सूचित किया गया।

➤ हमने यह भी पाया कि वित्त विभाग (राज्य शासन) द्वारा 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान राशि ₹964.40 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अनुदान के वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित किए बिना भारत सरकार को प्रेषित किये गये। आयुक्त, पंचायती राज के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि यद्यपि पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये गये किन्तु सामान्य निष्पादन अनुदान हेतु वर्ष 2010-11 के लिये तीन जिलों के तथा जनरल परफोरमेंस ग्रांट के वर्ष 2011-12 के 50 जिलों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सितम्बर 2013 तक लंबित थे।

19

राज्यों के लिए 10 दिन बैंकिंग संरचना तक पहुँचना आसानी से संभव नहीं है।

3.13 निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाओं ने बजट एवं वार्षिक लेखे निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं किए। पंचायती राज संस्थाओं की स्वयं के स्रोतों से राजस्व की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण पंचायत राज संचालनालय में अनुपलब्ध था। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा, प्रधान महालेखाकार के लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों की लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु सार्थक प्रयास नहीं किए गए। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा रोकड़ बही शेष और बैंक शेषों में पाए गये अंतर का समाशोधन नहीं किया गया, जिससे निधि के दुरुपयोग की संभावना है। व्यक्तिगत एवं एजेन्सियों को दिए गए अस्थायी अग्रिम लंबे समय से असमायोजित/अवसूलीकृत हैं। 13वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र, भारत सरकार को अनुदान राशि पंचायती राज संस्थाओं को जारी करने के आधार पर भेजा गया, जबकि इसे वास्तविक उपयोग/व्यय के आधार पर भेजा जाना था।

अध्याय - चार निष्पादन लेखापरीक्षा

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग

4.1 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम

कार्यपालन सारांश

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम, एक केन्द्र प्रवर्तित एवं भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित योजना है, जो विकास में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने, पिछड़े जिलों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में योगदान करने, स्थानीय विकास में नाजुक कड़ियों को जोड़ने तथा स्थानीय निकायों को पेशेवर सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी (2006-07)। इसे मध्य प्रदेश राज्य के 24 चिन्हित जिलों में क्रियान्वित किया गया था।

वर्ष 2008-13 के मध्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा लेखापरीक्षा की गई। नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रतिवेदन में चर्चा की गई है :

vk;ktuk

- जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा अवसरों की कमी एवं चुनौतियों से जूझने की सामर्थ्य बनाने के लिए पिछड़ेपन का विश्लेषण कर प्रत्येक जिले के तीन से पांच अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में समन्वित विकास के लिए एक पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की गई, परन्तु प्राथमिकता के क्षेत्रों को ध्यान में रखे बिना ही वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वित कर दी गई। परिणामस्वरूप, पिछड़ेपन में सुधार और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के योजनागत उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई।

foRr ic/ku

- विकास कार्यों के लिए प्राप्त निधि राशि रुपये 632.89 करोड़ जिला पंचायतों के पास अप्रयुक्त पड़ी रही। साथ ही, निर्माण क्षमता निधि के लिए प्राप्त राशि 15.20 करोड़ का भी उपयोग नहीं हुआ। 577 पूर्ण निर्माण कार्यों की शेष राशि 3.98 करोड़ 14 जिला पंचायतों द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सियों (लाइन विभाग) से वापस नहीं ली गई। इसी तरह छः जिलों में आठ ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिव ने आठ निर्माण कार्यों के लिए निधि राशि रुपये 16.56 लाख का आहरण किया परन्तु कार्य प्रारंभ न करने/अपूर्ण रहने के बाद भी उनसे राशि वापस नहीं ली गई।

fdi; kUo;u

- नौ जिलों में राशि रुपये 9.42 करोड़ की लागत के 226 कार्य काफी समय से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने/अपूर्ण रहने के बाद भी न तो निरस्त किए गए और ना ही नए कार्य स्वीकृत किए गए। राशि रुपये 118.27 करोड़ के 2535 निर्माण कार्य मार्च 2014 तक अपूर्ण पाए गए। राशि रुपये 150.56 करोड़ के 3388 निर्माण कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए। कार्यों को समय से पूर्ण नहीं कराए जाने से योजना के उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए जा सके।

if'k{k.k dk;ide

- प्रशिक्षण में कमी होने एवं ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर का सुचारु रूप से क्रियान्वयन नहीं होने से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों की निर्माण क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

4.1.1 प्रस्तावना

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित था, जिसके अंतर्गत योजना विकास में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने, पिछड़े जिलों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में योगदान करने और पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को जवाबदेह एवं उत्तरदायी बनाना था। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत मौजूदा विकास को गति प्रदान करना, स्थानीय आधारभूत ढांचे की नाजुक कड़ियों को जोड़ना, अन्य विकास की जरूरतों की पूर्ति करना एवं स्थानीय निकायों द्वारा योजना बनाने, क्रियान्वयन तथा निगरानी हेतु पेशेवर सहायता प्रदान करने हेतु स्रोत उपलब्ध कराना है। प्रत्येक जिले में पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए एक निदानकारक अध्ययन कराया जाकर समन्वित विकास की शुरुआत की जानी थी। यह राज्य के चिन्हित 24 जिलों¹ में क्रियान्वित की गई थी।

4.1.2 संस्थागत ढांचा

राज्य स्तर पर बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य में उत्तरदायी नोडल विभाग है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्च प्राधिकार समिति नवंबर 2006 में गठित की गई, जो जिला योजना समिति (डी.पी.सी.) द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के अनुमोदन, प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। पंचायती राज संस्थाएँ, जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर नगरीय निकाय अनुमोदित कार्य योजना को कार्यान्वित करते हैं। चयनित/नामांकित एजेन्सियों द्वारा कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना था। पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर को एक राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के रूप में नामांकित किया गया।

4.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार योजनाएँ तैयार की गई;
- क्रियान्वयन संस्थाओं को निधि समय से जारी की गई एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन में समय से उपयोग की गई;
- बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण की योजना का निर्माण एवं संचालन किया गया;
- विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावी एवं मितव्ययी रूप से किया गया था।

4.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा परिणाम निम्नलिखित मापदण्डों पर आधारित हैं:-

¹ 24 जिलों को विभाजित कर 29 जिलों में किए जाने से वर्ष 2009-10 से 29 जिलों में लागू की गई।

- भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये बी.आर.जी.एफ. दिशा निर्देश;
- बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य शासन एवं पंचायत राज विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश;
- मध्य प्रदेश लोक निर्माण संहिता।

4.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2008-13 की अवधि को शामिल करते हुए कार्यालय आयुक्त, पंचायत राज विभाग और राज्य की अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय निकायों एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों में की गई। 24 जिलों² (पुराने बीआरजीएफ जिलों से पृथक 5 जिलों सहित) में से 14 जिले³ चयनित किये गये और इन जिलों के 36 जनपदों एवं 148 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। चयनित इकाइयों की सूची **परिशिष्ट 4.1** में दर्शायी गई है।

सचिव, पंचायत राज के साथ एक प्रवेश सम्मेलन 14 जून 2013 को आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यविधि पर चर्चा की गई। अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल के साथ एक निर्गम सम्मेलन 4 अप्रैल 2014 को आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई। शासन की टिप्पणियों को संबंधित कण्डिकाओं में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

4.1.6 योजना

बी.आर.जी.एफ. योजना के दिशा-निर्देशों में दिया गया है कि प्रत्येक जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिले के पिछड़ेपन का एक निदानकारक अध्ययन कराये जाने के पश्चात प्रत्येक जिले के लिए विकास कार्ययोजना पांच वर्ष की अवधि के लिए (भावी कार्य योजना) तैयार की जानी चाहिये। प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक कार्ययोजना, पंचवर्षीय एकीकृत कार्ययोजना/भावी कार्ययोजना के आधार पर तैयार की जायेगी।

4.1.6.1 चिन्हित अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता न दिया जाना

हमने यह पाया कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा तकनीकी सहायता संस्थान (भारत सरकार द्वारा बनाये पैनल में शामिल) की सहायता से शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों, डर (स्वॉट) का विश्लेषण (पिछड़ापन सूचकांक के निर्धारण हेतु) किया गया जिसमें जिलों के तीन से पांच अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। तदनुसार इन चिन्हित क्षेत्रों को भावी एवं वार्षिक कार्ययोजना में प्राथमिकता दी जानी थी।

² बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, दमोह, धार, डिण्डौरी, गुना (अशोकनगर), झाबुआ (अलीराजपुर), कटनी, खण्डवा (बुरहानपुर), खरगौन, मंडला, पन्ना, रीवा, राजगढ़, सतना, सीधी (सिंगरौली), सिवनी, शहडोल (अनूपपुर), श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़ एवं उमरिया

³ बड़वानी, बैतूल, दमोह, गुना (अशोकनगर), झाबुआ, खण्डवा (बुरहानपुर), खरगौन, मंडला, रीवा, सीधी (सिंगरौली), सिवनी, शहडोल (अनूपपुर), शिवपुरी एवं टीकमगढ़

स्वॉट के माध्यम से सबसे पिछड़े क्षेत्र की पहचान को वार्षिक कार्ययोजना में देय प्राथमिकता नहीं दी गई।

हमने सात जिलों⁴ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक की वार्षिक कार्ययोजनाओं में सात से बारह⁵ क्षेत्रों के विकास कार्यों को लिया गया। परिणामस्वरूप स्वाँट विश्लेषण के माध्यम से चिन्हित अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता नहीं मिली, जैसा कि तालिका-1 में दर्शाया गया है:

तालिका-1 वार्षिक कार्ययोजनाओं में सेक्टरवार प्राथमिकताओं का विवरण

जिले का नाम	स्वाँट के अनुसार चिन्हित क्षेत्रों का नाम	वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के वार्षिक कार्य योजनाओं में चिन्हित क्षेत्रों की संख्या	वार्षिक कार्ययोजना में कार्यों की संख्या		प्राथमिकता में शामिल किए गए कार्यों की संख्या (कुल कार्य का प्रतिशत)
			चिन्हित पिछड़े क्षेत्रों में	वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार कुल कार्यों की संख्या	
1	2	3	4	5	6
बड़वानी	शिक्षा	4-9	8	2710	2547 (94)
	कृषि		01		
	सड़क संपर्क		154		
बैतूल	सड़क संपर्क	5-7	739	1893	1154 (60)
	विद्युतीकरण		0		
	कृषि		0		
अशोकनगर (गुना)	सिंचाई	3-6	0	741	723 (98)
	दुग्ध उत्पादन		3		
	शिक्षा		11		
	कृषि		4		
खरगौन	सिंचाई	6-9	22	1422	1001 (70)
	आजीविका		09		
	सड़क संपर्क		357		
	कृषि		33		
रीवा	आजीविका	4-7	05	2115	1189 (56)
	कृषि		27		
	सिंचाई		0		
	सड़क संपर्क		894		
सिवनी	कृषि	4-10	114	2292	1947 (85)
	पशुपालन		90		
	स्वास्थ्य		85		
	शिक्षा		56		
टीकमगढ़	सिंचाई	6-9	11	1357	1214 (89)
	कृषि		0		
	स्वास्थ्य		27		
	शिक्षा		30		
	सड़क संपर्क		95		

स्रोत- जिलों की कार्ययोजना एवं 7 जिलों द्वारा प्रस्तुत स्वाँट विश्लेषण के सारांश

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कार्यक्रम निधि को पिछड़े क्षेत्रों पर केन्द्रित करने के बजाय विरल रूप से बहुत अधिक क्षेत्रों में बाँटा गया था। उन क्षेत्रों, जिनकी पहचान स्वाँट विश्लेषण में की गई थी, की तुलना में अन्य कार्यों को बहुत अधिक संख्या (कुल कार्यों का 56 प्रतिशत से 98 प्रतिशत) में वार्षिक कार्ययोजना में

⁴ अशोकनगर, बड़वानी, बैतूल, खरगौन, रीवा, सिवनी एवं टीकमगढ़

⁵ कृषि, शिक्षा, विद्युतीकरण, हॉटबाजार, स्वास्थ्य, सिंचाई, जीवनयापन, पंचायत, सड़क संपर्क, पशुचिकित्सा, महिला एवं बाल कल्याण एवं अन्य

शामिल किया गया था। इस प्रकार, विकास में पिछड़ेपन और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य पूर्ण प्राप्त नहीं हो सके।

निर्गम सम्मेलन के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कार्ययोजना स्थानीय आवश्यकता के आधार पर तैयार एवं क्रियान्वित की गई तथा तकनीकी सहायता देने वाली संस्थाओं को इस संबंध में निर्देशित किया जायेगा। तथ्य यह है कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए निधियों के आवंटन में कोई प्राथमिकता नहीं रखी गई।

4.1.6.2 वार्षिक कार्ययोजना की उपलब्धि में कमी

अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का कार्यान्वयन जिला पंचायत द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से किया जाना था।

चयनित जिलों की वार्षिक कार्य योजनाओं की नमूना जांच में हमने पाया कि योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वयन में कमी रही। वर्ष 2008-13 के दौरान वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित कार्यों के क्रियान्वयन की क्षेत्रवार स्थिति नीचे तालिका-2 में दर्शायी गई है:

तालिका : 2 क्षेत्रवार वार्षिक कार्य योजना एवं कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

क्षेत्र	प्लान किये गये कार्यों की संख्या (वार्षिक योजना अनुसार)	क्रियान्वित कार्यों की संख्या	कमी (संख्या में)	योजना के विरुद्ध कमी का प्रतिशत
स्वास्थ्य	477	331	146	31
सड़क संपर्क	6793	4683	2110	31
महिला एवं बाल विकास	6288	5110	1178	19
पशु चिकित्सा	342	192	150	44
सिंचाई	98	50	48	49
विद्युतीकरण	155	69	86	55
शिक्षा	372	191	181	49
पंचायत एवं सामुदायिक	3041	2357	684	22
हाट बाजार	107	39	68	64
अन्य (नगरीय स्थानीय निकाय)	3123	1723	1400	45
योग	20796	14745	6051	29

स्रोत- चयनित जिला कार्ययोजना

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न क्षेत्रों में 19 से 64 प्रतिशत की कमी, वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन में विलंब के कारण हुई, जैसा कि कंडिका 4.1.6.3 में दर्शाया गया है। कार्य योजना के क्रियान्वयन का वर्षवार विशेष कमी का विवरण परिशिष्ट-4.2 में दर्शाया गया है।

4.1.6.3 जिला के वार्षिक कार्ययोजना का डी.पी.सी द्वारा विलंब से अनुमोदन

पैरा 3.16 बताता है कि प्रत्येक वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन के लिए समय सीमा राज्य शासन द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करते हुये निर्धारित की जायेगी। तदनुसार, राज्य शासन ने प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन हेतु तालिका-3 में दर्शाये अनुसार तिथियों को निर्धारित किया।

वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन में विशेष विलंब (470 दिनों तक) प्रकाश में आया

14 चयनित जिलों की वार्षिक कार्य योजनाओं की नमूना जांच (जून-दिसम्बर 2013) के दौरान हमने पाया कि वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुमोदन में जिला योजना समितियों (डी.पी.सी.) द्वारा 9 से 470 दिनों का विलंब किया गया। अनुमोदन में विलंब की जिलेवार स्थिति **परिशिष्ट 4.3** में दर्शाई गई है तथा वर्षवार स्थिति नीचे तालिका-3 में दर्शायी गई है:

तालिका-3 वार्षिक कार्ययोजना के विलंब से अनुमोदन की स्थिति

वर्ष	डी.पी.सी. द्वारा अनुमोदन की निर्धारण तिथि	डी.पी.सी. द्वारा अनुमोदन की वास्तविक तिथि	दिवसों में विलंब की अवधि
2	3	4	5
2008-09	15.08.08	08.09.08 – 22.09.08	22 to 53
2009-10	15.06.09	25.06.09–22.10.09	9 to 127
2010-11	21.12.09	04.02.10 – 01.12.10	34 to 334
2011-12	30.12.10	04.02.11– 16.06.11	35 to 399
2012-13	31.12.11	20.01.12– 19.05.12	19 to 470

स्रोत: 14 नमूना जांच की गई जिला पंचायतें

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बड़वानी जिले में (2010-11 में 334 दिन), बुरहानपुर जिले में (2012-13 में 344 दिन) एवं सिंगरौली जिले में (2011-12 में 399 दिन तथा 2012-13 में 470 दिन) का विशेष विलंब हुआ। प्लान कार्यों को समय से पूर्ण करने में देरी का विपरीत प्रभाव पड़ा। गुना (2008-09), झाबुआ (2011-12), खरगौन (2008-09), सिंगरौली (2009-10) में कोई विलंब होना नहीं पाया गया।

उपरोक्त स्थिति इंगित किए जाने (जून से दिसम्बर 2013) पर, पाँच जिला⁶ पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया कि अध्यक्ष (प्रभारी मंत्री) द्वारा समय नहीं दिये जाने के कारण डी.पी.सी. की बैठक आयोजित नहीं की गई। पाँच जिला पंचायत⁷ के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया कि क्रियान्वयन एजेन्सियों (जनपद पंचायतों) से समय पर समेकित कार्ययोजना प्राप्त नहीं हुई, जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैठक द्वारा उत्तर दिया गया कि एस.सी./एस.टी. के लिए पृथक कार्ययोजना तैयार किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे।

जबकि उक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया कि कार्ययोजना के अनुमोदन से पूर्व कार्यों का निष्पादन कैसे किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि कार्ययोजना की प्रक्रिया एवं डी.पी.सी. बैठक का प्रबंधन नहीं होने के कारण विलंब हुआ।

4.1.7 कार्ययोजना निधियों का उपयोग

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में दो तरह से निधि का प्रवाह किया जाता है, जैसे (i) अनुदान का उपयोग पंचायत एवं नगर पालिका स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए योजना को सुदृढ़ करना, क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं जिम्मेदारियों का विकास करना (ii) अबंध अनुदान द्वारा आधारभूत ढांचे की नाजुक कड़ियों को जोड़ना तथा विकास संबंधी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना। कार्यक्रम निधि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार

⁶ बड़वानी, खरगौन, मण्डला, सिवनी एवं शहडोल

⁷ दमोह, झाबुआ, गुना(अशोकनगर), खण्डवा एवं टीकमगढ़

को जारी की जाती है जो बाद में पंचायतों एवं नगरपालिकों को उनके बचत खाते में स्थानांतरित की जाती है।

आयुक्त पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि समेकित विकास की नाजुक कड़ियों को चिन्हित कर उन्हें दूर करने के लिए जारी निधियों का उपयोग कम किया गया था, जिसका विवरण नीचे तालिका- 4 में दर्शाया गया है:

तालिका - 4 विकास अनुदान का उपयोग

(₹करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वित्तीय वर्ष के दौरान जिला पंचायतों को प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय (उपलब्ध राशि के विरुद्ध व्यय प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष के अंत में शेष
1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4-5)
2008-09	276.20	301.22	577.42	286.85 (50)	290.57
2009-10	290.57	306.95	597.52	300.98 (50)	296.54
2010-11	296.54	300.65	597.19	385.98 (65)	211.21
2011-12	211.21	440.21	651.42	423.68 (65)	227.74
2012-13	227.74	516.36	744.10	111.21 (15)	632.89
योग		1865.39		1508.70	632.89

स्रोत- संचालनालय, पंचायती राज, भोपाल

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कार्यक्रम निधि का मात्र 50 से 65 प्रतिशत उपयोग किया गया, जबकि वर्ष 2012-13 में मात्र 15 प्रतिशत ही उपयोग किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 632.89 करोड़ (कुल उपलब्ध राशि का 30 प्रतिशत) मार्च 2013 के अन्त में, अनुपयोगी रहे।

राशि ₹157.69 करोड़ क्रियान्वयन एजेंसियों के पास अनुपयोगी रही

आगे 14 नमूना जांच किए गये जिलों में (पूर्व शेष व अन्य प्राप्ति ₹ 155.89 करोड़ को मिलाकर) कुल ₹ 758.83 करोड़ विकास कार्यों हेतु उपलब्ध थे। उक्त राशि में से ₹ 601.14 करोड़ का व्यय किया गया एवं शेष राशि ₹ 157.69 करोड़⁸ जिलों में एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के पास अनुपयोगी रही (परिशिष्ट-4.4)। धन-प्रवाह, व्यय एवं इसके उपयोग की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका-5 में दर्शाई गई है:

तालिका - 5 चयनित जिलों में विकास निधि की उपयोगिता का वर्षवार विवरण

(₹करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वित्तीय वर्ष के दौरान जिला पंचायतों को प्राप्त राशि	अन्य प्राप्ति (ब्याज+वापसी)	कुल उपलब्ध राशि	व्यय (उपलब्ध राशि के विरुद्ध व्यय प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष के अंत में शेष
1	2	3	4	5(2+3+4)	6	7 (4-5)
2008-09	51.87	81.38	8.81	142.06	80.32 (56)	61.74
2009-10	61.74	91.82	11.75	165.31	99.14(60)	66.17
2010-11	66.17	108.81	7.99	182.97	111.55(61)	71.42
2011-12	71.42	190.26	57.99	319.67	172.18(54)	147.49
2012-13	147.49	130.67	17.48	295.64	137.95 (47)	157.69
योग		602.94	104.02		601.14	

स्रोत:- चयनित जिला की जिला पंचायत एवं क्रियान्वयन एजेंसी

उपरोक्त तालिका में देखा गया कि 47 से 61 प्रतिशत राशि ही उपयोग की जा सकी एवं राशि ₹157.69 करोड़ विभिन्न स्तरों पर अनुपयोगी रही जो कुल उपलब्ध राशि का 21 प्रतिशत है।

⁸

14 जिला पंचायतों के पास ₹83.99 करोड़, 34 जनपदों के पास ₹9.91 करोड़, 148 ग्राम पंचायतों के पास ₹1.96 करोड़, 28 स्थानीय नगरीय निकायों के पास ₹26.06 करोड़ एवं 11 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पास ₹35.77 करोड़।

यह इंगित किये जाने (जून से दिसम्बर -2013) पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों ने उत्तर दिया कि राशि विलम्ब से आवंटित किये जाने के कारण, निर्धारित समय सीमा में राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन, के दौरान अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा राशि उनके निर्धारित समय अप्रैल एवं अगस्त के बदले वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी की गयी। फिर भी उपलब्ध राशि के उपयोग के संबंध में जिलों को निर्देश जारी किये जायेंगे।

4.1.8 क्रियान्वयन एजेंसियों पर अधिशेष राशि अवरुद्ध रहना

पंचायती राज विकास विभाग द्वारा (मार्च 2011) जारी निर्देशानुसार जिला पंचायतों द्वारा पूर्ण कार्यों की अधिशेष राशि वसूल की जानी थी एवं उसका उपयोग अन्य स्वीकृत कार्यों पर किया जाना था।

577 पूर्ण कार्यों की अत्यधिक राशि ₹ 3.98 करोड़ क्रियान्वयन एजेंसी से वसूल नहीं की गई

चयनित 14 जिलों के प्रगति प्रतिवेदनों एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्रों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि 577 पूर्ण कार्यों की अधिशेष राशि ₹3.98 करोड़ (परिशिष्ट-4.5) क्रियान्वयन एजेंसियों से वसूल नहीं की गयी, जैसा कि निम्न तालिका - 6 में दर्शाया गया है:

तालिका :- 6 पूर्ण कार्यों की अधिशेष राशि का वर्षवार विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	पूर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार पूर्ण कार्य की संख्या	जारी राशि	व्यय की गई राशि	अधिशेष राशि जो वापस प्राप्त की जानी थी
1	2	3	4	5(3-4)
2008-09	406	1750.77	1567.91	182.86
2009-10	82	497.87	460.23	37.64
2010-11	50	456.00	360.67	90.36
2011-12	32	389.31	328.56	60.75
2012-13	7	113.45	87.12	26.33
योग	577	3207.43	2809.49	397.94

स्रोत- जिला पंचायतों के पूर्ण कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र

निर्गम सम्मेलन के दौरान अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते हुये अवगत कराया कि पूर्ण कार्यों की अधिशेष राशि संकलित कर जिला योजना समिति से अनुमोदन उपरान्त विकास कार्यों पर उपयोग की जायेगी।

शासन का उत्तर असंगत है क्योंकि अधिशेष राशि को आगामी वित्तीय वर्ष में राशि जारी करते समय समायोजित किया जाना चाहिए था।

➤ पंचायत राज विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश (मार्च 2011) के अनुसार ऐसे कार्य जो विलम्ब से प्रारंभ किए गये एवं दो वर्षों से अधिक समय से अब तक अपूर्ण हैं उन्हें निरस्त कर अन्य कार्य लिये जाने चाहिये एवं उनकी कार्योत्तर स्वीकृति जिला योजना समिति से प्राप्त करनी चाहिए। यह भी वर्णित है कि निरस्त कार्यों की लंबित राशि क्रियान्वयन एजेंसियों से वापस ली जानी चाहिए।

226 कार्य राशि ₹ 9.42 करोड़ के प्रारंभ नहीं किए गये

चयनित 14 जिलों की क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किये गये कार्यों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि 9 जिलों में राशि ₹ 9.42 करोड़ के 226 कार्य प्रारंभ नहीं

किये गये, (परिशिष्ट - 4.6) साथ ही उक्त कार्यों को निरस्त भी नहीं किया गया। विवरण निम्न तालिका - 7 में दिया गया है:

तालिका 7- अप्रारम्भ/निरस्त कार्यों का विवरण (₹ करोड़ में)

स.क्र.	वर्ष	अप्रारम्भ/अपूर्ण कार्यों की संख्या	जारी राशि	वसूल नहीं की गई राशि (मार्च 2013)
1	2	3	4	5
1	2008-09	59	2.19	2.19
2	2009-10	76	3.03	3.03
3	2010-11	91	4.20	4.20
	योग	226	9.42	9.42

स्रोत- जिला पंचायतों का संकलित प्रगति प्रतिवेदन

आपत्ति इंगित किये जाने (जून से दिसम्बर 2013) पर चार मुख्य कार्यपालन अधिकारियों⁹ ने अवगत कराया कि राशि क्रियान्वयन एजेंसियों से वापस मंगायी जाएगी। चार मुख्य कार्यपालन अधिकारियों¹⁰ ने अवगत कराया कि नियमित मासिक बैठक में कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कराने के लिए समीक्षा की जायेगी। एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी¹¹ ने कहा कि निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके हैं, शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किए जायेंगे।

निर्गम बैठक में अपर मुख्य सचिव ने आपत्ति स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि कार्यों से संबंधित राशि को संकलित कर जिला योजना समिति से अनुमोदन के उपरान्त विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी।

- राष्ट्रीय सम विकास योजना को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में बदलने के संदर्भ में दिशा निर्देश के कंडिका क्रमांक 1.10(अ) के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के जिलों में राशि तब तक जारी नहीं की जाएगी, जब तक कि राष्ट्रीय सम विकास योजना के पूर्व में स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं हो जाते एवं उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिये जाते।

पंचायती राज संचालनालय के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम प्रारम्भ करने के पूर्व 10 जिलों में राष्ट्रीय सम विकास योजना लागू थी। आयुक्त, पंचायती राज (मध्यप्रदेश) द्वारा उल्लेख किया गया कि राष्ट्रीय सम विकास योजना की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजने के उपरान्त ही पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की राशि प्राप्त की गयी।

इसके उपरान्त छः जिलों¹² में पाया गया कि राष्ट्रीय सम विकास योजना की राशि ₹ 80.73 लाख जनपद पंचायत/ग्रामीण यान्त्रिकी सेवा के पास अनुपयोगी थी। इस प्रकार, उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाना सुनिश्चित किये बिना राष्ट्रीय सम विकास योजना के जिलों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम लागू किया गया (सितम्बर 2013)।

राष्ट्रीय सम विकास योजना की निधियों को उपयोग किए बिना ही बी.आर.जी.एफ. की निधि जारी की गयी

⁹ बैतूल, दमोह, मंडला, शिवपुरी

¹⁰ खण्डवा, सीधी (सिंगरौली), शहडोल एवं टीकमगढ़

¹¹ गुना,

¹² ग्रामीण यान्त्रिकी सेवा, अनूपपुर (₹ 7.60 लाख), जनपद पंचायत, जयसिंहनगर (₹ 0.81 लाख), ग्रामीण यान्त्रिकी सेवा, मंडला (₹ 52.98 लाख), जिला पंचायत, खरगौन (ग्रामीण यान्त्रिकी सेवा ₹ 7.76 लाख), सिवनी (₹ 0.49 लाख), सिंगरौली (₹ 11.09 लाख)।

यह इंगित किये जाने (जून से दिसम्बर 2013) पर तीन जिला पंचायतों¹³ (दो)/जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने अवगत कराया कि अनुपयोगी राशि वापिस मंगायी जाएगी। तीन जिला पंचायतों¹⁴ के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने उत्तर नहीं दिया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि जिन निर्माण एजेंसियों पर राशि पड़ी हुई है उन्हें राशि मंगाने हेतु पत्र जारी किया जाएगा।

4.1.9 ग्राम पंचायतों के सचिव/सरपंचों के पास राशि शेष रहना

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए निधियां ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती हैं। कार्यों की आवश्यकता के आधार पर ग्राम पंचायतों के सचिव/सरपंच बैंक खाते से राशि का आहरण करते हैं। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त, संबंधित उपयन्त्री/सहायक यन्त्री कार्य की माप के आधार पर मूल्यांकन कर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित जनपदों/जिला पंचायतों को जारी करते हैं। यदि कोई अधिक राशि आहरित हो जाती है तो उसे तुरन्त खाते में जमा किया जाना चाहिये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों का उत्तरदायित्व है कि अधिक आहरित राशि की वसूली हेतु धारा 92(3)(क) एवं (ख) के तहत कार्यवाही करें।

आठ प्रकरणों में ग्राम पंचायतों की रोकड़ बही, बैंक स्टेटमेन्ट एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित ग्राम पंचायतों को आंगनवाड़ी भवनों, सामुदायिक भवनों एवं भण्डार गृहों के निर्माण के लिये जिला पंचायत द्वारा राशि ₹ 16.56 लाख उपलब्ध करायी गई (परिशिष्ट 4.7)। राशि का आहरण भुगतान की आवश्यकता का आंकलन किये बिना ही किया गया। आठ प्रकरणों में से पाँच प्रकरणों में राशि ₹ 7.73 लाख के कार्यों का मूल्यांकन स्वीकृत एवं आहरित राशि ₹15.69 के विरुद्ध दर्ज किया गया, दो प्रकरणों में (लागत राशि ₹3.10 लाख) मार्च 2013 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये, एक प्रकरण में राशि ₹5.50 लाख बैंक से आहरित कर कैशबुक में हस्तगत नकदी बतायी गयी। इस प्रकार आहरित राशि ₹ 16.56 लाख का न तो कार्यों पर व्यय किया गया और ना ही राशि खातों में जमा की गयी, इस प्रकार राशि लगातार खाते से बाहर रही।

यह इंगित किये जाने (जून से दिसम्बर-2013) पर संबंधित जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जाएगी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान अपर मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरणों की समीक्षा कर तत्संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

¹³ खरगौन, जयसिंहनगर (जनपद पंचायत) एवं सिंगरौली

¹⁴ अनूपपुर, मंडला, सिवनी

4.1.10 प्रशिक्षण (क्षमता निर्माण)

दिशा निर्देशों की कंडिका 3.21 के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सभी पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों में लगातार एवं नियमित क्षमता निर्माण आवश्यक है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम की कंडिका 3.3 के तहत राज्य सरकार ने सभी पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण दिये जाने के लिये अधिकृत एजेन्सी के रूप में राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर को नामित किया गया। राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान को पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की आवश्यकता अनुरूप प्रशिक्षण संबंधी वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी थी। राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान ने इसके अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया।

4.1.10.1 प्रशिक्षण योजना का उच्च शक्ति समिति द्वारा विलम्ब से अनुमोदन

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के दिशा निर्देशों की कंडिका क्र. 4.22 में वर्णित है कि प्रशिक्षण कार्य योजना का अनुमोदन प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी के द्वितीय सप्ताह में किया जायेगा, जिसे 31 जनवरी तक भारत सरकार को भेजा जाएगा।

राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि प्रशिक्षण कार्य योजना का अनुमोदन 4 से 9 माह विलंब से किया गया जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम समय से लागू होने में विपरीत प्रभाव पड़ा। प्रतिभागी भी तय समय पर मिलने वाले लाभ से वंचित रहे।

यह इंगित किये जाने पर संचालक, राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान ने अवगत कराया (जून 2013) कि उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक विलंब से होने के कारण वार्षिक कार्य योजना विलंब से अनुमोदित की गई। जबकि राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान ने अवगत कराया कि उच्च शक्ति प्राप्त समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में कार्य योजनाओं को लागू किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि समय से कार्य योजना उच्च शक्ति समिति से अनुमोदन कराये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

4.1.10.2 क्षमता निर्माण निधि का अनुपयोगी रहना

राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान के योजना संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि क्षमता निर्माण के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान को वर्ष 2008-13 के दौरान राशि ₹ 83.60 करोड़ (₹9.09 करोड़ प्रारम्भिक शेष सहित) उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य प्राप्ति के रूप में राशि ₹ 7.37 करोड़ प्राप्त हुये। इस प्रकार कुल राशि ₹90.97 करोड़ के विरुद्ध समीक्षा अवधि तक राशि ₹ 75.77 करोड़ (83 प्रतिशत) व्यय की गई। विवरण निम्न तालिका-8 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 8- क्षमता निर्माण निधि का आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	अर्जित ब्याज एवं अन्य प्राप्ति	कुल उपलब्ध राशि	व्यय (प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत)	वर्ष के दौरान शेष
1	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8 (6-7)
2008-09	9.09	24.49	0.54	34.12	6.65 (20)	27.47
2009-10	27.47	0	1.67	29.14	10.48 (36)	18.66
2010-11	18.66	17.88	2.81	39.35	30.20 (77)	9.15
2011-12	9.15	24.19	1.21	34.55	9.29 (27)	25.26
2012-13	25.26	7.95	1.14	34.35	19.15 (56)	15.20
योग		74.51	7.37		75.77	

स्रोत- राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान को प्रदाय राशि का 20 से 77 प्रतिशत के मध्य उपयोग किया गया।

हमने आगे पाया कि पाँच विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों¹⁵ और दो जनपद पंचायतों (गोगावा जिला खरगौन ₹1.21 लाख एवं कसराबद ₹3.15 लाख) को अग्रिम के रूप में राशि ₹ 2.22 करोड़ (वर्ष 2007-08 एवं 2011-12) जारी की गयी, जिसे राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं रोकड़बही में अन्तिम व्यय के रूप में दर्शाया गया, जो अनियमित था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार करते हुये अवगत कराया (अप्रैल 2014) कि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों एवं जनपद पंचायतों से प्रवाचार किया जा रहा है तथा अव्ययित राशि का उपयोग एक माह में किया जाएगा।

➤ राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी निर्देश (दिसम्बर 2007) के अनुसार ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिव एवं जनपद पंचायतों के सदस्यों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया। इस उद्देश्य के लिये वर्ष 2008-12 के दौरान राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनपदों को राशि ₹ 2.10 करोड़¹⁶ उपलब्ध कराई गई जिसमें से राशि ₹ 42.41 लाख का उपयोग एवं समायोजन किया गया। अग्रिम ₹1.68¹⁷ करोड़, मार्च 2013 तक असमायोजित रही।

निर्गम सम्मेलन के दौरान अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा आक्षेप मान्य करते हुये कहा कि मामले के अनुपालन में विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों से पत्राचार कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाएंगे।

4.1.10.3 बिना व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

दिशा निर्देशों की कंडिका क्रमांक 3.1 में दिया गया है कि कार्ययोजना और क्रियान्वयन के लिये पंचायतों एवं निकायों का क्षमता निर्माण करना पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की नाजुक कड़ी है।

¹⁵ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल (₹1.77 लाख), मुलताई (₹52.97 लाख), नौगांव (₹71.77 लाख), रायपुर नेकिन (₹12.23 लाख) एवं सिवनी (₹79.09 लाख),

¹⁶ जनपद पंचायत के सदस्यों एवं सचिवों हेतु ₹0.77 करोड़ (2007-08) एवं पी.ई.एस.ए प्रशिक्षण हेतु ₹1.33 करोड़ (2011-12)

¹⁷ राशि ₹0.35 करोड़ (2007-08) एवं ₹1.33 करोड़ (2011-12)

हमने पाया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पंचायत राज विकास विभाग द्वारा राशि ₹ 2.46 करोड़ मार्च 2007 में उपलब्ध करायी गयी। उसमें से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राशि ₹1.49 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत राज विकास विभाग को प्रेषित किया गया, यद्यपि बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर वास्तविक व्यय राशि ₹0.20 करोड़ (मार्च 2013 तक) हुआ था। हमने पाया कि ब्याज सहित राशि ₹ 2.02 करोड़ (मार्च 2013 तक) अनुपयोगी थी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि शेष राशि राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से वापस मंगायी जाएगी।

4.1.10.4 क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया जाना।

दिशा निर्देशों की कंडिका क्रमांक 3.21 के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों में नियमित एवं लगातार क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षण कैलेण्डर की समीक्षा में हमने पाया कि अनुमोदित प्रशिक्षण कार्ययोजना के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं कराये गये, विवरण तालिका - 9 में दिया गया है।

तालिका 9 - मार्च 13 तक आयोजित प्रशिक्षण संबंधी विवरण

वर्ष	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रतिभागियों की संख्या		प्रतिभागियों की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किये	
		चयनित प्रतिभागियों की संख्या	कार्यपालिका	चयनित प्रतिभागी (प्रतिशत कमी)	कार्यपालिका (प्रतिशत कमी)
2		3	4	4	6
2008-09	सामान्य	120000	14000	69548(42)	0(100)
2009-10	-	234760	16254	59126(75)	1313(8)
2010-11	-	232778	13439	218542(06)	12524(07)
2011-12	पी.ई.एस.ए. प्रशिक्षण	82931	7570	67784(18)	5636(26)
	चयनित महिला प्रतिनिधि	131057	0	0	0
	स्थानीय अभियंता	-	378	-	130 (66)
	आधुनिक लेखांकन पद्धति (MAS)	27910	0	-	0
	कंप्यूटर प्रशिक्षण	13439 (IT)	0	-	0
2012-13		227284	3900	143656(63)	1206 (31)

स्रोत:- राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुमोदित कार्य योजना की तुलना में चयनित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में (06 से 75 प्रतिशत) और कार्यपालिक के प्रशिक्षण में (07 से 10 प्रतिशत) विशिष्ट कमी रही।

हमने पाया कि वर्ष 2011-12 में आधुनिक लेखांकन पद्धति एवं कम्प्यूटर संबंधी प्रशिक्षण, चयनित महिला प्रतिनिधियों को नहीं कराया गया, प्रत्युत्तर में राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान ने अवगत कराया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण सामग्री को अन्तिम रूप देने में विलंब होने के कारण चयनित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका, जबकि आधुनिक लेखांकन पद्धति प्रशिक्षण, कम्प्यूटर आधारित होने तथा

पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों को कम्प्यूटर का मूल ज्ञान नहीं होने के कारण आयोजित नहीं किया जा सका। हमने पाया कि पंचायतों के विस्तार हेतु अनुसूचित क्षेत्रों की धारा 1996 (पी.ई.एस.ए.)¹⁸ का आयोजन किया गया जो वर्ष 2011-12 में 74 और 82 प्रतिशत रहा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि चयनित प्रतिनिधियों को कार्ययोजना अनुसार प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका क्योंकि प्रतिभागियों के कार्यकाल का अन्तिम वर्ष था तथा कार्य पालिकाओं की चुनाव ड्यूटी थी। आधुनिक लेखा पद्धति का प्रशिक्षण प्रतिभागियों को कम्प्यूटर का ज्ञान न होने के कारण नहीं दिया गया, इसलिए यह निश्चित किया गया है कि वर्ष 2013-14 में कंप्यूटर संचालन का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

4.1.10.5 - ब्लॉक स्रोत केन्द्र का संचालन

राज्य शासन (पंचायती राज मंत्रालय) द्वारा जारी परिपत्र (नम्बर 2008) के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में एक ब्लॉक स्रोत केन्द्र (बी.आर.सी.) की स्थापना की जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का दायित्व इसको संचालित करने का होगा। बी.आर.सी. में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, विभिन्न योजनाओं की जानकारी, लोगों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन, लाभार्थियों की सफलता की कहानियाँ दर्ज करने संबंधी कार्य होगा। बी.आर.सी. के सुचारु संचालन के लिए प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रदाय राशि की 90 प्रतिशत राशि प्रशिक्षण पर उपयोग की जाए एवं 10 प्रतिशत राशि अधोसंरचना विकास पर उपयोग की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारियों¹⁹ की पदस्थापना की जानी थी।

35 जनपद पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच (जून से दिसम्बर-2013) में पाया गया कि प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु ब्लॉक स्रोत केन्द्रों का निर्माण वर्ष 2008-10 के दौरान किया गया। बी.आर.सी. के कार्य संचालन की स्थिति निम्न तालिका- 10 में दी गयी है:

तालिका 10: बी.आर.सी. कार्य की स्थिति

स्वीकृत बी.आर.सी. की संख्या	निर्मित बी.आर.सी. की संख्या	क्या सभी सुसज्जित हैं		क्या कर्मचारी पदस्थ किये गये		क्या प्रशिक्षण दिया गया है			क्या बी.आर.सी. का आवंटन अन्य उद्देश्यों/संस्था को किया गया है		क्या वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है	
		हां	नहीं	हां	नहीं	हां	आंशिक रूप से	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
35	35	14	21	3	32	1	8	26	22	13	0	35

स्रोत:-चयनित जिलों की जनपद पंचायत।

¹⁸ पंचायतों के विस्तार हेतु अनुसूचित क्षेत्रों की धारा 1996, भारत सरकार द्वारा लागू की गयी है जिसके अंतर्गत वैसे अनुसूचित क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिन्हें 73वां संविधान संशोधन या भारतीय संविधान के पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत नहीं लिया गया था।

¹⁹ ब्लॉक स्रोत केन्द्रों के लिए एक सहायक विकास अधिकारी, एक उपयंत्री, तीन से चार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, दो केयरटेकर, एक सहायक प्रशिक्षक एवं एक हेल्पलाइन सहायक।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों के लिए निर्मित ब्लॉक स्रोत केन्द्रों का उपयोग नहीं किया गया है जिससे निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि बी.आर.सी. का उपयोग ज्ञानवृद्धि प्रशिक्षण बैठक करने और नागरिक सेवाओं में किया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव का उत्तर नियम के अनुकूल नहीं है जैसी कि लेखापरीक्षित सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा जानकारी प्रदाय की गयी है।

4.1.11 विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

4.1.11.1 स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण न किया जाना

कार्य स्वीकृत आदेशों के अनुसार, बी.आर.जी.एफ कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये कार्यों को निर्धारित समय सीमा (3 से 12 माह) में पूर्ण किया जाना है, यदि आवश्यक हो तो समय वृद्धि की स्वीकृति सक्षम अधिकारियों से ली जानी चाहिए।

14 चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि 2008-13 की अवधि में गये लिए 2535 कार्य राशि ₹118.27 करोड़ व्यय करने के बाद भी अपूर्ण रहे (परिशिष्ट 4.8)। अवधि 2008-09 से 2011-12 तक के अपूर्ण कार्यों का सारांशीकृत विवरण तालिका-11 में नीचे दिया गया है:

तालिका 11: अपूर्ण कार्यों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	कार्यों की संख्या		कार्यों की संख्या		अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की स्वीकृत राशि	कार्य पर कुल व्यय (कुल स्वीकृत कार्यों की तुलना में प्रतिशत)
		स्वीकृत	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्य (स्वीकृत कार्यों की तुलना में प्रतिशत)	पूर्ण कार्यों की लागत			
1	2	3	4	5	6	7 (3-5)	8	9
01	2009 तक	5843	233.46	5556(95)	224.03	287	12.10	9.43 (0.04)
02	2009-10	3591	180.46	3276 (91)	166.51	315	17.71	13.95 (0.08)
03	2010-11	4704	170.70	4048 (87)	128.59	656	55.81	42.11(24)
04	2011-12	4715	209.88	3438 (73)	157.10	1230	84.75	52.79 (27)
	योग	18853	794.51	16318(86)	628.04	2535	170.37	118.27 (69)

स्रोत- जिले के मासिक प्रगति प्रतिवेदन

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 14 जिलों में वर्ष 2008-09 से 2010-11 के 1258 कार्य मार्च 2013 की स्थिति में अपूर्ण रहे। परिणामस्वरूप निर्धारित समयावधि में कार्यों का अपूर्ण रहना किये गये व्यय का निष्फल होना बताता है। इसके अलावा स्वीकृत कार्यों के अपूर्ण रहने से कार्यों की लागत में वृद्धि होती है।

यह इंगित किये जाने (जून से दिसम्बर 2013) पर, पाँच जिला पंचायतों²⁰ के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने अवगत कराया (जून से दिसम्बर 2013) कि संबंधित ग्राम पंचायतों को निर्धारित समय सीमा में कार्यों को पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। चार जिला पंचायतों²¹ के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने अवगत कराया (जुलाई से

²⁰ बैतूल, खण्डवा (बुरहानपुर), खरगौन, सिवनी एवं टीकमगढ़

²¹ बड़वानी, दमोह, झाबुआ एवं शहडोल

अगस्त 2013) कि कार्यों को भौतिक रूप से पूर्ण कराया जा चुका है, परंतु पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण कार्य अपूर्ण दर्शाया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न किये जाने के कारण अप्राप्त है (मई 2014)। दो जिला पंचायत²² के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने विलंब का कारण देरी से कार्य प्रारंभ होना बताया। चार जिलों²³ के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने प्रत्युत्तर दिया कि कार्यों के निर्माण प्रगतिरत थे एवं अन्य जिलों के लिये प्रत्युत्तर अप्राप्त रहे (मई 2014)।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने के लिए जिलों को जून 2014 तक की समय सीमा निर्धारित की जाएगी।

यह भी पाया गया कि 14 चयनित जिलों में राशि ₹ 150.55 करोड़ के 3388 कार्य पूर्ण किये गये (परिशिष्ट 4.9) परंतु इन पूर्ण कार्यों के प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये।

4.1.11.2 अपना घर योजनान्तर्गत मकानों का अधूरा रहना।

बी.आर.जी.एफ. दिशा निर्देशों की कंडिका क्र 4.32 (ग) के अनुसार, यदि एक निर्धारित जिला योजना समिति जिले को मकानों की समस्या से मुक्त करना चाहती है और स्थानीय पंचायती राज संस्था इसे एक प्राथमिकता के तौर पर देखती है, तो निधियां ग्रामीण मकानों के लिए स्रोत के रूप में दी जा सकती हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मार्च 2007 में बी.आर.जी.एफ. निधियों का उपयोग ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अपना घर योजना में किए जाने के आदेश जारी किए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिवर्ष एक मकान बनाया जाना था। जिला पंचायत द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को एक मुश्त राशि उपलब्ध कराई गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राहियों को उक्त राशि दो किस्तों में उपलब्ध करानी थी। प्रथम किस्त के कार्य की प्रगति के आधार पर 45 दिन के अंदर द्वितीय किस्त दी जानी थी।

14 चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने देखा कि वर्ष 2008-12 में 34,880 अपना घर स्वीकृत किये गये थे (परिशिष्ट 4.10)। जिनमें से आठ जिलों में 20,305 स्वीकृत मकानों में से 1976 मकान मार्च 2013 को अपूर्ण होना प्रतिवेदित किये गये थे। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 8.13 करोड़ अप्रयुक्त रहे तथा कार्यक्रम के उद्देश्य पूर्णरूप से प्राप्त नहीं हो सके।

इस ओर ध्यान दिलाने (जून से दिसम्बर 2013) पर आठ जिला पंचायतों²⁴ के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने अवगत कराया कि मासिक बैठक के दौरान जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को समय-समय पर निर्देशित किया गया था कि इसे शीघ्र पूर्ण कराया जाय एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत से शेष राशि वापस प्राप्त की जाए।

छः जिला²⁵ पंचायतों द्वारा सभी स्वीकृत 14,982 मकान निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए गए थे।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ने कहा (अप्रैल 2014) कि जिलों को शेष मकानों को जून 2014 तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

²² गुना एवं मण्डला

²³ गुना, खण्डवा, खरगौन एवं टीकमगढ़

²⁴ बैतूल, दमोह, गुना (अशोकनगर), शहडोल, सिवनी, शिवपुरी, सीधी (सिंगरौली) एवं टीकमगढ़

²⁵ बड़वानी, झाबुआ, खण्डवा(बुरहानपुर), खरगौन, मण्डला एवं सीवा

4.1.11.3(अ) दोषपूर्ण डिजाइन से स्टाप डेम के किनारों को नुकसान होना

स्टाप डेम के डिजाइन सम्बन्धी जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) द्वारा जारी परिपत्र (सितम्बर 1993) की कंडिका क्रमांक 3.12 के अनुसार, कटाव के विरुद्ध तट के संक्षरण हेतु जल भराव एवं जल निकास दोनों ओर बचाव हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण आवश्यक है। यह सुझाव दिया गया था कि स्टाप डेम में ऊपर की ओर सुरक्षा हेतु पूर्ण लम्बाई में तथा अधिकतम गहराई में ठोस फर्श दिया जाए।

अभिलेखों की नमूना जांच में हमने देखा (सितम्बर 2013), कि जल संसाधन विभाग खरगौन संभाग को स्टाप डेम के निर्माण के लिये ₹ 30 लाख स्वीकृत (2008- 09) किये गये थे।

इसके बाद जल संसाधन विभाग को मिट्टी परीक्षण एवं हाइड्रोलिक ढलान के आधार पर स्टाप डेम के निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार करना था, जबकि लेखापरीक्षा को ऐसे कोई जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराए गए। प्राक्कलन के निरीक्षण में यह पाया गया कि डेम के जल भराव एवं जल निकास दोनों तरफ किनारे को बांधने के लिये कोई सुरक्षा दीवार एवं विंग वाल का प्रावधान नहीं किया गया था।

स्टाप डेम के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान हमने देखा कि मिट्टी के कटाव के कारण डेम का एक किनारा क्षतिग्रस्त हो गया था। नीचे दिये गये छाया चित्रों में मिट्टी के कटाव की स्थिति दिखाई गई है:

स्टॉप डेम के किनारों के कटाव की स्थिति



इस प्रकार, स्टाप डेम का निर्माण उचित डिजाइन के बिना किये जाने से स्टाप डेम के किनारे क्षतिग्रस्त हो रहे थे।

इस संबंध में इंगित किए जाने (सितम्बर 2013) पर, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग ने अवगत कराया कि स्थल की स्थिति एवं किनारे स्थायी होने के कारण विंग दीवार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं थी।

काम पूरा होने के तीन साल के अंदर किनारे का क्षतिग्रस्त होना प्रदर्शित करता है कि स्टाप डेम की डिजाइन अनुपयुक्त थी।

निर्गम सम्मलेन में अपर मुख्य सचिव ने कहा (अप्रैल 2014) कि इस मामले की जांच कर उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

4.1.11.3 (ब) अधूरे कार्यों पर अतिरिक्त लागत

जिला पंचायत टीकमगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के अंतर्गत जिला पंचायत द्वारा 73 निर्माण कार्यों, जैसे आंगनवाड़ी केन्द्र, सामुदायिक भवन एवं रोड आदि वर्ष 2007-09 में जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत किये गए थे तथा ₹177.80 लाख की राशि 65 ग्राम पंचायतों को कार्यों के क्रियान्वयन हेतु प्रदान की गई थी। इसके विरुद्ध सरपंचों/सचिवों द्वारा राशि ₹149.09 लाख का आहरण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिये गये। निर्माण कार्यों पर राशि ₹85.22 लाख व्यय किये जाने के उपरान्त कार्य अधूरे (2008-11) छोड़ दिये गये। शेष अपूर्ण कार्य लागत ₹92.58 लाख, के विरुद्ध पुनरीक्षित लागत राशि ₹105.60 लाख की स्वीकृति संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गई (सितम्बर 2012)। इस प्रकार, निर्धारित समय में निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण ₹13.02 लाख²⁶ की अतिरिक्त लागत निर्धारित की गई।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ने कहा (अप्रैल 2014) कि इस मामले की जांच कर उपचारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

4.1.12 बी.आर.जी.एफ कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अपर्याप्त कर्मचारी

बी.आर.जी.एफ. दिशा-निर्देशों के पैरा 4.11 में उल्लेखित है कि राज्य द्वारा समस्त पंचायतों एवं नगरीय निकायों में पर्याप्त मानवशक्ति एवं संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च प्राधिकार समिति की बैठक (जनवरी 2007) में भी यह उल्लेख किया गया था कि राज्य, जिला एवं जनपद स्तर पर कार्यक्रम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे।

14 चयनित जिलों एवं पंचायत राज संचालनालय के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि मार्च 2013 की स्थिति में 262 स्वीकृत पदों²⁷ के विरुद्ध मात्र 95 पद²⁸ भरे थे तथा 167 पद (64 प्रतिशत) मार्च 2013 तक रिक्त थे, जिसमें 10 परियोजना अधिकारी/सहा.परियोजना अधिकारी, 85 सहायक यंत्री/उपयंत्री और 13 लेखापाल शामिल थे। महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों की कमी कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न करती है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि योजना के तकनीकी पक्ष के लिए उप यंत्रियों की सेवाएँ ली जायेंगी तथा ग्राम रोजगार सहायक को प्रगति प्रतिवेदन तैयार करने एवं डाटा अपलोडिंग कार्य के लिये उत्तरदायी बनाया जायेगा।

²⁶ ₹105.60 लाख (पुनरीक्षित स्वीकृति) ₹92.58 लाख (मूल स्वीकृति ₹177.80 लाख किये गये कार्य ₹85.22 लाख)

²⁷ प्रोजेक्ट ऑफिसर/सहायक प्रोजेक्ट ऑफिसर-19, सहायक यंत्री-14, उपयंत्री-105, लेखापाल-15, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर-107, एक प्रोग्रामर एवं एक सहायक सांख्यिकी अधिकारी

²⁸ प्रोजेक्ट/सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी-9, प्रोग्रामर-1, सहायक यंत्री-3, उपयंत्री-31, लेखापाल-2 एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर-49

4.1.13 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

4.1.13.1 पंचायती राज संस्था/नगरीय निकायों का निष्पादन प्रोत्साहन न किया जाना

दिशा-निर्देशों की कण्डिका 1.9(स) के अनुसार बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु राशि ₹15,000 प्रति जनपद एवं ₹10,000 प्रति ग्राम पंचायत को निष्पादन प्रोत्साहन दिया जाना था।

14 चयनित जिलों में हमने पाया कि इस कार्य हेतु ₹34.41 लाख उपलब्ध (2008-10) कराये गये थे, परंतु जिला पंचायत/जनपद पंचायत द्वारा योजना के क्रियान्वयन नहीं किए जाने से निष्पादन प्रोत्साहन नहीं दिया गया। इससे उत्कृष्ट क्रियान्वयन करने वाले को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य प्रभावित हुआ।

निर्गम सम्मलेन में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पी.आर.आई अवार्ड हेतु राशि केवल 2007-08 तथा 2008-09 में जारी की गई थी तथा पी.आर.आई. प्रोत्साहन राशि का उपयोग विकास कार्यों में किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

तथ्य से स्पष्ट है कि शासन प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सकी।

4.1.13.2 रूरल सॉफ्ट पर क्रियान्वयन की स्थिति का अपलोड न किया जाना

मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा (दिसम्बर 2007) जारी परिपत्र की कण्डिका 9 के अनुसार बी.आर.जी.एफ. प्रोग्राम की अद्यतन स्थिति को रूरल साफ्ट पर अपलोड किया जाना था जिसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) नई दिल्ली द्वारा जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय अनुश्रवण प्रतिमाह किये जाने हेतु तैयार किया गया था।

चयनित 14 जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि बी.आर.जी.एफ. के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी वेबसाइट "रूरल साफ्ट" पर अपलोड नहीं की जा रही थी। इससे मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु अनुश्रवण करने, उन कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने तथा बी.आर.सी. में प्रशिक्षण दिये जाने पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

इसे इंगित किये जाने (जून से दिसम्बर 2013) पर छः जिला²⁹ पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि जानकारी "रूरल साफ्ट" पर अपलोड नहीं की जा रही थी। अन्य जिला³⁰ पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षित कर्मचारी न होने से, डाटा को डालने हेतु पोर्टल उपलब्ध न होने, एवं पासवर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण आंकड़ों को अपलोड नहीं कराया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष 2013-14 से राज्य पंचायत पोर्टल "पंचायत दर्पण" का उपयोग इस कार्य हेतु किया जा रहा है। यद्यपि, उत्तर के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

²⁹ बड़वानी, बैतूल, दमोह, झाबुआ, मण्डला एवं सीवा

³⁰ गुना(अशोकनगर), खण्डवा(बुरहानपुर), शहडोल(अनूपपुर), शिवपुरी, सीधी(सिंगरौली) एवं टीकमगढ़

4.1.13.3 आयोजित प्रशिक्षण का मूल्यांकन

दिशा-निर्देशों के पैरा 3.4 के अनुसार पंचायत राज मंत्रालय द्वारा बनाये गये संस्थान द्वारा प्रशिक्षण का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान, (एस.आई.आर.डी.) जबलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि एस.आई.आर.डी. ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, परन्तु, मात्र एक स्वतंत्र मूल्यांकन वर्ष 2010-11 में स्कूल ऑफ गुड गवर्नेन्स इंस्टीट्यूट, भोपाल द्वारा किया गया।

यह इंगित किये जाने (जून 2013) पर संचालक, एस.आई.आर.डी. ने बताया कि मूल्यांकन संस्थान की अनुपलब्धता के कारण स्वतंत्र मूल्यांकन आयोजित नहीं किया जा सका। यद्यपि निकट भविष्य में होने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में स्कूल ऑफ गुड गवर्नेन्स द्वारा सुझायी गई कमियों को ग्रहण किया जायेगा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने बताया कि स्वतंत्र मूल्यांकन नियमित रूप से आयोजित कराये जायेंगे, इस हेतु टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल साइंसेज को अधिकृत किया जायेगा।

4.1.14 निष्कर्ष

स्वॉट विश्लेषण के आधार पर पहचान किये गये अधिकतम पिछड़े क्षेत्रों को वार्षिक कार्ययोजना में वांछित प्राथमिकता नहीं दिये जाने से विकास हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय असंतुलन में महत्वपूर्ण अन्तरालों को दूर करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। कार्ययोजना के विलंब से अनुमोदन होने से कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वार्षिक कार्ययोजना में शामिल कार्यों के निष्पादन में विशिष्ट कमी पाई गई। जिला प्राधिकारियों द्वारा निधियों का समयावधि के अंदर उपयोग करने में असफल रहने से बहुत अधिक मात्रा में राशि अनुपयोगी रही। पूर्ण कार्यों के विरुद्ध अधिशेष राशि एवं अपूर्ण कार्यों पर अप्रयुक्त रही राशि लंबे समय के उपरांत भी ग्राम पंचायतों के सचिवों तथा लाइन विभाग द्वारा वापिस नहीं की गई। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण संबंधी प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित नहीं किये गये। कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं होने के कारण ब्लॉक रिसोर्स सेंटर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे।

4.15 अनुशंसाएँ

- जिलों के क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिये वार्षिक कार्ययोजना में पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता दी जानी चाहिये। कार्ययोजना को समय पर मंजूरी और निष्पादन किया जाना चाहिये।
- कार्यक्रम निधि का समय पर उपयोग किया जाना चाहिये तथा अप्रयुक्त राशि कार्यक्रम खाते में वापस की जानी चाहिये।
- कार्यों के निष्पादन की निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिये ताकि स्वीकृत कार्य लम्बी अवधि तक लंबित ना रहें।

अध्याय - पाँच लेनदेनों की लेखापरीक्षा

5.1 मनरेगा योजना निधि अवरूद्ध रहने के कारण ब्याज की हानि

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के असंगत निर्णय के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निधि ₹ 45.83 करोड़ चार माह तक अवरूद्ध रहने के परिणामस्वरूप ब्याज राशि ₹ 61.11 लाख की हानि।

सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने फरवरी 2012 में, पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु आवंटित राशि से 24,000 लैपटॉप कम्प्यूटर खरीदे जाने का निर्णय लिया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने (फरवरी 2012) सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से उनके विभाग में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार लैपटॉप उपलब्ध कराये जाने हेतु आग्रह किया। 24,000 लैपटॉप की संपूर्ण लागत राशि ₹50.40 करोड़ (प्रति इकाई लागत ₹20,000 एवं पाँच प्रतिशत सेवा प्रभार) आंकलित की गई। लैपटॉप की आपूर्ति मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की जानी थी।

आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद¹ की नमूना जाँच (जुलाई 2013) में हमने पाया कि मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने 50 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि लैपटॉप की लागत राशि का बैंक ड्राफ्ट मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से बनाकर 31 मार्च 2012 से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को प्रेषित करें। तदनुसार, 49 जिला पंचायतों ने राशि ₹45.83 करोड़ का बैंक ड्राफ्ट मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से बनाकर 31 मार्च 2012 को मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को भेजे जाने हेतु प्रेषित किया (परिशिष्ट 5.1)।

हमने पाया कि, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा, 30 जिला पंचायतों की राशि ₹ 28 करोड़, 14,203 लैपटॉप उपलब्ध कराने हेतु स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को 28 जुलाई 2012 को भेजी गई, जबकि स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अग्रिम भुगतान के लिए कोई मांग नहीं की गई थी। लैपटॉप के लिए शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जाना सामान्य वित्तीय नियम² 159 का उल्लंघन था। 19 जिलों की शेष बैंक ड्राफ्ट राशि ₹17.83 करोड़ संबंधित जिला पंचायतों को 25 जुलाई 2012 को वापस की गई। इस तरह, संपूर्ण राशि ₹45.83 करोड़ चार माह तक मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पास अवरूद्ध रही।

चूँकि क्रय एक वर्ष तक विलंबित हो गया, इसलिए अप्रैल 2013 में यह निर्णय लिया कि 8000 लैपटॉप बढ़ी हुई दर राशि ₹ 33,000 एवं कर, की प्रति इकाई की दर से खरीदा जाए।

¹ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संचालन हेतु मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद एक राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी है।

² सामान्य वित्तीय नियम 159 के अनुसार कोई भी शासकीय/सार्वजनिक उपक्रम को लागत सामग्री का अधिकतम 40 प्रतिशत अग्रिम उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

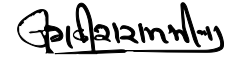
आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने जुलाई 2013 में अवगत कराया कि लैपटॉप क्रय हेतु संबंधित जिला कलेक्टरों/मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला पंचायतों के साथ एम.ओ.यू. की कार्यवाही प्रचलित थी।

इस प्रकार, असंगत निर्णय के कारण मनरेगा योजना से अग्रिम के रूप में आहरित राशि ₹45.83 करोड़ मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पास चार माह जुलाई 2012 तक बैंक ड्राफ्ट के रूप में लंबित रही। परिणामस्वरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निधि में, ब्याज राशि ₹61.11³ लाख की हानि हुई।

प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (सितम्बर 2013)। यद्यपि शासन द्वारा इस पर कोई अभियुक्ति उपलब्ध नहीं कराई गई, शासन ने आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को निर्देशित किया कि आपत्ति का जवाब प्रेषित करें। आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने अपने उत्तर (मई 2014) में तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया कि लैपटॉप उपलब्ध कराने की जानकारी शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी। उत्तर इस बात पर मौन है कि राशि के अवरुद्ध रहने के कारण योजना निधि को ब्याज की हानि हुई। लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी मांगे जाने पर मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने अवगत कराया (मई 2014) कि 21 जिलों में लैपटॉप उपलब्ध कराये जा चुके हैं तथा शेष जिलों में कार्यवाही प्रचालन में है।

दिनांक :

स्थान: ग्वालियर



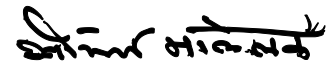
(जे.आर.मीणा)

उप महालेखाकार
(सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा-एक)
मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक :

स्थान: ग्वालियर



(सौरभ कुमार मल्लिक)

महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

³ राशि ₹45.83 करोड़ पर चार प्रतिशत बचत बैंक खाता ब्याज दर से।

भाग -1 नगरीय स्थानीय निकाय
परिशिष्ट 1.1
संदर्भ कण्डिका 1.3 (पृष्ठ-2)

वर्ष 20012-13 के दौरान लेखापरीक्षित नगरीय स्थानीय निकायों की सूची

I आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

II 9 नगर पालिक निगम

1	नगर पालिक निगम भोपाल
2	नगर पालिक निगम रीवा
3	नगर पालिक निगम इन्दौर
4	नगर पालिक निगम खण्डवा
5	नगर पालिक निगम उज्जैन
6	नगर पालिक निगम ग्वालियर
7	नगर पालिक निगम देवास
8	नगर पालिक निगम जबलपुर
9	नगर पालिक निगम रतलाम

III 16 नगर पालिका परिषद

1	नगर पालिका परिषद जावरा, रतलाम
2	नगर पालिका परिषद सेधवा, बड़वानी
3	नगर पालिका परिषद नागदा, उज्जैन
4	नगर पालिका परिषद बैतुल
5	नगर पालिका परिषद हरदा
6	नगर पालिका परिषद इटारसी, होशंगाबाद
7	नगर पालिका परिषद खरगोन
8	नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर
9	नगर पालिका परिषद शहडोल
10	नगर पालिका परिषद शाजापुर
11	नगर पालिका परिषद झाबुआ
12	नगर पालिका परिषद शिवपुरी
13	नगर पालिका परिषद मुरैना
14	नगर पालिका परिषद दमोह
15	नगर पालिका परिषद विदिशा
16	नगर पालिका परिषद सीहोर

IV 32 नगर परिषद (पंचायत)

1	नगर परिषद चिंचोली, बैतुल
2	नगर परिषद कांटाफोड, देवास
3	नगर परिषद बरही, कटनी
4	नगर परिषद बरेला, जबलपुर

5	नगर परिषद ब्योहारी, शहडोल
6	नगर परिषद मक्शी, शाजापुर
7	नगर परिषद, सतवास, देवास
8	नगर परिषद मानपुर, इन्दौर
9	नगर परिषद धामनोद, धार
10	नगर परिषद जोवट, अलीराजपुर
11	नगर परिषद राऊ, इन्दौर
12	नगर परिषद पिछोर, शिवपुरी
13	नगर परिषद वानमोर, मुरैना
14	नगर परिषद बड़ोनी, दतिया
15	नगर परिषद निवाडी, टीकमगढ़
16	नगर परिषद ओरछा
17	नगर परिषद नागोद, सतना
18	नगर परिषद अकोडा, भिण्ड
19	नगर परिषद मोहगांव, छिंदवाड़ा
20	नगर परिषद नामली, रतलाम
21	नगर परिषद शमशादावाद, विदिशा
22	नगर परिषद सोनकच्छ, देवास
23	नगर परिषद माकडोन, उज्जैन
24	नगर परिषद मनगवां, रीवा
25	नगर परिषद गुड्ड, रीवा
26	नगर परिषद गोविन्दगढ़, रीवा
27	नगर परिषद चाकधाट, रीवा
28	नगर परिषद थांदला, झाबुआ
29	नगर परिषद रानापुर, झाबुआ
30	नगर परिषद पंधाना, खण्डवा
31	नगर परिषद अमानगंज पन्ना
32	नगर परिषद जीरापुर, राजगढ़

परिशिष्ट 1.2

संदर्भ कंडिका- 1.9 (पृष्ठ-5)

बैंक समाशोधन पत्रक नहीं बनाया जाना

(₹ लाख में)

स.क्र	निकायों के नाम	31.03.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष	31.03.2013 को पास बुक अनुसार शेष	अन्तर
1	नगर पालिका निगम सतना	1912.70	2085.03	172.33
2	नगर पालिका परिषद अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा	247.86	290.88	43.02
3	नगर पालिका परिषद हाटपिपल्या, देवास	5.94	21.25	15.31
4	नगर पालिका परिषद पिपरिया, होशंगाबाद	282.67	358.88	76.21
5	नगर पालिका परिषद वारासिवनी, बालाघाट	28.03	28.28	0.25
6	नगर पालिका अम्बाह, मुरैना	46.93	52.30	5.37
7	नगर पालिका परिषद झाबुआ	573.02	594.91	21.89
8	नगर परिषद खाण्ड, शहडोल	4.25	5.79	1.54
9	नगर परिषद कर्नावद, देवास	3.54	6.52	2.98
10	नगर परिषद अकोदिया, शाजापुर	31.18	36.49	5.31
11	नगर परिषद माण्डव, धार	334.89	400.47	65.58
12	नगर परिषद पिपलौदा, रतलाम	75.22	85.72	10.50
13	नगर परिषद राजगढ़, (धार)	356.24	373.59	17.35
	योग	3902.47	4340.11	437.64
1	नगर पालिका परिषद पिपरिया, होशंगाबाद	55.94	46.98	-8.96
2	नगर पालिका परिषद वारासिवनी, बालाघाट	291.48	282.56	-8.92
3	नगर परिषद मण्डलेश्वर, खरगौन	162.02	138.46	-23.56
4	नगर परिषद लोधी खेड़ा छिंदवाड़ा	27.02	18.96	-8.06
5	नगर परिषद खाण्ड, शहडोल	112.63	99.7	-12.93
6	नगर परिषद आकोदिया, शाजापुर	4.48	3.8	-0.68
7	पिपलोदा, रतलाम	8.13	7.32	-0.81
	योग	661.70	597.78	-63.92

स्त्रोत- संबंधित स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार

परिशिष्ट 1.3(क)
संदर्भ:- कंडिका 1.10(पृष्ठ-6)

अवसूलीकृत कर राजस्व का विवरण
(सम्पत्ति समेकित कर शिक्षा उपकर नगरीय विकास उपकर बाजार शुल्क, प्रदर्शन कर)

(₹लाख में)

स.क्र	इकाई का नाम	पिछले वर्ष का बकाया	2012-13 के दौरान की गयी मांग	कुल	मार्च 2013 तक कुल वसूला गया कर राजस्व	बकाया कर की राशि (31.3.13 का)
नगर पालिक निगम						
1	सागर	229.39	173.31	402.7	146.03	256.67
2	भोपाल	3105.25	5019.09	8124.34	5881.04	2243.3
3	रतलाम	239.41	507.72	747.13	400.81	346.32
4	खण्डवा	270.43	274.94	545.37	277.12	268.25
5	जबलपुर	7908.33	2849.61	10757.94	2683.61	8074.33
नगर पालिका परिषद						
6	डोंगर परासिया छिंदवाड़ा	14.1	27.16	41.26	26.71	14.55
7	शुजालपुर, शाजापुर	90.59	28.67	119.26	55.33	63.93
8	लोहार्दा, देवास	5.1	2.36	7.46	3.08	4.38
9	हाटपिप्लया, देवास	20.98	3.8	24.78	2.23	22.55
10	पचोर, राजगढ़	52.74	18.34	71.09	31.27	39.82
11	मण्डलेश्वर, खरगोन	13.04	10.29	23.33	9.79	13.54
12	धनपुरी, शहडोल	आंकड़े उपलब्ध नहीं		197.00	60.92	136.08
13	खाडे, शहडोल	8.05	2.59	10.64	1.78	8.86
14	पिपरिया, होशंगाबाद	58.46	32.38	90.84	31.85	58.99
15	बालाघाट	115.98	84.11	200.09	129.23	70.86
16	मलाजखण्ड, बालाघाट	62.25	398.23	460.47	105.97	354.50
17	वारासिवनी, बालाघाट	39.39	29.92	69.31	25.79	43.52
18	हरदा	28.72	65.41	94.13	68.96	25.17
19	अम्बा, मुरैना	49.71	16.14	65.85	10.08	55.77
नगर परिषद						
20	बडकुही, छिंदवाड़ा	6.00	9.80	15.80	5.25	10.55
21	अकोदिया, शाजापुर	12.53	8.8	21.33	10.81	10.52
22	पिपलोदा, रतलाम	6.73	3.40	10.13	3.51	6.62
23	मक्सी, शाजापुर	18.75	31.28	50.03	34.76	15.27
24	मानपुर, इन्दौर	5.37	2.41	7.78	1.89	5.89
25	पंधाना, खण्डवा	4.84	3.68	8.52	3.35	5.17
	योग	12366.13	9603.44	22166.58	10011.17	12155.41 ₹ 121.55 Crore

स्रोत - संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय के लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

परिशिष्ट - 1.3(ख)
संदर्भ कंडिका - 1.10 (पृष्ठ-6)
31.03.2013 को बकाया किराया एवं प्रीमियम का विवरण

(रुलाख में)

स.क्र	इकाई का नाम	आवंटित दुकानों का बकाया प्रीमियम	आवंटित दुकानों का बकाया किराया	योग (31.03.2013 को)
नगर पालिका निगम				
1	सागर	43.92	22.78	66.70
2	भोपाल		38.37	38.37
3	सतना		50.83	50.83
4	खण्डवा		23.54	23.54
5	जबलपुर		106.19	106.19
नगर पालिका परिषद				
6	राजगढ़	16.32	4.87	21.19
7	डोंगर परासिया, छिंदवाड़ा		0.68	0.68
8	शुजालपुर, शाजापुर		6.32	6.32
9	हाटपिपल्या, देवास		2.40	2.40
10	पचौर, राजगढ़		7.17	7.17
11	मण्डलेश्वर, खरगोन		0.58	1.17
12	धनपुरी, शहडोल		0.96	0.96
13	पिपरिया, होशंगाबाद	10.15	22.92	33.07
14	बालाघाट		35.04	35.04
15	मलाजखण्ड, बालाघाट		15.30	15.30
16	वारासिवनी, बालाघाट		4.34	4.34
17	हरदा		18.28	18.28
18	अम्बा, मुरैना		7.46	7.46
नगर परिषद				
19	अकोदिया, शाजापुर	2.33	2.03	4.36
20	मक्सी, शाजापुर		1.49	1.49
21	राजगढ़, धार	5.79	0.72	6.51
22	निवाडी, टीकमगढ़		2.36	2.36
23	पंधाना, खण्डवा		0.03	0.03
	योग	78.51	374.66	453.76 ₹ 4.54 करोड़

परिशिष्ट - 1.4
संदर्भ: कण्डिका 1.10 (पृष्ठ-6)
अवसूलीकृत गैर कर राजस्व का विवरण

(₹ लाख में)						
स.क्र	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	पिछले वर्ष का बकाया	2012-13 के दौरान की गयी मांग	कुल	सवूला गया कुल कर (मार्च 2013 को)	वसूलीकृत कर की राशि (31 मार्च 2013 को)
नगर पालिका निगम						
1	भोपाल	259.56	489.26	748.82	546.98	201.84
2	सतना	584.99	170.89	755.88	91.7	664.18
3	रतलाम	244.86	356.4	601.26	258.91	342.35
4	खण्डवा	123.66	69.59	193.25	108.12	85.13
5	जबलपुर	10810.82	2658.6	13469.42	1431.14	12038.28
नगर पालिका परिषद						
6	डोंगर परासिया, छिंदवाडा	8.09	9.12	17.21	10.14	7.07
7	शुजालपुर, शाजापुर	55.28	25.94	81.22	29.03	52.19
8	लोहार्दा, देवास	2.4	2.33	4.73	2.98	1.75
9	हाटपिपल्या, देवास	7	3	10	0.79	9.21
10	पचोर, राजगढ़	37.91	10.62	48.53	9.32	39.21
11	मण्डलेश्वर, खरगोन	3.09	12.26	15.35	11.33	4.02
12	धनपुरी, शहडोल	आंकड़े उपलब्ध नहीं है।		34.83	11.57	23.26
13	पिपरिया, होशंगाबाद	54.48	18.46	72.94	25.22	47.72
14	बालाघाट	77.66	49.5	127.16	44.08	83.08
15	मलाजखण्ड, बालाघाट	0.20	5.14	5.34	4.94	0.40
16	वारासिवनी, बालाघाट	2.46	13.54	16	12.14	3.86
17	हरदा	25.76	42.72	68.48	40.8	27.68
18	अम्बा, मुरैना	48.34	19.07	67.41	12.78	54.63
नगर परिषद						
19	अकोदिया, शाजापुर	6.9	3.11	10.01	5.79	4.22
20	पिपलोदा, रतलाम	0.20	3.28	3.48	3.31	0.17
21	मक्सी, शाजापुर	6.29	10	16.29	13.69	2.60
22	मानपुर, इन्दौर	0.9	5.41	6.31	5.26	1.05
23	पंधाना, खण्डवा	0.72	9.6	10.32	8.93	1.39
	योग	12361.57	3987.84	16384.24	2688.95	13695.29

स्रोत:- संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय के लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

परिशिष्ट -1.5
संदर्भ: - 1.11 (पृष्ठ-7)
असमायोजित अग्रिमों का विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र	इकाई का नाम	अग्रिम का उद्देश्य	31.03.2013 को असमायोजित राशि
नगर पालिका निगम			
1	बुरहानपुर	आकस्मिकता	33.33
2	सागर	शासकीय	136.23
3	भोपाल	शासकीय	19.20
4	सतना	शासकीय	86.37
5	रतलाम	शासकीय	12.03
6	उज्जैन	शासकीय	224.66
7	खण्डवा	शासकीय	71.08
8	जबलपुर	शासकीय	164.70
नगर पालिका परिषद			
9	हाटपिपल्या, देवास	शासकीय	0.60
10	धनपुरी, शहडोल	शासकीय	2.81
11	बालाघाट	शासकीय	1.57
12	मजाजखण्ड बालाघाट	शासकीय	1.72
नगर परिषद			
13	अकोदिया, शाजापुर	शासकीय	1.71
14	राजगढ़, धार	शासकीय	0.35
15	निवाडी, टीकमगढ़	शासकीय	0.68
16	पंधाना, खण्डवा	शासकीय	1.29
17	ओरछा, टीकमगढ़	शासकीय	0.47
योग			758.80

स्रोत:- संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

परिशिष्ट -2.1

संदर्भ पैरा 2.1 (पृष्ठ-10)

संपत्ति कर की मांग तथा वसूली को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

नगर निगम	वर्ष	संपत्ति कर का प्रारंभिक शेष (पूर्व वर्षों की मांग)	वर्तमान वर्ष की मांग	कुल मांग	वर्ष के दौरान कुल वसूली	वसूली का प्रतिशत	वर्ष के अंत में वसूली हेतु शेष राशि
भोपाल	2010-11	803.11	1963.89	2767.00	2333.50	84.33	433.50
	2011-12	1214.60	2215.56	3430.16	2849.13	83.06	581.03
	2012-13	1416.40	2481.18	3897.58	3112.76	79.86	784.82
बुरहानपुर	2010-11	51.92	29.34	81.26	39.64	48.78	41.62
	2011-12	57.30	35.04	92.34	55.11	59.68	37.23
	2012-13	54.77	37.49	92.26	52.42	56.81	39.84
इंदौर	2010-11	42595.73	10357.21	52952.94	9872.45	18.64	43080.49
	2011-12	47098.51	17411.43	64509.94	12935.84	20.05	51574.10
	2012-13	50465.66	17874.70	68340.36	13173.71	19.27	55166.65
सागर	2010-11	43.60	44.47	88.07	55.35	62.84	32.72
	2011-12	54.02	48.41	102.43	61.06	59.61	41.37
	2012-13	48.12	76.61	124.73	64.78	51.93	59.95
सतना	2010-11	260.74	145.87	406.61	221.36	54.44	185.25
	2011-12	225.25	213.16	438.41	338.44	77.19	99.97
	2012-13	317.47	245.13	562.60	495.61	88.09	66.99
योग			53,179.49		45,661.16		56,118.25

स्रोत:- नमूना जांच की गई नगर निगमों के राजस्व शाखाओं द्वारा दी गई जानकारी

परिशिष्ट -2.2

संदर्भ पैरा 2.1 (पृष्ठ-11)

संपत्ति कर की लंबित वसूली को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

नगर निगम का नाम	लंबित वसूली वर्ष में							
	2-5 वर्ष तक		5-10 तक		10 वर्षों से अधिक		कुल	
	संपत्ति कर दाता की संख्या	राशि	संपत्ति कर दाता की संख्या	राशि	संपत्ति कर दाता की संख्या	राशि	संपत्ति कर दाता की संख्या	राशि
भोपाल	13	520.08	11	60.83	6	41.70	30	6,22.61
बुरहानपुर	4	1.82	0	0	1	0.77	5	2.58
सागर	1	3.07	0	0	5	24.94	6	28.01
सतना	133	4.76	0	0	0	0	133	4.75
योग	151	529.73	11	60.83	12	67.41	174	657.97

स्त्रोत:- नमूना जांच की गई नगर निगमों के जोन तथा वार्ड कार्यालयों से प्राप्त जानकारी

परिशिष्ट -2.3

संदर्भ पैरा 2.3 (पृष्ठ-12)

विद्युत शुल्कों पर निम्न दाव गुणक सुनिश्चित नहीं होने के कारण अधिरोपित शास्ति का विवरण प्रपत्र

एल.ओ.सी कोड -3365200

(राशि ₹ में)

माहों का बिल	निम्न दाव गुणक	औसत उच्च दाव से कम(90 प्रतिशत कम)	शुल्क गणना का दर प्रतिशत	माहों के दौरान अधिरोपित शुल्क	निम्न दाव पर शास्ति अधिरोपित	कनेक्शन न0
1	2	3	4	5	6	7
मई 2009	0.77	13	21	83,145	17,460	572448
जून 2009	0.80	10	15	1,51,556	22,733	572448
जुलाई 2009	0.80	10	15	1,51,556	22,733	572448
अगस्त 2009	0.81	9	13	3,11,921	40,550	572448
सितम्बर 2009	0.83	7	9	5,93,253	53,393	572448
अक्टूबर 2009	0.85	5	5	6,18,640	30,932	572448
नवम्बर 2009	0.87	3	3	2,32,957	6,989	572448
नवम्बर 2009	0.86	4	4	1,25,430	5,017	502121
दिसम्बर 2009	0.87	3	3	2,13,268	6,398	502121
जनवरी 2010	0.87	3	3	2,35,176	7,055	502121
फरवरी 2010	0.84	6	7	1,38,411	9,689	502121
मार्च 2010	0.80	10	15	1,05,446	15,817	502121
अप्रैल 2010	0.79	11	17	91,769	15,600	502121
जून 2010	0.84	6	7	1,90,491	13,334	502121
अगस्त 2010	0.79	11	17	1,38,902	23,613	502121
सितम्बर 2010	0.84	6	7	1,41,570	9,909	502121
अक्टूबर 2010	0.85	5	5	2,41,348	12067	502121
दिसम्बर 2010	0.83	7	9	2,52,767	22,749	502121
जनवरी 2011	0.85	5	5	2,38,586	11,929	502121
अप्रैल 2011	0.75	15	25	2,85,340	71,335	502121
मई 2011	0.73	17	29	2,60,302	75,487	502121
जून 2011	0.69	21	35	1,82,746	63,960	502121
जुलाई 2011	0.72	18	31	2,05,310	63,647	502121
अगस्त 2011	0.73	17	29	2,31,556	67,151	502121
सितम्बर 2011	0.65	25	35	1,45,339	50,868	502121
अक्टूबर 2011	0.69	21	35	1,77,083	61,979	502121
नवम्बर 2011	0.72	18	31	1,94,260	60,220	502121
दिसम्बर 2011	0.70	20	35	1,80,025	63,009	502121
जनवरी 2012	0.75	15	25	2,06,597	51,649	502121
फरवरी 2012	0.78	12	19	2,28,424	43,400	502121
मार्च 2012	0.79	11	17	2,72,078	46,253	502121
अप्रैल 2012	0.79	11	17	2,73,842	46,552	502121
मई 2012	0.78	12	19	2,35,258	44,699	502121
जून 2012	0.77	13	21	2,74,615	57,669	502121
जुलाई 2012	0.76	14	23	2,34,897	54,026	502121
अगस्त 2012	0.75	15	25	2,64,685	67,912	502121
सितम्बर 2012	0.78	12	19	2,48,976	48,550	502121
अक्टूबर 2012	0.81	9	13	2,81,728	38,179	502121
नवम्बर 2012	0.80	10	15	2,59,152	40,562	502121
दिसम्बर 2012	0.83	7	9	2,62,413	24,659	502121
जनवरी 2013	0.82	8	11	2,81,135	32,792	502121
फरवरी 2013	0.82	8	11	3,56,569	41,803	502121
मार्च 2013	0.82	8	11	3,94,212	46,216	502121

अप्रैल 2013	0.81	9	13	4,30,719	57,381	502121
मई 2013	0.81	9	13	4,17,232	54,811	502121
जून 2013	0.80	10	15	3,39,674	51,487	502121
जुलाई 2013	0.86	4	4	3,48,616	14,429	502121
योग	-	-	-	95,85,947	17,88,652	-
फरवरी 2010	0.87	3	3	3,33,598	10,008	502117
मार्च 2010	0.87	3	3	2,57,558	12,878	502117
अप्रैल 2010	0.78	12	19	2,84,461	38,847	502117
मई 2010	0.82	8	11	2,39,971	26,397	502117
जून 2010	0.81	9	13	2,58,465	33,600	502117
फरवरी 2011	0.82	8	11	2,64,860	29,135	502117
मार्च 2011	0.88	2	2	2,49,905	4,988	502117
अक्टूबर 2011	0.67	23	35	4,13,954	1,44,884	502117
नवम्बर 2011	0.77	13	21	4,30,569	90,419	502117
मार्च 2013	0.83	17	29	3,82,542	36,694	502117
अप्रैल 2013	0.79	11	17	3,46,229	59,479	502117
मई 2013	0.88	02	02	4,26,907	8,628	502117
जून 2013	0.80	10	15	3,74,619	57,258	502117
योग	-	-	-	42,63,638	5,53,215	-
महा योग	-	-	-	15992613	2341867	-

परिशिष्ट -2.4

संदर्भ पैरा 2.4 (पृष्ठ-13)

अस्थाई विद्युत कनेक्शन पर अतिरिक्त शुल्क का विवरण पत्रक

एल.ओ.सी. कोड - 3365200

(₹ राशि में)

माहों का बिल	कितनी इकाई उपयोग की गई	सामान्य दर पर उर्जा प्रभार (₹)	सामान्य दर पर बिल की राशि	अस्थाई विद्युत कनेक्शन पर उर्जा शुल्क	अस्थाई कनेक्शन पर वास्तविक भुगतान	नगर निगम द्वारा किया अतिरिक्त भुगतान (₹)	कनेक्शन नं.
1	2	3	4	5	6	7(6-4)	8
मई 2009	18790	2.95	55,430	4.425	83,145	27,715	572448
जून 2009	34250	2.95	1,01,037	4.425	1,51,556	50,519	572448
जुलाई 2009	34250	2.95	1,01,037	4.425	1,51,556	50,519	572448
अगस्त 2009	13258	2.95	39,111	4.425	58,666	19,555	572448
	28644	2.95	1,49,795	4.095	1,17,297	1,03,460	572448
	22134	2.95		6.142	1,35,958		572448
सितम्बर 2009	63490	2.95	3,47,348	4.095	2,59,992	2,45,905	572448
	54255	2.95		6.142	3,33,261		572448
अक्टूबर 2009	60760	2.95	3,56,836	4.095	2,48,812	2,61,804	572448
	60208	2.95		6.142	3,69,828		572448
नवम्बर 2009	22880	2.95	67,496	4.095	93,694	26,198	572448
	22672	2.95	66,882	6.142	1,39,263	72,381	572448
योग	-	-	12,84,972		21,43,028	8,58,056	-
नवम्बर 2009	30630	2.95	90,358	4.095	1,25,430	35,072	502121
दिसम्बर 2009	52080	2.95	1,53,636	4.425	2,13,268	59,632	502121
जनवरी 2010	57430	2.95	1,69,418	4.095	2,35,176	65,758	502121
फरवरी 2010	33800	2.95	99,710	4.095	1,38,411	38,701	502121
मार्च 2010	25750	2.95	75,963	4.095	1,05,446	29,483	502121
अप्रैल 2010	22410	2.95	66,109	4.095	91,769	25,660	502121
मई 2010	32690	2.95	96,436	4.095	1,33,866	37,430	502121
जून 2010	10854	2.95	32,019	4.095	44,447	12,428	502121
	31206	2.95	92,057	4.095	1,46,044	53,987	502121
अगस्त 2010	29680	2.95	87,556	4.68	1,38,902	51,346	502121
सितम्बर 2010	30250	2.95	89,237	4.68	1,41,570	52,333	502121
अक्टूबर 2010	51570	2.95	1,52,131	4.68	2,41,348	89,217	502121
नवम्बर 2010	56280	2.95	1,66,026	4.68	2,63,390	97,364	502121
दिसम्बर 2010	54010	2.95	1,59,329	4.68	2,52,767	93,438	502121
जनवरी 2011	50980	2.95	1,50,391	4.68	2,38,586	88,195	502121
अप्रैल 2011	60970	2.95	1,79,861	4.68	2,85,340	1,05,479	502121
मई 2011	55620	2.95	1,64,079	4.68	2,60,302	96,223	502121
जून 2011	9974	2.95	29,423	4.68	44,678	15,255	502121
	28676	2.95	84,594	4.745	1,36,068	51,474	502121
जुलाई 2011	43270	2.95	1,27,645	4.745	2,05,316	77,671	502121
अगस्त 2011	48800	2.95	1,43,960	4.745	2,31,556	87,596	502121
सितम्बर 2011	30630	2.95	90,359	4.745	1,45,339	54,980	502121

अक्टूबर 2011	37320	2.95	1,10,094	4.745	1,77,083	66,989	502121
नवम्बर 2011	40940	2.95	1,20,773	4.745	1,94,260	73,487	502121
दिसम्बर 2011	37940	2.95	1,11,923	4.745	1,80,025	68,102	502121
जनवरी 2012	43540	2.95	1,28,443	4.745	2,06,597	78,154	502121
फरवरी 2012	48140	2.95	1,42,013	4.745	2,28,424	86,411	502121
मार्च 2012	57340	2.95	1,69,153	4.745	2,72,078	1,02,925	502121
अप्रैल 2012	31072	2.95	91,662	4.745	1,47,437	55,775	502121
	25588	2.95	75,484	4.94	1,26,405	50,921	502121
मई 2012	47623	2.95	1,40,488	4.94	2,35,258	94,770	502121
जून 2012	55590	2.95	1,63,990	4.94	2,74,615	1,10,625	502121
जुलाई 2012	47550	2.95	1,40,273	4.94	2,34,897	94,624	502121
अगस्त 2012	53580	2.95	1,58,061	4.94	2,64,685	1,06,624	502121
सितम्बर 2012	50400	2.95	1,48,680	4.94	2,48,976	1,00,296	502121
अक्टूबर 2012	57030	2.95	1,68,239	4.94	2,81,728	1,13,489	502121
नवम्बर 2012	52460	2.95	1,54,757	4.94	2,59,152	1,04,395	502121
दिसम्बर 2012	53120	2.95	1,56,704	4.94	2,62,413	1,05,709	502121
जनवरी 2013	56910	2.95	1,67,885	4.94	2,81,135	1,13,250	502121
फरवरी 2013	72180	2.95	2,12,931	4.94	3,56,569	1,43,638	502121
मार्च 2013	79800	2.95	2,35,410	4.94	3,94,212	1,58,802	502121
अप्रैल 2013	87190	2.95	2,57,211	4.94	4,30,719	1,73,508	502121
मई 2013	84460	2.95	2,49,157	4.94	4,17,232	1,68,075	502121
जून 2013	68760	2.95	2,02,842	4.94	3,39,674	1,36,832	502121
जुलाई 2013	70570	2.95	2,08,182	4.94	3,48,616	1,40,434	502121
अगस्त 2013	51235	2.95	1,51,143	4.94	2,53,101	1,01,958	502121
योग	-	-	63,65,795	-	102,34,310	38,68,515	-
महायोग	-	-	76,50,767	-	123,77,338	47,26,571	-

परिशिष्ट 3.1

संदर्भ - कडिका 3.4 (पृष्ठ-17)

2012- 13 में लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं की सूची

1. दो संचालनालय

1. संचालनालय, दो पंचायती राज
- 2 संचालनालय ,मनरेगा परिषद,

2. 33 जिला पंचायतें

1	जिला पंचायत, श्योपुर
2	जिला पंचायत, मुरैना
3	जिला पंचायत, भिण्ड
4	जिला पंचायत, ग्वालियर
5	जिला पंचायत, शिवपुरी
6	जिला पंचायत, गुना
7	जिला पंचायत, रतलाम
8	जिला पंचायत, मंदसौर
9	जिला पंचायत, उज्जैन
10	जिला पंचायत, अलीराजपुर
11	जिला पंचायत, झाबुआ
12	जिला पंचायत, खरगौन
13	जिला पंचायत, बड़वानी
14	जिला पंचायत, खण्डवा
15	जिला पंचायत, बुरहानपुर
16	जिला पंचायत, रायसेन
17	जिला पंचायत, राजगढ़
18	जिला पंचायत, बैतूल
19	जिला पंचायत, होशंगाबाद
20	जिला पंचायत, हरदा
21	जिला पंचायत, दमोह
22	जिला पंचायत, पन्ना
23	जिला पंचायत, छतरपुर
24	जिला पंचायत, टीकमगढ़
25	जिला पंचायत, जबलपुर
26	जिला पंचायत, कटनी
27	जिला पंचायत, सिवनी
28	जिला पंचायत, मण्डला
29	जिला पंचायत, रीवा
30	जिला पंचायत, सीधी
31	जिला पंचायत, उमरिया
32	जिला पंचायत, डिण्डोरी
33	जिला पंचायत, अनूपपुर

III 117 जनपद पंचायतें

1	जनपद पंचायत पानसेमल बड़वानी
2	जनपद पंचायत बड़वानी
3	जनपद पंचायत घोड़ा डोंगरी बैतूल
4	जनपद पंचायत सोहागपुर, होशंगाबाद
5	जनपद पंचायत सोनकच्छ, देवास
6	जनपद पंचायत खण्डवा
7	जनपद पंचायत पन्धाना, खण्डवा
8	जनपद पंचायत खालवा, खण्डवा
9	जनपद पंचायत नरसिंहपुर
10	जनपद पंचायत कटनी
11	जनपद पंचायत विजयराघोगढ़, कटनी
12	जनपद पंचायत पाटन, जबलपुर
13	जनपद पंचायत अमरपुर, डिण्डोरी
14	जनपद पंचायत बिछिया, मण्डला
15	जनपद पंचायत बीजाडण्डी, मण्डला
16	जनपद पंचायत जोबट, अलीराजपुर
17	जनपद पंचायत रामा, झाबुआ
18	जनपद पंचायत मेधनगर, झाबुआ
19	जनपद पंचायत मुरैना
20	जनपद पंचायत अम्बा, मुरैना
21	जनपद पंचायत नरवर शिवपुरी
22	जनपद पंचायत पोहरी, शिवपुरी
23	जनपद पंचायत बदरवास, शिवपुरी
24	जनपद पंचायत आरोन, गुना
25	जनपद पंचायत चाचोड़ा, गुना
26	जनपद पंचायत बहोरीबंद, कटनी
27	जनपद पंचायत जवेरा, दमोह
28	जनपद पंचायत तेंदूखेडा, दमोह
29	जनपद पंचायत केसला, होशंगाबाद
30	जनपद पंचायत बाबई, होशंगाबाद
31	जनपद पंचायत टीकमगढ़
32	जनपद पंचायत बलदेवगढ़
33	जनपद पंचायत पलेरा, टीकमगढ़
34	जनपद पंचायत जतारा, टीकमगढ़
35	जनपद पंचायत छतरपुर
36	जनपद पंचायत बक्शवाहा, छतरपुर
37	जनपद पंचायत लौडी, छतरपुर
38	जनपद पंचायत बडामल्हारा, छतरपुर
39	जनपद पंचायत नौगांव छतरपुर

40	जनपद पंचायत मझौली, सीधी
41	जनपद पंचायत रामपुर नेकिन, सीधी
42	जनपद पंचायत रीवा
43	जनपद पंचायत राजगढ़
44	जनपद पंचायत खिलचीपुर, राजगढ़
45	जनपद पंचायत जीरापुर, राजगढ़
46	जनपद पंचायत बैतूल
47	जनपद पंचायत मुल्ताई, बैतूल
48	जनपद पंचायत प्रभातपट्टन, बैतूल
49	जनपद पंचायत आमला, बैतूल
50	जनपद पंचायत जावरा, रतलाम
51	जनपद पंचायत रतलाम
52	जनपद पंचायत होशंगाबाद
53	जनपद पंचायत सिलवानी, रायसेन
54	जनपद पंचायत उदयपुरा, रायसेन
55	जनपद पंचायत शाहपुर बैतूल
56	जनपद पंचायत खाचरोद, उज्जैन
57	जनपद पंचायत गुना
58	जनपद पंचायत बुरहानपुर
59	जनपद पंचायत खकनार, बुरहानपुर
60	जनपद पंचायत देवास
61	जनपद पंचायत बागली, देवास
62	जनपद पंचायत खाते-गांव, देवास
63	जनपद पंचायत बरगी, जबलपुर
64	जनपद पंचायत मझौली, जबलपुर
65	जनपद पंचायत कुड़म, जबलपुर
66	जनपद पंचायत सिवनी
67	जनपद पंचायत छपारा, सिवनी
68	जनपद पंचायत धनोरा, सिवनी
69	जनपद पंचायत नईगढी, रीवा
70	जनपद पंचायत रामपुर कर्चुलियान, रीवा
71	जनपद पंचायत गंगेव, रीवा
72	जनपद पंचायत त्योथंर, रीवा
73	जनपद पंचायत मानुपर, उमरिया
74	जनपद पंचायत रानापुर, झाबुआ
75	जनपद पंचायत थांदला, झाबुआ
76	जनपद पंचायत बैरिसया, भोपाल
77	जनपद पंचायत फंदा, भोपाल
78	जनपद पंचायत अनूपपुर
79	जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़, अनूपपुर

80	जनपद पंचायत जैतहरी, अनूपपुर
81	जनपद पंचायत श्योपुर
82	जनपद पंचायत जौरा, मुरैना
83	जनपद पंचायत सबलगढ़, मुरैना
84	जनपद पंचायत पाली, उमरिया
85	जनपद पंचायत शाहगढ़, सागर
86	जनपद पंचायत अजयगढ़, पन्ना
87	जनपद पंचायत मण्डला
88	जनपद पंचायत नारायणगंज मण्डला
89	जनपद पंचायत डिण्डोरी
90	जनपद पंचायत बजाग, डिण्डोरी
91	जनपद पंचायत करंजिया, डिण्डोरी
92	जनपद पंचायत शाहपुरा, डिण्डोरी
93	जनपद पंचायत दमोह
94	जनपद पंचायत कुसमी, सीधी
95	जनपद पंचायत पथरिया, दमोह
96	जनपद पंचायत मुरार, ग्वालियर
97	जनपद पंचायत करेली, नरसिंहपुर
98	जनपद पंचायत चावरपाढा, नरसिंहपुर
99	जनपद पंचायत साई-खेडा, नरसिंहपुर
100	जनपद पंचायत भानपुर, मन्दसौर
101	जनपद पंचायत मल्हारगढ़, मन्दसौर
102	जनपद पंचायत उदयगढ़, अलीराजपुर
103	जनपद पंचायत डवरा, ग्वालियर
104	जनपद पंचायत भिण्ड
105	जनपद पंचायत निवाली, बड़वानी
106	जनपद पंचायत पाटी, बड़वानी
107	जनपद पंचायत घटिया, उज्जैन
108	जनपद पंचायत बरधाट, सिवनी
109	जनपद पंचायत कुरई, सिवनी
110	जनपद पंचायत धन्सौर, सिवनी
111	जनपद पंचायत बाजना, रतलाम
112	जनपद पंचायत गुन्नौर, पन्ना
113	जनपद पंचायत सागर
114	जनपद पंचायत जयसिंहनगर, सागर
115	जनपद पंचायत रेहली, सागर
116	जनपद पंचायत महेश्वर खरगोन
117	जनपद पंचायत कसरावद, खरगोन

जनपद पंचायत की लेखापरीक्षा के समय संबंधित लेखापरीक्षा दल द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान में 454 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा की गई।

परिशिष्ट 3.2
संदर्भ - कंडिका 3.9 (पृष्ठ-20)

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बैंक समाशोधन पत्रक तैयार नहीं करना

(राशि ₹ में)

स.क्र	इकाई का नाम	रोकड़ बहियों की संख्या	31.03.2013 को रोकड़ बही का शेष	31.03.2013 को बैंक खाते का शेष	अंतर
1	जिला पंचायत सागर (समग्र स्वच्छता अभियान)	01	5,00,49,177	5,09,13,313	8,64,136
2	जिला पंचायत दतिया	16	12,02,56,261	16,46,89,196	4,44,32,935
3	जिला पंचायत बड़वानी	03	5,78,76,679	7,88,71,589	2,09,94,910
4	जिला पंचायत उमरिया	12	13,32,17,931	16,82,80,870	3,50,62,939
5	जिला पंचायत डिण्डोरी	07	2,92,20,442	6,54,19,229	3,61,98,787
6	जनपद पंचायत खुरई, सागर	03	2,67,69,723	2,78,82,117	11,12,394
7	जनपद पंचायत केसली, सागर	08	1,92,09,368	2,37,47,522	45,38,154
8	जनपद पंचायत देवरी, सागर	12	2,68,00,429	3,26,63,450	58,63,021
9	जनपद पंचायत बामोरी गुना	06	1,92,07,124	2,37,10,396	45,03,272
10	जनपद पंचायत बण्डा, सागर	01	1,94,078	8,09,988	6,15,910
11	जनपद पंचायत जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा	01	6,56,42,005	9,09,06,499	2,52,64,494
12	जनपद पंचायत मोहखेड, छिंदवाड़ा	01	4,09,61,468	4,34,78,377	25,16,909
13	जनपद पंचायत झिरन्या, खरगोन	08	1,40,17,422	1,78,35,737	38,18,315
14	जनपद पंचायत भगवानपुरा, खरगोन	12	2,00,03,464	2,38,24,604	38,21,140
15	जनपद पंचायत कन्नोद, देवास	06	3,83,69,235	4,41,17,891	57,48,656
16	जनपद पंचायत बिरसा, बालाघाट	01	2,36,40,775	2,94,29,831	57,89,056
17	जनपद पंचायत टोंकखुर्द, देवास	15	2,18,89,630	2,49,96,565	31,06,935
18	जनपद पंचायत बाग, धार	02	1,93,54,255	4,74,44,314	2,80,90,059
19	जनपद पंचायत रामा, झाबुआ	02	27,25,815	33,50,644	6,24,829
20	जनपद पंचायत आमला, बैतूल	01	74,92,117	84,12,171	9,20,054
21	जनपद पंचायत पोहरी, शिवपुरी	01	79,46,036	89,37,961	9,91,925
22	ग्राम पंचायत, पिरनलवास, देवलापुर इन्दौर	04	6,11,315	6,26,443	15,128
23	ग्राम पंचायत छिन्दा परासिया छिंदवाड़ा	01	4,59,700	47,13,93	11,693
24	ग्राम पंचायत, पलटवारा, परासिया छिंदवाड़ा	04	4,06,386	4,11,974	5,588
25	ग्राम पंचायत, कैथहा, रामनगर, सतना	06	45,709	1,54,309	1,08,600
26	ग्राम पंचायत चिनोदी, बुढ़ार, शहडोल	12	16,64,378	16,91,718	27,340
27	ग्राम पंचायत मैना, सुसनेर, शाजापुर	02	2,50,839	3,81,936	1,31,097
28	ग्राम पंचायत मूर्तिहाई रामनगर, सतना	08	10,24,734	10,67,196	42,462
29	ग्राम पंचायत सलसबाई, मोमन बड़ोदिया, शाजापुर	02	10,77,736	15,39,409	4,61,673
30	ग्राम पंचायत गोदना मोमन बड़ोदिया शाजापुर	02	5,51,952	6,17,952	66,000

31	ग्राम पंचायत पिपलोदा, शाजापुर	02	4,22,533	4,32,947	10,414
32	ग्राम पंचायत चदुआ, जुन्नारदेव, छिंदवाडा	02	3,12,639	3,15,061	2,422
	योग		75,16,71,355	98,74,32,602	23,57,61,247 ₹ 23.58 करोड़
1	जिला पंचायत दतिया	01	16,49,001	11,60,579	-4,88,422
2	जिला पंचायत डिण्डोरी	02	3,66,69,289	2,95,57,428	-71,11,861
3	जिला पंचायत, केसली, सागर	02	38,55,951	30,34,443	-8,21,508
4	जिला पंचायत, देवरी, सागर	04	42,31,548	26,76,520	-15,55,028
5	जिला पंचायत, बामोरी, गुना	01	1,82,38,231	1,45,99,282	-36,38,949
6	जिला पंचायत, झिरन्या, खरगोन	01	5,19,479	5,05,536	-13,943
7	जिला पंचायत, भगवानपुरा, खरगोन	02	1,30,42,008	1,20,29,443	-10,12,565
8	जिला पंचायत, कन्नोद, देवास	04	52,99,521	44,49,607	-8,49,914
9	जिला पंचायत, टोंकखुर्द, देवास	01	7,41,298	6,50,919	-90,379
10	जिला पंचायत, रामनगर, सतना	01	1,83,32,063	1,23,32,227	-59,99,836
11	जिला पंचायत, रामा, झाबुआ	04	1,59,54,598	148,58,377	-10,96,221
12	जिला पंचायत, अलीराजपुर	03	153,34,272	71,07,178	-82,27,094
13	ग्राम पंचायत, साजोद, जनपद पंचायत शाजापुर	02	2,02,979	1,99,805	-3,174
	योग		13,40,70,238	10,31,61,344	-3,09,08,894 ₹ 3.09 करोड़

स्रोत :- संबंधित पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

परिशिष्ट - 3.3

संदर्भ - कंडिका 3.11 (पृष्ठ-21)

पंचायती राज संस्थाओं के असमायोजित अस्थाई अग्रिमों का विवरण

(₹ लाख में)

Sl. No	इकाई का नाम	अग्रिम का उद्देश्य	असमायोजित राशि
1	जिला पंचायत सागर	शासकीय कार्य	0.63
2	जिला पंचायत इन्दौर	शासकीय कार्य	0.16
3	जिला पंचायत शाजापुर	शासकीय कार्य	26.21
4	जिला पंचायत छिंदवाड़ा	शासकीय कार्य	2.39
5	जिला पंचायत दमोह	शासकीय कार्य	18.48
6	जिला पंचायत बड़वानी	शासकीय कार्य	2.99
7	जिला पंचायत उमरिया	शासकीय कार्य	0.57
8	जिला पंचायत गुना	शासकीय कार्य	24.28
9	जिला पंचायत डिण्डोरी	शासकीय कार्य	83.82
10	जनपद पंचायत बुढ़ार, शहडोल	शासकीय कार्य	2.44
11	जनपद पंचायत जुन्नारदेव छिंदवाड़ा	शासकीय कार्य	3.40
12	जनपद पंचायत सुसनेर, शाजापुर	शासकीय कार्य	0.33
13	जनपद पंचायत डिण्डोरी	शासकीय कार्य	4.42
14	जनपद पंचायत बिरसा, बालाघाट	शासकीय कार्य	7.70
15	जनपद पंचायत दतिया	शासकीय कार्य	0.35
16	जनपद पंचायत मोमनबडोदिया, शाजापुर	शासकीय कार्य	1.83
17	जनपद पंचायत छैगांव माखन, खण्डवा	शासकीय कार्य	6.88
18	जनपद पंचायत भीमपुर, बैतूल	शासकीय कार्य	7.64
19	जनपद पंचायत भैसदेही, बैतूल	शासकीय कार्य	0.86
20	जनपद पंचायत अमरपाटन, सतना	शासकीय कार्य	0.50
21	जनपद पंचायत रामा, झाबुआ	शासकीय कार्य	9.90
22	जनपद पंचायत हटा, दमोह	शासकीय कार्य	0.40
23	जनपद पंचायत हरई छिंदवाड़ा	शासकीय कार्य	1.29
24	जनपद पंचायत मेधनगर झाबुआ	शासकीय कार्य	15.87
25	जनपद पंचायत आमला, बैतूल	शासकीय कार्य	8.18
26	जनपद पंचायत पोहरी, शिवपुरी	शासकीय कार्य	0.45
27	जनपद पंचायत करेली, नरसिंहपुर	शासकीय कार्य	1.27
28	जनपद पंचायत झाबुआ	शासकीय कार्य	0.13
29	जनपद पंचायत सिवनी	शासकीय कार्य	2.21
	योग		235.58

स्रोत - संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

परिशिष्ट -4.1

संदर्भ:- कण्डिका 4.1.5 (पृष्ठ-26)

चयनित जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों की सूची

स.क्र	जिला	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायतें	नगरीय निकाय
1	बड़बानी	1 बड़बानी	1 अम्बापानी 2 बीजासन 3 कल्याणपुरा 4 रासगांव 5 रेहगुन	अजंड
		2 पाटी	1 आवली 2 देवगढ 3 पलवट 4 लिम्बी 5 सिन्धी	पानसेमल
		3 ठीकरी	1 अबहली 2 चिचली 3 करेमपुरा 4 सैगवाल 5 सैमलदसबेंग	
2	बैतूल	4 आमला	1 अम्बाड़ा 2 जामुन विछावा 3 मोरखा 4 रानी डोंगरी 5 डंगरिया	आमला
		5 भैंस देही	1 धमन गांव 2 बांमोर 3 चिचौलीधाना 4 उदामा 5 डेदवाकुण्ड	बैतूल
		6 धोड़ाडोंगरी	1 उनकावाडी 2 दूधावानी 3 खापा 4 कोलगांव 5 सलैया	
3	दमोह	7 बैतियागढ़	1 आगर 2 चैनपुरा 3 कनौरा रामनगर 4 पथरिया 5 सदपुर	दमोह
		8 जबेरा	1 अमदार 2 गोलपाथी 3 कलूमर 4 परसवाह 5 सूरी	तेन्दूखेड़ा
		9 तेन्दूखेड़ा	1 अजीतपुर 2 दीनारी 3 कमरी कला 4 पॉडी 5 सैलवारा	
4	गुना अशोक नगर	10 आरोन	1 आमखेड़ा सुखा 2 देवरी 3 खिरिया डेंगरी 4 रामगिर कला 5 टैंकपरौलिया	आरोन
		11 गुना	1 आगर 2 गेन्हुखेंडागिर्द 3 मगरना 4 पिपरोदा कला 5 तिलीखेड़ा	कुम्भराज
		12 आशोक नगर	1 आमखेड़ा सूखा 2 चापर 3 खरिया बटु 4 नारायन पुर 5 शाहबाजपुर	ईसागढ़
5	झाबुआ	13 झाबुआ	1 आमली पठार 2 धोकलबाढ़ी 3 काला पीपल 4 नरवलीया 5 पाखर	झाबुआ
		14 रामा	1 अम्बा 2 गाहमोई 3 काली देवी 4 पीथनपुरा 5 रामा	थांदला
6	खण्डवा	15 बलडी	1 भगवानपुरा 2 गरवाड़िमाल 3 जैतपुर कला 4 मालोदपामा खेड़ी	खण्डवा
		16 हरसूद	1 बाडखल्या 2 झगाधखोड़ 3 मौजवाडीमल 4 पालानी 5 सोमगांव	
7	खरगौन	17 बड़वाह	1 अक्या 2 बेलम बजुर्ग 3 जूजा खेड़ी 4 मोहगांवा 5 सोस्थी बारूल	बडवाह
		18 गोगांवा	1 बडगाँव 2 देवालागाँव 3 गोपालपुरा 4 मांगरूल 5 टेमरनी	खरगौन
		19 कसरावद	1 अगबान 2 बोरावा 3 खामखेड़ा 4 पीपल गाँव 5 रूपखेड़ा	महेश्वर
8	मण्डला	20 बिछिया	1 आमा डोंगरी 2 धरमपुरी माल 3 काटाजार 4 मंजहीपुर 5 थोडा	बिछिया
		21 मबई	1 अमजर 2 छपरतला 3 लालपुर 4 परसा टोला 5 पारसेल	मण्डला
9	सीवा	22 गंगेव	1 आलमगंज 2 देवहटा 3 काटाहा 4 पाटी 5 सिसवा	बैकुण्ठपुर
		23 महुगांव	1 अमोखर 2 डिडहवर 3 खीरी 4 पिंडरिया सेंगर 5 उचेहरा	हनुमना
		24 सीवा	1 अजरहा 2 चौरा 3 खरहिया-दो 4 पुरैनी 5 उमरी	
10	सिवनी	25 बरघाट	1 आम गांव 2 आष्टा 3 चिमनाकला 4 केसला कला 5 पिपरिया	बरघाट
		26 कान्हा पास(धनसोर)	1 अगरिया खुर्द 2 अंदिया 3 चारी 4 झिन्झिरी 5 पनारझिर	
		27 लखनादौन	1 आदे गांव 2 छपरा 3 झारमल 4 मोहगांव गुजर 5 शिकारा	
11	शहडोल	28 जैतहरी	1 कोई ग्रा0 प0 उपस्थित नहीं हुई	शहडोल
		29 अनुपपुर(जयसिंह नगर)	1 कोई ग्रा0 प0 उपस्थित नहीं हुई	शहडोल
12	शिवपुरी	30 बदरवास	1 अगारा 2 धनडेरा 3 सजई 4 मंगरोल 5 बिजारी	बदरबास
		31 कोलारस	1 अतरुनी 2 दरवारा 3 खोंकर 4 पडोड़ा 5 तेंदुआ	कोलारस
		32 पोहरी	1 अकरूसी 2 चांदपुर 3 गुरीचा 4 मझखेड़ा 5 थेवला	
13	सीधी	33 चितरंगी	1 अजय गढ़ 2 चितरंगी 3 लोहाड़ा 4 रीही 5 खापूरदेही	चुरहट
	सिंगरौली	34 मझौली	1 अमहिया 2 देवरी 3 खजूरिया 4 पाण्ड 5 परसीली	सीधी
14	टीकमगढ़	35 बलदेवगढ़	1 आहर 2 देहरी 3 झमलाना 4 मजगुआँ 5 सजनापुरा	बलदेवगढ़
		36 परेरा	1 आलमपुरा 2 गुराखास 3 खरगुपुरा 4 पाली 5 उदय पुरा	परेरा

परिशिष्ट-4.2

संदर्भ: कण्डिका 4.1.6.2 (पृष्ठ-28)
वर्षवार परिक्षेत्रीय कार्ययोजना का विवरण

(₹लाख में)

वर्ष	स्वस्थ					महिला एवं बाल विकास					पशुचिकित्सा					सिंचाई				
	यो.	कि.	कमी	कुल कि०	कुल व्यय	यो.	कि.	कमी	कुल कि०	कुल व्यय	यो.	कि०	कमी	कुल कि०	कुल व्यय	यो.	कि.	कमी	कुल कि०	कुल व्यय
2008-09	205	106	99	554.24	553.14	1403	1001	402	2583.54	2571.49	133	47	86	197.43	197.23	63	32	31	914.84	894.84
2009-10	94	80	14	905.43	705.74	1565	1225	340	4836.70	4709.27	41	20	21	139.00	127.57	17	12	5	189.20	189.20
2010-11	76	53	23	762.25	750.25	1287	961	326	4828.00	4576.47	45	14	31	138.60	104.44	8	5	3	31.74	29.00
2011-12	54	48	6	407.21	250.10	1039	982	57	5039.14	3841.50	26	23	3	161.12	106.10	1	1	0	77.78	64.98
2012-13	48	44	4	369.00	121.70	994	941	53	4779.14	2017.80	97	88	9	483.38	191.84	9	0	9	155.1	61.52
कुल	477	331	146	2998.13	2380.93	6288	5110	1178	22066.52	17716.53	342	192	150	1119.53	727.18	98	50	48	1368.66	1239.54

शिक्षा					विद्युतिकरण					सड़क/पुल पुलिया					पंचायत एवं सामुदायिक				
यो.	कि.	कमी	कुल कि०	कुल व्यय	यो.	कि.	कमी	कुल कि०	कुल व्यय	यो.	कि.	कमी	कुल कि०	कुल व्यय	यो.	कि.	कमी	कुल कि०	कुल व्यय
132	59	73	561.83	805.71	54	27	27	257.34	257.34	441	333	108	2086.63	2064.63	794	655	139	3145.55	3110.40
136	77	59	1526.86	1434.33	82	31	51	163.12	155.62	112	91	21	1347.47	1273.76	1187	899	288	4161.02	3986.15
44	16	28	534	452.51	7	0	7	14.00	4.00	1923	1417	506	4977.78	4977.78	176	92	84	584.50	624.00
31	13	18	821	322.83	1	0	1	21.00	19.00	2218	1258	960	7016.66	4602.84	238	207	31	1733.35	1213.96
29	26	3	615.34	170.7	11	11	0	115.9	30.00	2099	1584	515	5428.64	1858.38	646	504	142	5072.92	1503.66
372	191	181	4059.03	3186.08	155	69	86	571.36	465.96	6793	4683	2110	20857.18	14777.39	3041	2357	684	14697.34	10438.20

हाट बाजार					अन्य (नगरीय निकाय)					योग					प्रतिशत कमी
यो.	कि.	कमी	कुल कि०	कुल व्यय	यो.	कि.	कमी	कुल कि०	कुल व्यय	यो.	कि.	कमी	कुल कि०	कुल व्यय	
0	0	0	9	9.00	546	349	197	1517.40	1468.72	3771	2609	1162	11827.80	11932.50	30.81
1	1	0	0	0	735	263	472	2008.40	1935.6	3970	2699	1271	15277.20	14517.21	32.02
35	0	35	0	0	620	413	207	3044.68	2517.81	4221	2971	1250	14915.55	14036.26	29.61
6	0	6	0	0	565	317	248	3408.77	2533.43	4179	2849	1330	18686.03	12954.74	31.83
65	38	27	255	142.80	657	381	276	2590.37	649.56	4655	3617	1038	19864.79	6747.96	22.30
107	39	68	264	151.80	3123	1723	1400	12569.62	9105.09	20796	14745	6051	80571.37	60188.67	29.10

यो:- योजना, कि:-क्रियान्वयन कमी - क्रियान्वयन में कु. कि० कीमत

परिशिष्ट-4.3

संदर्भ: कण्डिका 4.1.6.3 (पृष्ठ-29)

वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन के विलम्ब की स्थिति

स.क्र	जिला	वर्ष	कार्ययोजना के अनुमोदन हेतु निर्धारित तिथि	जि० यो० सो द्वारा अनुमोदन की तिथि	विलम्ब अवधि दिनों में
1	बडवानी	2008-09	15.08.08	08.09.08	22
		2009-10	15.06.09	25.06.09	9
		2010-11	31.12.09	01.12.10	334
		2011-12	31.12.10	01.12.10	-
		2012-13	31.12.11	30.01.12	30
2	बैतूल	2008-09	15.08.08	-	-
		2009-10	15.06.09	-	-
		2010-11	31.12.09	4.02.10	34 दिन
		2011-12	31.12.10	04.05.11	93 दिन
		2012-13	31.12.11	20.01.12	19 दिन
3	दमोह	2008-09	15.08.08	उपलब्ध नहीं	-
		2009-10	15.06.09	उपलब्ध नहीं	-
		2010-11	31.12.09	23.03.10	90
		2011-12	31.12.10	30.04.11	120
		2012-13	31.12.11	27.01.12	26
4	गुना	2008-09	15.08.08	15.09.2008	15
		2009-10	15.06.09	विलम्ब नहीं (03.06.09)	-
		2010-11	31.12.09	17.09.2010	269
		2011-12	31.12.10	21-04-2011	110
		2012-13	31.12.11	09.4.2012	98
5	अशोकनगर	2008-09	15.08.08	15.09.2008	30
		2009-10	15.06.09	03.06.2009	-
		2010-11	31.12.09	08.07.2010	198
		2011-12	31.12.10	27.04.2011	116
		2012-13	31.12.11	13.04.2012	102
6	झाबुआ	2008-09	15.08.08	-	-
		2009-10	15.06.09	27.06.09	11
		2010-11	31.12.09	03.09.10	255
		2011-12	31.12.10	विलम्ब नहीं (26.02.11)	-
		2012-13	31.12.11	19.05.12	138
7	खण्डवा/बुरहानपुर	2008-09	15.08.08	15.09.08	30
		2009-10	15.06.09	05.06.09/18.02.09	विलम्ब नहीं
		2010-11	31.12.09	14.07.10/18.07.10	204
		2011-12	31.12.10	22.03.11/23.03.11	80
		2012-13	31.12.11	18.03.12/11.12.12	74 / 344

8	खरगौन	2008-09	15.08.08	विलम्ब नहीं (15.06.08)	-
		2009-10	15.06.09	26.08.09	71
		2010-11	21.12.09	12.06.10	172
		2011-12	31.12.10	15.04.11	14
		2012-13	31.12.11	04.03.12	93
9	मण्डला	2008-09	15.08.08	22.09.08	53
		2009-10	15.06.09	22.10.09	127
		2010-11	31.12.09	8.07.10	198
		2011-12	31.12.10	04.03.11	62
		2012-13	31.12.11	30.01.12	30
10	सीवा	2008-09	15.08.08	17.09.08	32
		2009-10	15.06.09	14.06.09	-
		2010-11	31.12.09	26.04.10	127
		2011-12	31.12.10	07.04.11	106
		2012-13	31.12.11	06.01.12	15
11	सीधी/सिंगरौली	2008-09	15.08.08	10.09.08	24
		2009-10	15.06.09	14.06.09	-
		2010-11	31.12.09	15.07.10	205
		2011-12	31.12.10	27.04.2011/04.02.11	116/399
		2012-13	31.12.11	13.08.2012/16.04.12	224/470
12	सिवनी	2008-09	15.08.08	09.09.08	25
		2009-10	15.06.09	18.07.09	33
		2010-11	31.12.09	28.05.10	157
		2011-12	31.12.10	05.02.11	35
		2012-13	31.12.11	30.01.12	30
132	शहडोल	2008-09	15.08.08	19.09.08	34
		2009-10	15.06.09	01.08.09	46
		2010-11	31.12.09	06.04.10	104
		2011-12	31.12.10	04.02.11	34
		2012-13	31.12.11	18.02.12	48
13	शिवपुरी	2008-09	15.08.08	18.09.08	33
		2009-10	15.06.09	11.06.09	Nil
		2010-11	31.12.09	04.08.10	225
		2011-12	31.12.10	16.06.11	166
		2012-13	31.12.11	11.02.12	41
15	टीकमगढ़	2008-09	15.08.08	17.09.08	31
		2009-10	15.06.09	20.06.09	05
		2010-11	31.12.09	03.09.10	255
		2011-12	31.12.10	27.04.11	116
		2012-13	31.12.11	26.04.12	115

परिशिष्ट -4.4
संदर्भ: कण्डिका 4.1.7 (पृष्ठ-30)

वर्षवार एवं जिलावार अप्रयुक्त राशियों का विवरण

2008-09

(रु.लाख में)

स.क्र.	जिला	प्रा.शेष	प्राप्त अनुदान	ब्याज	अन्य प्राप्ति	कुल	व्यय राशि	अन्त शेष
1	बड़वानी	294.07	790.25	8.24	10.77	1103.33	542.52	560.81
2	बैतूल	526.97	1822.44	19.51	86.09	2455.01	1794	661.01
3	दमोह	491.57	471.23	17.73	13.12	993.65	566.04	427.61
4	गुना	180.22	205.72	3.05	73.08	462.07	267.48	194.59
	अशोक नगर	133.07	210.36	3.44	10.6	357.47	135.91	221.56
5	झाबुआ	626.78	303.13	17.79	141.61	1089.31	437.65	651.66
6	खण्डवा/बुरहानपुर	270.21	494.11	9.43	0.17	773.92	335.44	438.48
7	खरगौन	470.02	848.36	1.98	119.19	1439.55	775.26	664.29
8	मण्डला	137.34	306.88	1.19	110.17	555.58	366.04	189.54
9	सिवनी	412.63	100.35	1.11	39.06	553.15	289.76	263.39
10	शहडोल	325.14	926.24	8.99	3.41	1263.78	886.85	376.93
11	शिवपुरी	174.7	400.59	8.18	0	583.47	151.53	431.94
12	सीधी/सिंगरौली	356.2	845.51	11.97	22.86	1236.54	850.59	385.95
13	टीकमगढ़	376.77	231.14	7.84	5.3	621.05	151.73	469.32
14	रीवा	411.78	181.89	12.39	112.02	718.08	481	237.08
योग		5187.47	8138.20	132.84	747.45	14205.96	8031.8	6174.16

2009-10

स.क्र.	जिला	प्रा.शेष	प्राप्त अनुदान	ब्याज	अन्य प्राप्ति	कुल	व्यय राशि	अन्त शेष
1	बड़वानी	560.81	527.96	11.46	110.17	1210.4	838.94	371.46
2	बैतूल	661.01	1881.16	16.99	110.90	2670.06	1907.86	762.20
3	दमोह	427.61	616.58	13.23	366.29	1423.71	644.66	779.05
4	गुना	194.59	191.37	7.8	8.96	402.72	121.83	280.89
	अशोक नगर	221.56	75.34	6.52	10.06	313.48	59.27	254.21
5	झाबुआ	651.66	336.95	18.04	16.23	1022.88	452.67	570.21
6	खण्डवा/बुरहानपुर	438.48	434.78	11.72	0	884.98	488.94	396.04
7	खरगौन	664.29	1465.53	1.4	141.79	2273.01	1784.61	488.4
8	मण्डला	189.54	388.04	8.48	115.38	701.44	452.04	249.4
9	सिवनी	263.39	432.78	0	2.66	698.83	277.78	421.05
10	शहडोल	376.93	825.81	9.24	9.55	1221.53	822.31	399.22
11	शिवपुरी	431.94	754.28	20.78	0.29	1207.29	620.05	587.24
12	सीधी/सिंगरौली	385.95	812.07	12.93	3.28	1214.23	782.74	431.49
13	टीकमगढ़	469.32	283.47	10.28	116.43	879.5	430.21	449.29
14	रीवा	237.08	156.06	8.11	5.4	406.65	229.94	176.71
योग		6174.16	9182.18	156.98	1017.39	16530.71	9913.85	6616.86

2010-11

स.क्र	जिला	प्रा.शेष	प्राप्त अनुदान	ब्याज	अन्य प्राप्ति	कुल	व्यय राशि	अन्त शेष
1	बड़वानी	371.46	349.54	6.69	151.91	879.60	474.72	404.88
2	बैतूल	762.2	1647.84	20.67	119.38	2550.09	2150.21	399.88
3	दमोह	779.05	821.33	13.62	40.38	1654.38	940.94	713.44
4	गुना	280.89	512.01	22.13	49.88	864.91	438.59	426.32
	अशोक नगर	254.21	782.85	6.96	14.45	1058.47	529.61	528.86
5	झाबुआ	570.21	515.53	13.35	11.44	1110.53	746.46	364.37
6	खण्डवा/बुरहानपुर	396.04	561.26	7.57	0	964.87	592.79	372.08
7	खरगौन	488.4	965.41	3.13	48	1504.94	847.04	657.9
8	मण्डला	249.4	461.92	9.41	59.39	780.12	359.07	421.05
9	सिवनी	421.05	1216.25	8.8	71.2	1717.3	934.65	782.65
10	शहडोल	399.22	1080.43	9.94	1.84	1491.43	1090.54	400.89
11	शिवपुरी	587.24	494.05	16.73	0	1098.02	315.75	782.27
12	सीधी/सिंगरौली	431.49	735.5	16.25	35.14	1218.38	730.82	487.56
13	टीकमगढ़	449.29	329.84	11.22	24.74	815.09	548.39	266.7
14	रीवा	176.71	407.24	4.95	0	588.9	455.33	133.57
	योग	6616.86	10881	171.42	627.75	18297.03	11154.91	7142.42

2011-12

स.क्र	जिला	प्रा.शेष	प्राप्त अनुदान	ब्याज	अन्य प्राप्ति	कुल	व्यय राशि	अन्त शेष
1	बड़वानी	404.88	1237.13	23.28	26.18	1691.47	555.3	1136.17
2	बैतूल	399.88	1663.59	33.2	180.73	2277.4	756.73	1520.67
3	दमोह	713.44	2234.91	38.67	20.02	3007.04	1231.2	1775.84
4	गुना	426.32	881.02	10.09	29.77	1347.2	585.18	762.02
	अशोक नगर	528.86	640.91	8.46	68.74	1246.97	745.5	501.47
5	झाबुआ	364.37	364.23	15.99	39.33	783.92	293.74	490.18
6	खण्डवा/बुरहानपुर	372.08	627.92	21.77	0	1021.77	417.36	604.41
7	खरगौन	657.9	2717.62	9.88	277.41	3662.81	1537.37	2125.44
8	मण्डला	421.05	508.56	20.77	189.08	1139.46	566.77	572.69
9	सिवनी	782.65	1034.72	12.91	148.79	1979.07	953.55	1025.52
10	शहडोल	400.89	1906.2	13.73	98.44	2419.26	1497.06	922.2
11	शिवपुरी	782.27	1110.44	30.96	0	1923.67	719.26	1204.41
12	सीधी/सिंगरौली	487.56	1957.39	21.78	23.03	2489.76	1434.85	1054.91
13	टीकमगढ़	266.7	1319.67	12.72	4195.94	5795.03	4951.33	843.7
14	रीवा	133.57	821.81	18.94	208.02	1182.34	972.84	209.5
	योग	7142.42	19026.12	293.15	5505.48	31967.17	17218.04	14749.13

2012-13

स.क्र.	जिला	प्रा.शेष	प्राप्त अनुदान	ब्याज	अन्य प्राप्ति	कुल	व्यय राशि	अन्त शेष
1	बड़वानी	1136.17	498.55	36.24	7.34	1678.3	299.86	1378.44
2	बैतूल	1520.67	861.64	50.43	418.65	2851.39	1320.79	1530.6
3	दमोह	1775.84	688.42	62.62	66.87	2593.75	1365.27	1228.48
4	गुना	762.02	786.33	15.66	63.85	1627.86	881.94	745.92
	अशोक नगर	501.47	829.17	13.28	62.14	1406.06	884.83	521.23
5	झाबुआ	490.18	645.1	24.53	21.8	1181.61	482.48	699.13
6	खण्डवा/बुरहानपुर	604.41	1251.05	30.24	0	1885.7	899.36	986.34
7	खरगौन	2125.44	864.94	16.34	36.52	3043.24	1449.32	1593.92
8	मण्डला	572.69	1024.85	35.24	50.62	1683.4	854.29	829.11
9	सिवनी	1025.52	1061.8	28.13	204.37	2319.82	740.83	1578.99
10	शहडोल	922.2	1925.04	19.73	8.08	2875.05	1893.78	981.27
11	शिवपुरी	1204.41	260.66	49.47	0	1514.54	438.17	1076.37
12	सीधी/सिंगरौली	1054.91	1125.76	35.41	71.61	2287.69	1203.08	1084.61
13	टीकमगढ़	843.7	616.17	7.62	220.24	1687.73	754.65	933.08
14	रीवा	209.5	627.99	21.08	69.61	928.18	326.84	601.34
योग		14749.13	13067.47	446.02	1301.7	29564.32	13795.49	15768.83

कार्यान्वयन संस्थाओं के पास अप्रयुक्त राशि का वर्षवार विवरण

(रूँलाख में)

वर्ष	प्रा.शेष	प्राप्त अनुदान	ब्याज	अन्य प्राप्ति	कुल	व्यय राशि	अन्त शेष
2008-09	5187.47	8138.20	132.84	747.45	14205.96	8031.80	6174.16
2009-10	6174.16	9182.18	156.98	1017.39	16530.71	9913.85	6616.86
2010-11	6616.86	10881.00	171.42	627.75	18297.03	11154.91	7142.42
2011-12	7142.12	19026.12	293.15	5505.48	31966.87	17218.04	14749.13
2012-13	14748.83	13067.47	446.02	1301.70	29564.02	13795.49	15768.83

परिशिष्ट -4.5

संदर्भ: कण्डिका 4.1.8 (पृष्ठ-31)

स.क्र	जिला	2008-09 तक				2009-10			
		पूर्ण कार्यों की संख्या	जारी राशि	किया गया व्यय	राशि जो वापिस ली जानी है	पूर्ण कार्यों की संख्या	जारी राशि	किया गया व्यय	राशि जो वापिस ली जानी है
1	बड़वानी	108	457.06	412.47	44.59	1	8.00	7.76	0.24
2	बैतूल	109	476.6	427.49	49.11	22	153.32	142.72	10.6
3	गुना	26	80.65	72.5	8.15	10	36.30	33.79	2.51
4	अशोक नगर	31	89.6	75.86	13.74	9	28.50	24.34	4.16
5	खण्डवा	0	0	0	0	0	0.00	0	0
6	खरगौन	6	58.5	55.02	3.48	14	161.80	150.16	11.64
7	रीवा	25	120.07	102.42	17.65	3	33.10	31.7	1.4
8	सिवनी	26	156.17	146.15	10.02	7	37.45	34.34	3.11
9	शिवपुरी	56	259.62	226.16	33.46	7	26.50	23.52	2.98
10	सिंगरौली	12	32.2	30.81	1.39	7	7.60	6.95	0.65
11	टीकमगढ़	7	20.3	19.03	1.27	2	5.30	4.96	0.34
	योग	406	1750.77	1567.91	182.86	82	497.87	460.24	37.63

कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्ण कार्यों के विरुद्ध अतिशेष राशि वापिस किए जाने संबंधी जानकारी

(रैंलाख में)

स.क्र	जिला	2010-11 तक				2011-12			
		पूर्ण कार्यों की संख्या	जारी राशि	किया गया व्यय	राशि जो वापिस ली जानी है	पूर्ण कार्यों की संख्या	जारी राशि	किया गया व्यय	राशि जो वापिस ली जानी है
1	बड़वानी	3	69.78	43.56	26.22	5	62	61.14	0.86
2	बैतूल	11	57.12	45.04	12.08	1	5	4.94	0.06
3	गुना	1	4.2	3.7	0.5	0	0	0	0
4	अशोक नगर	2	8	5.96	2.04	0	0	0	0
5	खण्डवा	0	0	0	0	1	40	28.7	11.30
6	खरगौन	1	15	13.79	1.21	0	0	0	0
7	रीवा	13	94.91	80.26	14.65	18	251.31	205.2	46.11
8	सिवनी	1	4	3.93	0.07	0	0	0	0
9	शिवपुरी	8	32	25.97	6.03	6	27	24.66	2.34
10	सिंगरौली	7	160.02	132.79	27.23	0	0	0	0
11	टीकमगढ़	3	11	10.67	0.33	1	4	3.92	0.08
	योग	50	456.03	365.67	90.36	32	389.31	328.56	60.75

क्र.	जिला	2012-13 तक				2008-13			
		पूर्ण कार्यों की संख्या	जारी राशि	किया गया व्यय	राशि जो वापिस ली जानी है	पूर्ण कार्यों की संख्या	जारी राशि	किया गया व्यय	राशि जो वापिस ली जानी है
1	बड़वानी	0	0	0	0	117	596.84	524.93	71.91
2	बैतुल	0	0	0	0	143	692.04	620.19	71.85
3	गुना	1	4	3.5	0.5	38	125.15	113.49	11.66
4	अशोक नगर	0	0	0	0	42	126.1	106.16	19.94
5	खण्डवा (नगर निगम)	0	0	0	0	1	40.00	28.7	11.3
6	खरगौन	0	0	0	0	21	235.3	218.97	16.33
7	रीवा	2	85.45	61.58	23.87	61	584.84	481.16	103.68
8	सिवनी	0	0	0	0	34	197.62	184.42	13.2
9	शिवपुरी	1	4	3.84	0.16	78	349.12	304.15	44.97
10	सिंगरौली	0	0	0	0	26	199.82	170.55	29.27
11	टीकमगढ़	3	20	18.2	1.8	16	60.6	56.78	3.82
	योग	7	113.45	87.12	26.33	577	3207.43	2809.50	397.93

क्रियान्वयन संस्था से राशि वापिस प्राप्त न करने संबंधी वर्षवार स्थिति

(रैंलाख में)

वर्ष	पूर्ण कार्यों की संख्या	जारी राशि	किया गया व्यय	राशि जो वापिस ली जानी है
2008-09	406	1,750.77	1,567.91	182.86
2009-10	82	497.87	460.23	37.64
2010-11	50	456.03	365.67	90.36
2011-12	32	389.31	328.56	60.75
2012-13	7	113.45	87.12	26.33
योग	577	3,207.43	2,809.49	397.94

परिशिष्ट -4.6
संदर्भ: कण्डिका 4.1.8 (पृष्ठ-32)
अप्रारम्भ कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र	जिला	संस्था का नाम	2008-09			2009-10		
			अप्रारम्भ कार्यों की संख्या	जारी राशि	वापिस प्राप्त की जाने वाली राशि	अप्रारम्भ कार्यों की संख्या	जारी राशि	वापिस प्राप्त की जाने वाली राशि
1	बड़वानी	जिला पंचायत	0	0	0	0	0	0
2	बैतूल	जिला पंचायत	36	110.97	110.97	60	227.19	227.19
3	गुना	जिला पंचायत	4	24.00	24.00	1	4.00	4.00
4	अशोक नगर	जिला पंचायत	1	4.20	4.20	1	5.00	5.00
5	बड़वानी	जिला पंचायत	0	0.00	0.00	1	5.00	5.00
6	झाबुआ	जिला पंचायत	0	0	0	0	0	0
7	खण्डवा	जिला पंचायत	0	0.00	0.00	1	4.00	4.00
8	बुरहानपुर	जिला पंचायत	1	20.00	20.00	0	0.00	0.00
9	खरगौन	जिला पंचायत	0	0	0	0	0	0
10	मण्डला	जिला पंचायत	0	0.00	0.00	2	12.00	12.00
		ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,	0	0	0	0	0	0
11	सीवा	जिला पंचायत						
12	सिवनी	जिला पंचायत	0	0	0	0	0	0
13	शहडोल	जिला पंचायत	0	0	0	3	22.62	22.62
14	अनूपपुर	जिला पंचायत	0	0	0	0	0	0
15	शिवपुरी	जिला पंचायत	9	38.60	38.60	3	6.00	6.00
		नगर परिषद (यू.एल.बी)	2	6.00	6.00	2	8.00	8.00
16	सीधी	जिला पंचायत	2	5.00	5.00	1	5.00	5.00
17	सिंगरोली	जिला पंचायत	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
18	टीकमगढ़	जिला पंचायत	4	10.60	10.60	1	4.00	4.00
	योग		59	219.37	219.37	76	302.81	302.81

स.क्र	जिला	संस्था का नाम	2010-11			2008-13		
			अप्रारम्भ कार्यो की संख्या	जारी राशि	वापिस प्राप्त की जाने वाली राशि	अप्रारम्भ कार्यो की संख्या	जारी राशि	वापिस प्राप्त की जाने वाली राशि
1	बड़वानी	जिला पंचायत	0	0	0	0	0	0
2	बैतूल	जिला पंचायत	70	250.19	250.19	166	588.35	588.35
3	गुना	जिला पंचायत	0	0.00	0.00	5	28.00	28
4	अशोक नगर	जिला पंचायत	0	0.00	0.00	2	9.20	9.2
5	बड़वानी	जिला पंचायत	0	0.00	0.00	1	5.00	5.00
6	झाबुआ	जिला पंचायत	0	0	0	0	0	0
7	खण्डवा	जिला पंचायत	0	0.00	0.00	1	4.00	4.00
8	बुरहानपुर	जिला पंचायत	7	122.00	122.00	8	142.00	142.00
9	खरगौन	जिला पंचायत	0	0	0	0	0	0
10	मण्डला	जिला पंचायत	12	40.00	40.00	14	52.00	52.00
11	रीवा		0	0	0	0	0	0
12	सिवनी	जिला पंचायत	0	0	0	0	0	0
13	शहडोल	जिला पंचायत	1	4.00	4.00	4	26.62	26.62
14	अनूपपुर	जिला पंचायत	0	0	0	0	0	0
15	शिवपुरी	जिला पंचायत	1	4.00	4.00	17	62.60	62.60
16	सीधी	जिला पंचायत	0	0.00	0.00	3	10.00	10.00
17	सिंगरोली	जिला पंचायत	0	0.00	0.00	0	0	0
18	टीकमगढ़	जिला पंचायत	0	0.00	0.00	5	14.60	14.60
		योग	91	420.19	420.19	226	942.37	942.37

परिशिष्ट -4.7

संदर्भ: कण्डिका 4.1.9 (पृष्ठ-33)

कार्यों के लिए आहरित राशि को ग्राम पंचायत द्वारा खातों से बाहर रखने सम्बन्धी विवरण

स.क्र	ग्रा0प0/जनपद/जिला	कार्य का नाम एवं स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि एवं ग्रा0प0 के खाते में हस्तांतरित राशि	आहरित राशि	कार्य की स्थिति (कार्य का मूल्य)	लेखापरीक्षा के आक्षेप	जिला पं0/ग्रा0 प0 के उत्तर
1.	ओसाडा (पाटी/बड़वानी)	आंगनवाड़ी भवन निर्माण (2008-09)	2.50	2.00	अप्रारम्भ	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ (अक्टूबर 2009) राशि की वसूली होना था	प्रकरण वसूली वाबत तहसीलदार को भेजा गया था।
2.	ढिमरिया (आरोन/गुना)	सामुदायिक भवन निर्माण (2009-10)	4.20	3.05	ईंट कार्य पूर्ण (कार्य का मूल्यांकन ₹2.34)	अधिक राशि का कार्य के मूल्यांकन एवं आहरित राशि से मिलान कर संरपच/सचिव से वसूली किया जाना था	संरपच के विरुद्ध कार्यवाही कि जानी है
3.	आमरोद (चंदेरी/गुना)	भण्डारगृह निर्माण (2011-12)	5.50	5.50	कार्य अभी प्रारम्भ होना है।	रोकड बही में राशि नगदी हस्ते लम्बे समय से दर्शायी गई है, वापिस नहीं ली गई	वसूली वाबत पत्र जारी किया जा चुका है
4.	किरोला (मुगावली/गुना)	आंगनवाड़ी भवन (2009-10)	2.10	1.10	कार्य अभी प्रारम्भ होना है।	राशि आहरित कर लेखों से बाहर रखी गई एवं संरपच/सचिव से राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जानी है	निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
5.	झागरिया (बलड़ी/खण्डवा)	आंगनवाड़ी एवं अपना घर (2011-12)	4.00	4.00	कार्य प्रगतिरत है (कार्य का मूल्यांकन ₹ 1.85)	राशि बैंक से आहरित करने के बावजूद कार्य अपूर्ण है।	संरपच के विरुद्ध वसूली के लिए पत्र तहसीलदार को भेजा गया।
6.	शिवरिया (हरसूद/खण्डवा)	आंगनवाड़ी निर्माण (2009-10)	3.00	3.00	कार्य प्रगतिरत है (कार्य का मूल्यांकन ₹ 1.20 लाख में)	संरपच से शेष राशि की वसूली संबंधी कार्यवाही की गई।	संरपच के विरुद्ध वसूली के लिए पत्र तहसीलदार को भेजा गया।
7.	घिसी (बरघाट/सिवनी)	पंचायत भवन निर्माण (2009-10)	5.00	2.64	कार्य अपूर्ण (कार्य का मूल्यांकन ₹ 0.86)	संरपच से शेष राशि की वसूली संबंधी कार्यवाही की गई।	संबंधित ग्राम पंचायतों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी।
8.	ताराडांड (जैतहरी/अनुपपुर)	आंगनवाड़ी भवन निर्माण (2008-2009)	3.00	3.00	कार्य अपूर्ण (कार्य का मूल्यांकन ₹1.52)	शेष राशि के वसूली संबंधी कार्यवाही की गई।	संबंधित एजेंसी से कार्य पूर्ण कराया जावेगा।

परिशिष्ट -4.8

संदर्भ: कण्डिका 4.1.11.1 (पृष्ठ-38)
जिलावार एवं वर्षवार अपूर्ण कार्यों का विवरण
वर्ष 2008-09

(₹ लाख में)

स.क्र	जिला	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि	अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों पर व्यय राशि
1	बड़वानी	654	2,637.07	622	2,564.82	32	72.25
2	बैतूल	800	2,751.36	755	2,573.74	45	177.62
3	दमोह	442	1,352.87	381	1,183.71	61	169.16
4	गुना	216	621.29	216	621.29	00	0
5	अशोक नगर	122	370.28	118	253.48	04	16.80
6	झाबुआ	126	593.42	94	525.83	32	67.59
7	खण्डवा	463	1,334.30	448	1,261.30	15	73.00
8	खरगौन	106	1,344.27	104	1,338.77	02	5.50
9	मण्डला	0	0	0	0	0	0
10	रीवा	649	2,880.05	649	2,880.05	0	0
11	सिवनी	657	2,994.34	647	2,934.45	10	59.89
12	शहडोल	120	613.02	114	604.45	06	8.57
13	शिवपुरी	707	3,037.67	672		35	115.78
14	सीधी	443	1,882.23	405	1,679.34	38	152.20
15	सिंगरौली	0	0	0	0	0	0
16	टीकमगढ़	338	934.06	331	909.49	07	24.57
योग		5,843	23,346.23	5,556	22,252.61	287	942.93

वर्ष 2009-10

(₹ लाख में)

स.क्र	जिला	स्वीकृत कार्या की संख्या	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि	अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों पर व्यय राशि
1	बड़वानी	275	1,464.05	243	1,361.55	32	102.50
2	बैतूल	440	1,738.95	378	1,559.55	62	179.40
3	दमोह	185	1,176.53	147	1,044.58	38	131.95
4	गुना	158	499.90	158	499.90	0	0
5	अशोक नगर	21	114.00	21	114.00	0	0
6	झाबुआ	343	1,387.74	330	1,349.99	13	37.25
7	खण्डवा	226	1,298.30	200	1,173.72	26	124.58
8	खरगौन	199	1,184.53	183	965.99	16	218.54
9	मण्डला	251	1,642.50	249	1,623.52	02	18.98
10	रीवा	196	1,123.61	188	1,102.46	08	21.15
11	सिवनी	275	1,392.61	266	1,366.91	09	25.70
12	शहडोल	102	781.67	82	723.37	20	58.30
13	शिवपुरी	325	1,702.68	282	1,498.88	43	203.80
14	सीधी	253	1,063.98	217	820.71	36	243.27
15	सिंगरौली	0	0	0	0	0	0
16	टीकमगढ़	342	1,475.26	332	1,446.16	10	29.10
योग		3,591	18,046.31	3,276	16,651.29	315	1,394.52

वर्ष 2010-11

(₹ लाख में)

स.क्र	जिला	स्वीकृत कार्या की संख्या	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि	अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों पर व्यय राशि
1	बड़वानी	193	1,423.25	124	808.05	69	615.20
2	बैतूल	1018	1,798.94	925	1525.56	93	273.38
3	दमोह	316	938.17	248	555.78	68	382.39
4	गुना	202	470.10	183	356.80	19	113.30
5	अशोक नगर	145	375.17	129	367.97	16	7.20
6	झाबुआ	190	873.95	154	761.13	36	112.82
7	खण्डवा	214	1,497.83	165	1135.94	49	361.89
8	खरगौन	161	1,489.41	93	926.57	68	562.84
9	मण्डला	318	943.89	311	934.52	07	9.37
10	रीवा	493	1,481.52	487	1475.14	06	6.38
11	सिवनी	337	883.01	326	856.96	11	26.05
12	शहडोल	166	549.84	140	385.90	26	163.94
13	शिवपुरी	384	1,348.91	313	909.10	71	439.81
14	सीधी	288	937.88	220	384.40	68	553.48
15	सिंगरौली	128	658.86	101	400.69	27	258.17
1	टीकमगढ़	151	1,399.00	129	1074.60	22	325.00
योग		4,704	17,069.73	4,048	12,859.11	656	4,211.22

वर्ष 2011-12

(₹ लाख में)

स.क्र	जिला	स्वीकृत कार्या की संख्या	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि	अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों पर व्यय राशि
1	बड़वानी	231	1,540.06	106	1,236.96	125	303.10
2	बैतूल	615	1,943.80	459	1,661.31	156	282.49
3	दमोह	484	1,663.97	462	1,550.22	22	113.75
4	गुना	193	618.40	170	577.02	23	41.38
5	अशोक नगर	128	515.08	120	437.48	08	77.60
6	झाबुआ	114	327.09	26	171.56	88	155.53
7	खण्डवा	233	1,829.96	69	713.69	164	719.61
8	खरगोन	144	1,540.25	18	485.12	126	1,055.13
9	मण्डला	195	1,489.30	191	1,533.19	04	11.92
10	रीवा	414	1,644.00	357	1,565.04	57	110.81
11	सिवनी	487	1,991.00	370	1,642.28	117	348.72
12	शहडोल	448	1,351.78	400	1,259.27	48	92.51
13	शिवपुरी	361	1,044.31	155	283.51	206	760.80
14	सीधी	299	1,018.25	227	304.45	72	713.80
15	सिंगरौली	40	902.58	23	780.31	17	122.27
16	टीकमगढ़	329	1,568.50	285	1,199.15	44	369.35
योग		4715	20,988.33	3,438	15,400.56	1277	5,278.77

अपूर्ण कार्यों की वर्षवार स्थिति

(₹ लाख में)

स.क्र	वर्ष	स्वीकृत कार्या की संख्या	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि	अपूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों पर व्यय राशि
1.	2008-09	5843	23,346.23	5556	22,403.30	287	942.93
2	2009-10	3591	18,046.31	3276	16,651.79	315	1,394.52
3	2010-11	4704	17,069.73	4048	12,858.51	656	4,211.22
4	2011-12	4715	20,988.33	3438	15,709.56	1277	5,278.77
योग		18,853	79,450.60	16318	67,623.16	2535	11,827.44

परिशिष्ट-4.9

संदर्भ: कण्डिका 4.1.11.1 (पृष्ठ-39)

पूर्ण कार्यो जिनके कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए सम्बन्धी जानकारी

(रूँलाख में)

स.क्र	जिला	2008-09		2009-10		2010-11	
		पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न होना	व्यय राशि	पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न होना	व्यय राशि	पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न होना	व्यय राशि
1	बड़वानी	232	622.02	121	537.00	48	244.00
2	बैतूल	166	481.75	151	551.09	98	306.14
3	गुना	136	336.96	27	135.00	28	114.00
4	अशोक नगर	37	119.40	11	64.00	0	0
5	झाबुआ	201	615.51	56	236.28	48	156.20
6	खण्डवा	135	650.39	32	142.00	64	471.47
7	खरगौन	07	159.00	20	252.69	72	897.82
8	मण्डला	06	55.76	15	113.93	02	16.00
9	रीवा	08	35.00	09	44.00	25	101.00
10	सिवनी	51	244.57	37	199.00	28	109.65
11	शिवपुरी	235	872.95	130	590.51	27	205.96
12	सीधी	220	578.67	217	809.98	65	244.00
13	सिंगरौली	24	58.90	29	113.95	22	84.20
14	टीकमगढ़	41	250.81	15	121.50	13	220.00
	योग	1499	5081.69	870	3910.93	540	3170.44

(₹लाख में)

स.क्र	जिला	2011-12		2012-13		कुल	
		पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न होना	व्यय राशि	पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न होना	व्यय राशि	पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न होना	व्यय राशि
1	बड़वानी	11	50.00	0	0	412	1453.02
2	बैतुल	29	194.21	0	0	444	1533.19
3	गुना	0	0	0	0	191	585.96
4	अशोक नगर	03	10.42	0	0	51	193.82
5	झाबुआ	04	10.75	0	0	309	1018.74
6	खण्डवा	22	111.09	04	21.56	257	1396.51
7	खरगौन	42	393.40	15	72.50	156	1775.41
8	मण्डला	18	215.52	45	472.52	86	873.73
9	रीवा	123	491.00	10	47.00	175	718.00
10	सिवनी	74	341.84	0	0	190	895.06
11	शिवपुरी	33	109.86	0	0	425	1779.28
12	सीधी	21	100.27	02	11.96	525	1744.88
13	सिंगरौली	0	0	0	0	75	257.05
14	टीकमगढ़	14	112.00	09	126.90	92	831.21
	योग	394	2140.36	85	752.44	3388	15055.86

पूर्ण कार्यों की वर्षवार स्थिति, जिनके पूर्णता प्रमाण पत्र लम्बित थे

(₹ लाख में)

वर्ष	पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न होना	व्यय राशि
2008-09	1499	5081.69
2009-10	870	3910.93
2010-11	540	3170.44
2011-12	394	2140.36
2012-13	85	752.44
योग	3388	15055.86

परिशिष्ट-4.10

संदर्भ: कण्डिका 4.1.11.2 (पृष्ठ-39)

अपना घर योजना के अपूर्ण घरों की जानकारी

(₹लाख में)

स.क्र.	जिला	स्वीकृत राशि ₹ 0.45 लाख की दर से	कुल (अपना घर की संख्या)			
			पूर्ण	अपूर्ण	जारी राशि	कार्यान्वयन विभाग के पास शेष राशि
1	बड़वानी	2079	2079	0	0	0
2	बैतूल	2226	2149	77	24.85	24.85
3	दमोह	2305	2187	118	52.90	52.90
4	गुना	1700	1489	211	94.35	94.5
	अशोक नगर	1339	1166	173	77.85	77.85
5	झाबुआ	2065	2065	0	0	0
6	खण्डवा	1687	1687	0	0	0
	बुरहानपुर	668	668	0	0	0
7	खरगौन	2390	2390	0	0	0
8	मण्डला	1958	1958	0	0	0
9	रीवा	4135	4135	0	0	0
10	सिवनी	2276	2223	53	23.85	23.85
11	शहडोल	1556	1528	28	12.60	12.60
	अनूपपुर	1128	109	29	23.20	23.20
12	शिवपुरी	3068	2555	513	230.85	230.85
13	सीधी	1607	1365	242	106.50	106.50
14	सिंगरौली	1264	577	371	95.80	95.80
	टीकमगढ़	1836	1675	161	70.75	70.75
	योग	34880	33057	1976	813.50	813.50

परिशिष्ट-5.1

संदर्भ: कण्डिका 5.1 (पृष्ठ-44)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा प्राप्त एवं वापस किये गये डिमांड ड्राफ्ट का विवरण

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिला का नाम	डिमांड ड्राफ्ट की राशि (डी.डी)	म.प्र.रा.रो.गा.परि.द्वारा प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट	म.प्र.रा.इलक्ट्रॉ.वि.क. लि.को भेजे गये डी.डी की राशि (28.07.2012)	19 जिला पंचायतो को वापस की गई डी.डी. की राशि (25.07.2012)
1.	बालाघाट	141.60	141.60	141.60	-
2.	बड़वानी	85.00	85.00	85.00	-
3.	बैतूल	113.80	113.80	113.80	-
4.	छतरपुर	113.40	113.40	113.40	-
5.	धार	155.20	155.20	155.20	-
6.	डिण्डोरी	74.40	74.40	74.40	-
7.	झाबुआ	76.60	76.60	76.60	-
8.	खण्डवा	86.20	86.20	86.20	-
9.	खरगौन	122.00	122.00	122.00	-
10.	मण्डला	100.60	100.60	100.60	-
11.	सतना	142.40	142.40	142.40	-
12.	सिवनी	130.80	130.80	130.80	-
13.	शहडोल	79.60	79.60	79.60	-
14.	श्यामपुर	46.00	46.00	46.00	-
15.	शिवपुरी	124.80	124.80	124.80	-
16.	सीधी	81.40	81.40	81.40	-
17.	टिकमगढ़	93.20	93.20	93.20	-
18.	उमरिया	47.60	47.60	47.60	-
19.	गुना	86.20	86.20	-	86.20
20.	राजगढ़	126.80	126.80	126.80	-
21.	दमोह	93.80	93.80	93.80	-
22.	पन्ना	80.20	80.20	80.20	-
23.	कटनी	83.20	83.20	83.20	-
24.	रीवा	167.40	167.40	-	167.40
25.	अशोक नगर	67.40	67.40	67.40	0.00

26.	दतिया	57.00	57.00	-	57.00
27.	देवास	100.80		-	-
28.	बुरहानपुर	34.00	34.00	-	34.00
29.	हरदा	43.00	43.00	43.00	-
30.	छिंदवाड़ा	164.00	164.00	164.00	0.00
31.	अनुपपुर	57.40	57.40	57.40	0.00
32.	मुरैना	99.40	99.40	-	99.40
33.	भिण्ड	90.80	90.80	-	90.80
34.	ग्वालियर	61.00	61.00	-	61.00
35.	रतलाम	85.20	85.20	-	85.20
36.	शाजापुर	112.60	112.60	-	112.60
37.	मंदसौर	89.40	89.40	-	89.40
38.	नीमच	48.60	48.60	48.60	0.00
39.	उज्जैन	123.80	123.80	-	123.80
40.	इन्दौर	68.00	68.00	-	68.00
41.	भोपाल	41.00	41.00	41.00	-
42.	सीहोर	101.00	101.00	-	101.00
43.	रायसेन	102.00	102.00	-	102.00
44.	विदिशा	117.60	117.60	-	117.60
45.	होशंगाबाद	87.20	87.20	87.20	0.00
46.	सागर	154.40	154.40	-	154.40
47.	जबलपुर	110.00	110.00	-	110.00
48.	नरसिंहपुर	92.80	92.80	92.80	0.00
49.	अलीराजपुर	59.00	59.00	-	59.00
50.	सिंगरौली	64.00	64.00	-	64.00
	योग	4,683.60 अर्थात् ₹ 46.84 करोड़	4,582.80 अर्थात् ₹ 45.83 करोड़	2,800.00 अर्थात् ₹ 28.00 करोड़	1,782.80 अर्थात् ₹ 17.83 करोड़